सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

उत्तर प्रदेश सरकार

प्रतिवेदन संख्या 2 – वर्ष 2020

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का
राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तर प्रदेश सरकार
प्रतिवेदन संख्या 2 – वर्ष 2020

अनुक्रमणिका

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन	-	v
कार्यकारी सार	-	vii
अध्याय 1 राज्य सरकार के वित्त		
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1	1
राजकोषीय लेन–देनों का सारांश	1.2	1
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.3	4
राज्य के वित्तीय संसाधन	1.4	8
संसाधनों के अनुप्रयोग	1.5	18
शासकीय व्यय एवं निवेश	1.6	24
परिसम्पत्तियाँ एवं देयतायें	1.7	29
ऋण प्रबन्धन	1.8	34
अध्याय 2 वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियन्त्रण		
विनियोग लेखे का संक्षिप्त विवरण	2.1	39
वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन	2.2	40
अध्याय 3 वित्तोय रिपोर्टिंग एवं लेखाओं पर टिप्पणी		
वैयक्तिक लेजर/वैयक्तिक जमा खाता	3.1	45
उपभोग प्रमाणपत्रों को प्रेषित न किया जाना	3.2	46
लम्बित विस्तृत आकस्मिक देयक	3.3	48
रोकड़ बही का अपूर्ण रहना/अनुरक्षण न किया जाना	3.4	49
धनराशियों का केन्द्रीय सड़क निधि में अन्तरण न किया जाना	3.5	49
राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	3.6	50
भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर	3.7	51
विकास प्राधिकरणों को अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी का अन्तरण	3.8	53

शासकीय धनराशि के गबन या हानि के प्रकरणों की रिपोर्टिंग	3.9	54
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखे	3.10	55
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब	3.11	55
घोषित नहीं किये गये लाभांश	3.12	57
मिलान न किये गये इक्विटी/ऋण	3.13	57
लेखाओं में अपारदर्शिता	3.14	58
राज्य के पुनर्गठन पर अवशेषों का विभाजन	3.15	58
अनुवर्ती कार्यवाही	3.16	59

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट 1.1	राज्य का परिदृश्य	61
परिशिष्ट 1.2	शासकीय लेखे का रूप एवं संरचना तथा वित्त लेखे का प्रारूप	63
परिशिष्ट 1.3	वर्ष 2018-19 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	65
परिशिष्ट 1.4	वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमान, वास्तविक प्राप्तियां एवं व्यय	68
परिशिष्ट 1.5	राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े	70
परिशिष्ट 1.6	(अ) वर्ष 2014-19 की अवधि में स्वयं का कर राजस्व (ब) वर्ष 2014-19 की अवधि में करेतर राजस्व	73
परिशिष्ट 1.7	31 मार्च 2019 को सरकार की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त सार	74
परिशिष्ट 1.8	आरक्षित निधियों का विवरण	76
परिशिष्ट 2.1	(अ) वर्ष 2018-19 में व्ययाधिक्य के विनियमितीकरण की आवश्यकता (ब) विगत वर्षों के व्ययाधिक्य के विनियमितीकरण की आवश्यकता	79
परिशिष्ट 2.2	₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियोग का विवरण	81
परिशिष्ट 2.3	अनवरत बचत वाले अनुदान	83
परिशिष्ट 2.4	प्रकरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	84
परिशिष्ट 2.5	निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग	86
परिशिष्ट 2.6	वर्ष 2018-19 में अत्यधिक धनराशियों का समर्पण	91
परिशिष्ट 2.7	वास्तविक बचत से अधिक समर्पण (₹ 50 लाख या अधिक)	98
परिशिष्ट 2.8	अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जिनमें बचत हुई परन्तु उसका कोई भाग समर्पित नहीं किया गया	99
परिशिष्ट 2.9	समर्पित न की गयी ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचतें	102

परिशिष्ट 3.1	रोकड़ बही अपूर्ण रहना/अनुरक्षण न किया जाना	106
परिशिष्ट 3.2	विभागवार/अवधिवार लम्बित प्रकरणों का विवरण (जिनमें अन्तिम कार्यवाही मार्च 2019 तक लम्बित थी)	107
परिशिष्ट 3.3	चोरी, दुर्विनियोग, हानि एवं गबन के कारण राज्य सरकार को हुई क्षति का विभागवार/श्रेणीवार विवरण	108
परिशिष्ट 3.4	वर्ष 2018-19 में विभागवार निस्तारित/अपलेखित प्रकरणों का विवरण	109
परिशिष्ट 3.5	विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं का अन्तिमीकरण और निवेशों का विवरण	110
परिशिष्ट 3.6	राज्य सरकार द्वारा उन क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश जिनके लेखे दिनॉक 30.09.2019 तक बकाये थे	111
परिशिष्ट 3.7	लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से लाभांश	113
परिशिष्ट 4	**शब्दावली (अतिरिक्त आँकड़े)**	
	गणना का आधार	114
	पदों की व्याख्या	115
	प्रथमाक्षरी	117

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय I एवं II में राज्य सरकार के 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के क्रमशः वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे की जांच में उत्पन्न तथ्यों पर आधारित लेखापरीक्षा निष्कर्ष हैं। जहॉं आवश्यक था, सूचनाएं उत्तर प्रदेश शासन से भी प्राप्त की गयी हैं।

3. अध्याय III 'वित्तीय रिपोर्टिंग' वर्तमान वर्ष में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं एवं वित्तीय रिपोर्टिंग से सम्बन्धित निर्देशों के अनुपालन की स्थिति और उसका विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

4. निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों एवं विभिन्न विभागों के लेन–देनों की लेखापरीक्षा तथा सांविधिक निगमों, परिषदों तथा शासकीय कम्पनियों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों और राजस्व प्राप्तियों के निष्कर्षों को सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदन पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाता है।

लेखापरीक्षा निष्पादन भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

कार्यकारी सार

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त पर आधारित यह प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 में राज्य के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करता है एवं राज्य विधायिका के समक्ष वित्तीय आंकड़ों का लेखापरीक्षा विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस विश्लेषण को उचित परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने के लिए उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (संशोधित) अधिनियम, 2016, चौदहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन एवं बजट अनुमान 2018-19 द्वारा परिकल्पित लक्ष्यों के सापेक्ष एक व्यापक तुलना की गयी है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय–I वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं 31 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, एवं ऋण प्रबन्धन की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालता है।

अध्याय–II विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं इसमें विनियोगों का अनुदानवार विवरण तथा सेवादायी विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों का प्रबन्धन किस प्रकार से किया गया है, का विवरण दिया गया है।

अध्याय–III उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन का लेखा–जोखा है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

राज्य की राजकोषीय स्थिति

राज्य द्वारा वर्ष 2018-19 में ₹ 28,250 करोड़ का राजस्व आधिक्य प्राप्त किया गया, तथापि इसमें ₹ 13,419 करोड़ की अतिशयता रही। अग्रेतर, वर्ष 2017-18 की तुलना में राज्य के राजकोषीय घाटे (₹ 35,203 करोड़) में 26.58 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजकोषीय घाटे का अनुपात बजट अनुमान/मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति (एम.टी.एफ. आर.पी.), 2018, उ.प्र.एफ.आर.बी.एम. (संशोधन) अधिनियम एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अन्दर रहा। यद्यपि, स.रा.घ.उ. के सापेक्ष कुल बकाये ऋण का अनुपात बजट अनुमानों/एम.टी.एफ.आर.पी., उ.प्र.एफ.आर.बी.एम.(संशोधन) अधिनियम तथा चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से अधिक था।

वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 की अवधि में राजकोषीय घाटा मुख्य रूप से बाजार ऋणों से वित्त पोषित था। यद्यपि, वर्ष 2015-16 (₹ 601 करोड़) से वर्ष 2018-19 (₹ 15,525 करोड़) की अवधि में रोकड़ अवशेष निवेश लेखा के अन्तर्गत निवेश में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण हेतु बाजार ऋणों को कम करने का अवसर था। अग्रेतर, राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण में आरक्षित निधियों के अंश में वर्ष 2015-16 (₹ 2,561 करोड़) से वर्ष 2018-19

(₹ 13,545 करोड़) की अवधि में निरन्तर वृद्धि हुई, जो मुख्यतः निक्षेप निधि के अवशेषों का वास्तविक रूप से निवेश किये बिना ही, राजस्व लेखे से निक्षेप निधि को विनियोग के कारण था।

(प्रस्तर 1.3 एवं 1.3.1)

प्राथमिक घाटा वर्ष 2014-15 में स.रा.घ.उ. के (-)1.35 *प्रतिशत* के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में घटकर स.रा.घ.उ. के सापेक्ष (-) 0.20 *प्रतिशत* हो गया। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 की अवधि में प्राथमिक घाटे में सुधार का मुख्य कारण राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि होना था। अग्रेतर, स.रा.घ.उ. के सापेक्ष पूँजीगत व्यय में 5.27 *प्रतिशत* (वर्ष 2014-15) *से* 4.05 *प्रतिशत* (वर्ष 2018-19) *का* सहवर्ती संकुचन हुआ।

(प्रस्तर 1.3.2)

1.3.3 बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े

राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2017-18 की प्राप्तियों के सापेक्ष ₹ 51,203 करोड़ (18 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई जो बजट अनुमानों से कम (₹ 18,641 करोड़) था। बजट अनुमानों के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में कमी बजट अनुमानों की तुलना में भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान एवं स्वयं के कर राजस्व में कम प्राप्तियों के कारण थी।

राजस्व व्यय में वर्ष 2017-18 के सापेक्ष ₹ 35,504 करोड़ (13 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई जो बजट अनुमानों से कम (₹ 19,792 करोड़) था। अग्रेतर, पूंजीगत व्यय में वर्ष 2017-18 के सापेक्ष ₹ 23,375 करोड़ (60 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई जो बजट अनुमानों से कम (₹ 11,781 करोड़) था।

संस्तुति : *वित्त विभाग को बजट तैयार करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए जिससे बजट अनुमान तथा वास्तविकताओं में अन्तर को कम किया जा सके।*

(प्रस्तर 1.2 एवं 1.3.3)

संसाधनों का संग्रहण

वर्ष 2018-19 में ₹ 3,29,978 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों में, राज्य का स्वयं का राजस्व ₹ 1,50,223 करोड़ एवं भारत सरकार से प्राप्त ₹ 1,79,755 करोड़ सम्मिलित हैं। वर्ष 2017-18 की तुलना में स्वयं के कर राजस्व (₹ 1,20,122 करोड़) में 23 *प्रतिशत* की वृद्धि मुख्यतः राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.), राज्य आबकारी तथा स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क में वृद्धि के कारण हुई।

(प्रस्तर 1.4.1 एवं 1.4.1.1)

कुल व्यय का प्रमुख घटक राजस्व व्यय (₹ 3,01,728 करोड़) ही बना रहा एवं इसका अंश 75.61 *प्रतिशत* (2014-15) से बढ़कर 81.44 *प्रतिशत* (2018-19) हो गया। वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज भुगतान एवं सब्सिडी पर वचनबद्ध व्यय (₹ 1,81,444 करोड़) राजस्व प्राप्तियों का 55 *प्रतिशत* था।

(प्रस्तर 1.5.1.1 एवं 1.5.1.2)

वर्ष 2018-19 के दौरान पूंजीगत व्यय (₹ 62,463 करोड़) में वर्ष 2017-18 की तुलना में 60 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जब पूंजीगत व्यय में 44 प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी कृषि ऋण माफी हेतु पर्याप्त बजट प्रावधान के कारण हुई थी। वर्ष 2018-19 के दौरान वृद्धि के बावजूद, पूंजीगत व्यय वर्ष 2016-17 के स्तर को प्राप्त नहीं कर सका, जबकि राजस्व व्यय में वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2018-19 के मध्य 28 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

(प्रस्तर 1.5. 1.4)

परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना/राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

राज्य सरकार ने अपनी सांविधिक उत्तरदायित्वों को नहीं निभाया क्योंकि यह परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में समतुल्य अंशदान के रूप में ₹ 981.17 करोड़ का अंशदान देने में विफल रही । वर्ष 2018-19 में, परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत संग्रहित सम्पूर्ण अंशदान, ₹ 3,456.79 करोड़ (कर्मचारियों का अंशदान तथा शासकीय अंशदान) में से ₹ 153.25 करोड़ राज्य सरकार द्वारा नियत प्राधिकारी के पास जमा नहीं किये गये थे । इस प्रकार, वर्ष 2018-19 में योजना के प्रावधानों के अनुसार अग्रेतर निवेश हेतु नियत प्राधिकारी को ₹ 1,134.42 करोड़ (₹ 981.17 करोड़+₹ 153.25 करोड़) कम हस्तांतरित किये गये थे। इस प्रकार, वर्तमान देयताओं को भविष्य के वर्षों के लिए स्थगित किया गया था। अग्रेतर, राज्य सरकार ने कर्मचारियों को देय लाभों/सरकार की भावी परिहार्य वित्तीय देयताओं के सम्बन्ध में अनिश्चितता उत्पन्न की और इस प्रकार योजना को ही संभावित विफलता की ओर अग्रसर किया।

संस्तुतिः *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारियों के अंशदान की कटौती पूरी तरह से की जाए, सरकार द्वारा अपना पूर्ण अंशदान दिया जाए तथा इन्हें एन.एस.डी.एल. के माध्यम से नामित निधि प्रबन्धक को समयबद्ध तरीके से सम्पूर्ण रूप से स्थानान्तरित किया जाए।*

(प्रस्तर 1.5.1.3)

निवेश एवं प्रतिफल तथा दिये गये ऋण

वर्ष 2014-19 की अवधि में सरकार की ऋण लागत तथा विभिन्न संस्थानों की अंशपूंजी एवं ऋणपत्र में निवेश के प्रतिफल के दर में अन्तर के कारण पर राज्य सरकार को निवेश के प्रतिफल पर ₹ 29,896 करोड़ की कल्पित हानि हुई। इसके अतिरिक्त, दिये गये ऋणों से प्राप्त ब्याज तथा लिये गये उधार पर सरकार द्वारा भुगतानित ब्याज की दर में अन्तर के कारण राज्य सरकार को ₹ 1,172 करोड़ की कल्पित हानि हुई।

संस्तुति : *राज्य सरकार को अपने निवेश तथा विभिन्न इकाइयों को दिये गये ऋण को इस प्रकार तर्कसंगत बनाना चाहिए जिससे निवेश तथा ऋण पर प्रतिफल कम से कम सरकार की ऋण लागत से मेल खाये।*

(प्रस्तर 1.6.3 एवं 1.6.5)

निक्षेप निधि

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकार को बकाया दायित्वों के परिहार हेतु समेकित निक्षेप निधि (स.नि.नि.) का सृजन करना चाहिए। स.नि.नि. का प्रबन्धन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तथापि, राज्य सरकार ने स.नि.नि. (मौजूदा निधि को सम्मिलित करते हुये) का गठन नहीं किया था।

वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा ₹ 26,404 करोड़ का विनियोग राजस्व लेखे (मुख्य शीर्ष 2048–ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोग) से लोक लेखा के अन्तर्गत निक्षेप निधि (मुख्य शीर्ष 8222) में पुस्तकीय अन्तरण द्वारा किया गया। अग्रेतर, इस निधि में से, वर्ष 2018-19 में, निक्षेप निधि से बिना किसी नकद बहिर्प्रवाह के बाजार ऋण के पुनर्भुगतान के समतुल्य ₹ 12,693 करोड़ की राशि को समेकित निधि के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों (मुख्य शीर्ष 0075–विविध सामान्य सेवाओं) के अन्तर्गत अन्तरित एवं क्रेडिट किया गया। निक्षेप निधि से राजस्व प्राप्ति शीर्ष में अवशेषों

का अन्तरण (₹ 12,693 करोड़) निक्षेप निधि के अवशेषों के अन्तरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुकूल नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व आधिक्य में ₹ 12,693 करोड़ की अतिशयता हुई।

संस्तुतिः *राज्य सरकार को बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करने पर विचार करना चाहिए एवं आर.बी.आई. द्वारा निवेश की जाने वाली समेकित निक्षेप निधि का सृजन किया जाना चाहिये। अग्रेतर, निधि से स्थानान्तरित धनराशि को राजस्व प्राप्ति नहीं माना जाना चाहिए एवं ऋण के मोचन पर पुनर्भुगतानित ऋण के समान राशि निक्षेप निधि से मुख्य शीर्ष 8680 में अन्तरित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निधि की अवशेष राशि वास्तव में निवेश की जाये और वह मात्र पुस्तकीय प्रविष्टि न हो।*

(प्रस्तर 1.7.2.1)

राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (रा.आ.अ.नि.)

भारत सरकार के दिशानिर्देश, रा.आ.अ.नि. को ''ब्याज युक्त आरक्षित निधि'' के अन्तर्गत संचालित करना चाहिये, के विपरीत राज्य सरकार रा.आ.अ.नि. को ''ब्याज रहित आरक्षित निधि'' के अन्तर्गत संचालित कर रही है। अग्रेतर, रा.आ.अ.नि. के दिशानिर्देशों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार, निधि के अवशेषों का निवेश नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के लिये अनिवेशित अवशेषों पर ₹ 106.22 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया।

वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार ने ₹157.23 करोड़ की धनराशि राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि से प्राप्त की, जिसे मुख्य शीर्ष 1601– भारत सरकार से सहायता अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकित किया गया एवं प्राप्ति के रूप में माना गया। तथापि, इस धनराशि को वर्ष 2018-19 में राज्य आपदा अनुक्रिया निधि लेखे में अन्तरित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार के राजस्व आधिक्य में ₹157.23 करोड़ से अतिशयता एवं राजकोषीय घाटे में न्यूनता हुई।

संस्तुतिः *राज्य सरकार द्वारा रा.आ.अ.नि. की अवशेष राशि को ''ब्याज युक्त आरक्षित निधि'' के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8121–सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि के अधीनं स्थानान्तरित किया जाना चाहिए एवं रा.आ.अ.नि. के दिशानिर्देशों के अनुसार अर्जित ब्याज को निधि में जमा किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को दिशानिर्देशों में निर्धारित शैली में निधि के अवशेषों का निवेश करने की भी आवश्यकता है।*

(प्रस्तर 1.7.2.3)

आकस्मिक देयताएं–प्रत्याभूतियों की स्थिति

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियो के अनुसार, प्रत्याभूतियों के प्रतिदान के उद्देश्य के लिये, राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन किया जाना अपेक्षित था। तथापि राज्य सरकार ने प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन नहीं किया। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों 2013 के अन्तर्गत, इनके द्वारा ₹ 453.91 करोड़ का न्यूनतम वार्षिक अंशदान (वर्ष 2018-19 के प्रारम्भ की बकाया प्रत्याभूति ₹ 90,781.57 करोड़ का 0.5 *प्रतिशत*) किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया। इसका ₹ 453.91 करोड़ से राजस्व आधिक्य में अतिशयता तथा राजकोषीय घाटे में न्यूनता का प्रभाव पड़ा।

राज्य सरकार द्वारा 23 संस्थानों को प्रत्याभूतियाँ दी गयीं जिनमें से 21 संस्थानों को प्रत्याभूति शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी। यह संज्ञान में आया कि वर्ष 2018-19 में प्राप्य प्रत्याभूति शुल्क (₹10.46 करोड़) दो संस्थानों से प्राप्त नहीं हुआ था।

संस्तुति: *बारहवें वित्त आयोग के दिशानिर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार को प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन एवं संचालन करना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति शुल्क तत्परता से प्राप्त करना भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये। शासन द्वारा उन संस्थानों को वित्तीय सहयोग रोक दिया जाना चाहिए जिनके द्वारा प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है एवं/अथवा जिनके लेखे भी बकाया हैं।*

(प्रस्तर 1.7.3.2)

अधिक हुए व्ययों के विनियमितीकरण की आवश्यकता

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, चार अनुदानों तथा चार विनियोगों के अन्तर्गत राज्य विधायिका द्वारा प्राधिकृत धनराशि से ₹ 1,539.44 करोड़ का व्ययाधिक्य हुआ। राज्य विधायिका द्वारा वर्ष 2005-06 से वर्ष 2017-18 की अवधि के 98 अनुदानों एवं 42 विनियोगों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य ₹ 30,985.81 करोड़ का विनियमितीकरण किया जाना अभी भी शेष है। यह संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 का उल्लंघन है, जो प्रावधानित करता है कि राज्य विधायिका द्वारा बनायी गयी विधि के अन्तर्गत किये गये विनियोजन के अतिरिक्त समेकित निधि से कोई भी धनराशि आहरित नहीं की जा सकेगी। यह बजटीय तथा वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को निष्फल करता है तथा लोक संसाधनों के प्रबन्धन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

संस्तुतिः *राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि व्ययाधिक्य के सभी वर्तमान प्रकरणों को विनियमित करने हेतु राज्य विधायिका के समक्ष तत्काल प्रस्तुत किया जाए।*

(प्रस्तर 2.2.1)

बचतें

46 अनुदानों/विनियोगों से सम्बन्धित 65 प्रकरणों में ₹ 90,038.26 करोड़ की बचत हुई जिसमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत थी। अग्रेतर, उपर्युक्त 65 प्रकरणों में से 18 प्रकरण ऐसे थे जिनमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 1,000 करोड़ से अधिक की बचत थी। वर्ष 2018-19 के दौरान, 22 अनुदानों के अन्तर्गत 28 प्रकरणों में अनवरत बचत (₹ 100 करोड़ एवं अधिक) ₹ 101.54 करोड़ एवं ₹ 14,921.22 करोड़ के मध्य थी।

संस्तुतिः *वित्त विभाग को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये गये प्रावधानों की धनराशि उपयोग न किये जाने के कारणों की समीक्षा की जानी चाहिये एवं अग्रेतर वर्षों में अधिक न्यायोचित प्रावधानों हेतु कदम उठाया जाना चाहिये।*

(प्रस्तर 2.2.2)

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 396.29 करोड़ की धनराशि का वितरण किया गया जिसमें से ₹ 66.57 करोड़ की प्रतिपूर्ति की गयी एवं अवशेष धनराशि ₹ 329.72 करोड़ की प्रतिपूर्ति नहीं की गई। 31 मार्च 2019 तक आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 629.72 करोड़ की धनराशि की प्रतिपूर्ति किया जाना शेष था, जिसमें वर्ष 2016-17 के प्रतिपूर्ति न किये गये ₹ 300 करोड़ की अवशेष धनराशि सम्मिलित थी। इस अग्रिम की प्रतिपूर्ति न किये जाने के प्रकरण को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2018 एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 3 वर्ष 2019 में प्रतिवेदित किया गया था।

संस्तुति: *राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 3 वर्ष 2019 के प्रस्तर 2.2.9 में दी गयी संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिये एवं सुनिश्चित करना चाहिये कि आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की प्रतिपूर्ति समय से किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।*

(प्रस्तर 2.2.9)

वैयक्तिक लेजर/ वैयक्तिक जमा खाता

उत्तर प्रदेश वैयक्तिक लेखा खाता नियमावली, 1998 के अनुसार यदि किसी पी.एल.ए./पी.डी. खाते में तीन वर्षो से कोई लेन देन न हुआ हो, तो पी.एल.ए./पी.डी. खाते में अवशेष, यदि कोई हो, को सम्बन्धित लेखाशीर्ष में अन्तरित कर बंद कर दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा भी समस्त विभागों को तीन वर्षों से अधिक समय से असंचालित रहे सभी पी.एल.ए./पी.डी. खाते को बंद किये जाने हेतु निर्देशित (जनवरी 2018 एवं मार्च 2018) किया गया था। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों (जनवरी 2018 एवं मार्च 2018) के पश्चात् असंचालित पी.एल.ए./पी.डी. खातों में अवशेष पड़ी धनराशि में कमी आई थी। तथापि, 31 मार्च 2019 को 416 पी.एल.ए./पी.डी. खातों में **₹** 22.77 करोड़ की राशि जमा थी।

(प्रस्तर 3.1)

उपभोग प्रमाण–पत्रों को प्रेषित न किया जाना

31 मार्च 2019 तक वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2017-18 (सितम्बर 2017) तक की अवधि में अवमुक्त की गई अनावर्ती सहायता अनुदान की राशि **₹** 23,832.12 करोड़ से सम्बन्धित कुल 63,366 उपभोग प्रमाण–पत्र (यू.सी.) देय होने पर भी लम्बित थे। अतः इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि **₹** 23,832.12 करोड़ की राशि वास्तव में उसी प्रयोजन के लिए व्यय की गई जिसके लिए इसे विधायिका द्वारा स्वीकृत/प्राधिकृत किया गया था। उपभोग प्रमाण–पत्रों का अधिकता में लम्बित रहना धन के दुर्विनियोग एवं कपट के जोखिम से परिपूर्ण था। इस सम्बन्ध में, राज्य सरकार द्वारा भी सभी विभागों को यू.सी. का प्रेषण किये जाने का निर्देश जारी किया गया था, जिससे यू.सी. के प्रेषण किये जाने की स्थिति में सुधार हुआ था।

संस्तुति: *राज्य सरकार को एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए जिसके अन्दर अनुदान अवमुक्त करने वाले प्रशासनिक विभाग स्वीकृति आदेशों में निर्धारित समय से अधिक लम्बित उपभोग प्रमाण–पत्रों का संग्रह करें एवं व्यतिक्रमी अनुदान प्राप्तकर्ताओं को नया अनुदान अवमुक्त करने से पूर्व सभी लम्बित उपभोग प्रमाण पत्रों की समीक्षा की जाए।*

(प्रस्तर 3.2)

भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (बी.ओ.सी.डब्लू.) कल्याण उपकर

बी.ओ.सी.डब्ल्यू. बोर्ड द्वारा गठन (नवम्बर 2009) से ही अपने लेखे को अन्तिम रुप नहीं दिया गया, इसलिए लेखापरीक्षा में प्राप्ति एवं व्यय की प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश (अगस्त 2013 एवं सितम्बर 2016) में सम्बन्धित अधिकारियों को संग्रहित उपकर की प्राप्तियों को बोर्ड द्वारा इस हेतु संचालित राष्ट्रीयकृत बैंक खाता में जमा किये जाने के निर्देश दिये गये। उपकर को राज्य की समेकित निधि में लाये बिना सीधे बैंक खाते में अन्तरित किये जाने का आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के प्रावधान का उल्लंघन है। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार के लेखे से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि उपकर, शुल्क

आदि की कितनी धनराशि उपकर निर्धारण अधिकारियों एवं उपकर संग्रहकों द्वारा संग्रहित की गयी एवं कितनी धनराशि बोर्ड को अन्तरित की गयी।

बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, बोर्ड द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिये उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष तीन से सात *प्रतिशत* का व्यय किया गया एवं मात्र छः से 15 *प्रतिशत* पंजीकृत श्रमिकों को आच्छादित किया गया।

संस्तुतिः *उ.प्र. बी.ओ.सी.डब्ल्यू. कल्याण बोर्ड द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों की कार्य की दशा में सुधार एवं उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता दिये जाने के अपने अधिदेश की पूर्ति की जानी चाहिए। उपकर को, समेकित निधि के माध्यम से अन्तरित न करके, बोर्ड के बैंक खाते में सीधे अन्तरण किये जाने के अपने आदेशों की राज्य सरकार द्वारा समीक्षा भी की जानी चाहिए।*

(प्रस्तर 3.7)

विकास प्राधिकरणों को अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी का अन्तरण

राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के लेखांकन के लिए अलग से उप शीर्ष नहीं खोला गया है जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं है कि उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत सरकार द्वारा दो *प्रतिशत* अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त की गयी है तथा क्या प्राप्त समस्त धनराशियों को सम्बन्धित नगर निगमों/नगर पालिकाओं/परिषदों/विकास प्राधिकरणों को विर्निदिष्ट अनुपात में अन्तरित कर दिया गया है।

अग्रेतर, सरकार द्वारा अतिरिक्त दो *प्रतिशत* स्टाम्प ड्यूटी के वितरण की प्रक्रिया के निर्धारण (सितम्बर 2013) में, एकत्र धनराशि का 25 *प्रतिशत* डेडीकेटेड नगर परिवहन निधि को अन्तरित किये जाने का आदेश दिया गया था जो उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के विपरीत था।

संस्तुतिः *राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उ.प्र. शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की प्राप्तियाँ एवं प्राधिकरणों/नगर पालिकाओं आदि को अन्तरित धनराशि लेखे में पूर्णरूपेण एवं पारदर्शिता से प्रदर्शित हो। अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की 25 प्रतिशत धनराशि डेडीकेटेड नगर परिवहन निधि को अन्तरण सम्बन्धी प्राधिकृत करने वाले आदेश, जिसका अधिनियम में प्रावधान नहीं है, की समीक्षा भी राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए।*

(प्रस्तर 3.8)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब

60 क्रियाशील पी.एस.यू./निगमों (225 लेखे) एवं 42 अक्रियाशील पी.एस.यू./निगमों (658 लेखे) के लेखे एक से 37 वर्षों से बकाये थे। राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2019 तक 22 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता ₹ 5,036.61 करोड़ (इक्विटीः ₹ 1,552.38 करोड़, ऋणः ₹ 996.52 करोड़, पूंजीगत अनुदानः ₹ 1,748.52 करोड़, अन्य अनुदानः ₹ 665.57 करोड़ एवं सब्सिडीः ₹ 73.62 करोड़) तथा प्रत्याभूति ₹ 4,460.64 करोड़ उस अवधि के दौरान दिया गया जिनमें उनके लेखे बकाया थे। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों का घोर उल्लंघन करते हुए गत 1 से 15 वर्षों के लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं किया था। लेखाओं के अन्तिमीकरण न होने के कारण, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक, जैसा कि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 एवं कम्पनी अधिनियम में

अपेक्षित है, इन पी.एस.यू. के लेखाओं के प्रमाणीकरण करने के सम्बन्ध में अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ रहे।

संस्तुतिः *वित्त विभाग को उन सभी पी.एस.यू.के प्रकरणों की समीक्षा करनी चाहिए जिनके लेखे बकाया हैं एवं सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित समयान्तर्गत लेखे वर्तमानकालिक बने।*

(प्रस्तर 3.11)

घोषित नहीं किये गये लाभांश

राज्य सरकार की नीति, जिसके अन्तर्गत सभी लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अंशपूंजी के योगदान का न्यूनतम पांच *प्रतिशत* लाभांश भुगतान करना चाहिए, के विपरीत छः पी.एस.यू. ने ₹ 602.93 करोड़ का लाभांश घोषित नहीं किया जिनमें से ₹ 602.48 करोड़ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से सम्बन्धित है।

संस्तुतिः *राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लाभ अर्जित करने वाले पी.एस.यू. वर्ष के अन्त तक विनिर्दिष्ट लाभांश को निश्चित रूप से शासकीय लेखे में जमा करें।*

(प्रस्तर 3.12)

लेखाओं में अपारदर्शिता

वर्ष 2018-19 में लेखे के विभिन्न राजस्व एवं पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 800 परिचालित था। अन्य प्राप्तियाँ एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित लघु शीर्ष 800 का परिचालन तभी किया जाना अभीष्ट है जब लेखे में समुचित लघु शीर्ष उपलब्ध न हो। वर्ष 2018–19 में लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां/व्यय के अन्तर्गत प्राप्तियां ₹ 24,190.25 करोड़ एवं व्यय ₹ 38,022.97 करोड़ का पुस्तांकन विभिन्न मुख्य लेखाशीर्ष के अधीन किया गया। तथ्य यह है कि सम्बन्धित मुख्य शीर्ष के अधीन बहुत अधिक अनुपात में प्राप्तियों एवं व्ययों को लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत पुस्तांकन किये जाने से लेखे अपारदर्शी प्रदर्शित होते है एवं पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

संस्तुतिः *वित्त विभाग द्वारा लघु शीर्ष 800 के अधीन वर्तमान में प्रदर्शित हो रहे सभी मदों की विस्तृत समीक्षा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श से संचालित करनी चाहिए एवं सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसे सभी प्राप्तियों एवं व्ययों को लेखे के समुचित शीर्ष के अधीन पुस्तांकित हो एवं अग्रेतर, यदि आवश्यक हो, समुचित लेखाशीर्षों को खोला जाय।*

(प्रस्तर 3.14)

राज्य के पुनर्गठन पर अवशेषों का विभाजन

राज्य सरकार द्वारा अभी भी (नवम्बर 2000 से) उत्तराधिकारी राज्यों उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य जमा और अग्रिम के अन्तर्गत अवशेष धनराशि (₹ 8,757.37 करोड़) विभाजन हेतु शेष थी।

संस्तुतिः *राज्य सरकार द्वारा जमा और अग्रिम (₹ 8,757.37 करोड़) के अवशेषों का विभाजन दोनों उत्तराधिकारी राज्यों के मध्य शीघ्र किया जाना चाहिये।*

(प्रस्तर 3.15)

1 राज्य सरकार के वित्त

1 राज्य सरकार के वित्त

यह अध्याय राज्य सरकार के वर्ष 2018-19 के वित्त का लेखापरीक्षित परिदृश्य प्रस्तुत करता है एवं विगत पाँच वर्षों की अवधि में समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य राजकोषीय समूहों में वर्ष 2017-18 के सापेक्ष परिवर्तनों का समीक्षात्मक विश्लेषण करता है।

यह समीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार (राज्य सरकार) के वित्त लेखे में सम्मिलित विवरणों पर आधारित है। राज्य का परिदृश्य ***परिशिष्ट 1.1*** में दर्शाया गया है।

1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)[1]

वर्तमान तथा स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011-12) पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) तथा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियों को **सारणी 1.1** में दर्शाया गया है।

सारणी 1.1 : भारत का सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
भारत का वर्तमान मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद (₹करोड़ में)	1,24,67,959	1,37,71,874	1,53,62,386	170,95,005	1,90,10,164
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	10.99	10.46	11.55	11.28	11.20
राज्य का वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	10,11,790	11,37,210	12,48,374	13,76,324	15,42,432
वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	7.6	12.4	9.78	10.25	12.07
राज्य का स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹करोड़ में)	8,34,432	9,07,700	9,74,073	10,42,113	11,09,408
स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	4.03	8.78	7.31	6.99	6.46

(स्रोतः सकल घरेलू उत्पाद/सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े दिनांक 01.08.2019 को भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये)

शासकीय लेखे की संरचना ***परिशिष्ट 1.2* के भाग–अ** और वित्त लेखे का प्रारूप **भाग–ब** में दर्शाया गया है।

1.2 राजकोषीय लेन–देनों का सारांश

सारणी 1.2 एवं **सारणी 1.3** में राज्य सरकार के वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 तक के राजकोषीय लेन–देनों का सारांश प्रदर्शित है। वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 की प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ–साथ समग्र राजकोषीय स्थिति को ***परिशिष्ट 1.3*** में दर्शाया गया है।

[1] सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद दी गयी समयावधि में देश एवं राज्य में उत्पादित सभी आधिकारिक रूप से मान्य अन्तिम सामग्रियों एवं सेवाओं का बाजार मूल्य होता है तथा देश एवं राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेतक है।

सारणी 1.2: वर्ष 2014-19 की अवधि में प्राप्तियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	वर्ष 2017-18 के सापेक्ष 2018-19 में वृद्धि/कमी का प्रतिशत
भाग–अ :राजस्व						
राजस्व प्राप्तियाँ	**1,93,422**	**2,27,076**	**2,56,875**	**2,78,775**	**3,29,978**	**18.37**
स्वयं का कर राजस्व	74,172	81,106	85,966	97,393	1,20,122	23.34
स्वयं का कर राजस्व/राजस्व प्राप्तियाँ (*प्रतिशत* में)	38.35	35.72	33.47	34.94	36.40	-
करेतर राजस्व	19,935	23,135	28,944	19,795	30,101	52.06
करेतर राजस्व/राजस्व प्राप्तियाँ (*प्रतिशत* में)	10.31	10.19	11.27	7.10	9.12	-
संघीय करों/शुल्कों का अंश	66,623	90,974	1,09,428	1,20,939	1,36,766	13.09
भारत सरकार से अनुदान	32,692	31,861	32,537	40,648	42,989	5.76
भाग–ब : पूंजीगत एवं अन्य						
पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत विविध प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	262	726	259	236	5,313	2151.27
लोक ऋण प्राप्तियाँ	35,520	74,514	67,685	47,417	51,595	8.81
अन्तर्राज्यीय समायोजन (निवल)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आकस्मिकता निधि	1	201	173	258	230	(-)10.85
लोक लेखा प्राप्तियाँ	2,30,199	2,65,972	3,06,406	3,20,471	3,80,994	18.89
प्रारम्भिक रोकड़ अवशेष[2]	4,066	(-) 356	(-) 157	944	11,481	1116.21
योग	**4,63,470**	**5,68,133**	**6,31,241**	**6,48,101**	**7,79,591**	-

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में राजस्व प्राप्तियों में कुल ₹ 51,203 करोड़ की वृद्धि हुई। राज्य के स्वयं के संसाधनों (कर एवं करेतर) में ₹ 33,035 करोड़ (28.19 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई जबकि भारत सरकार से प्राप्तियों में ₹ 18,168 करोड़ (11.24 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। राज्य के वित्तीय संसाधनों का अग्रेतर विश्लेषण **प्रस्तर 1.4** में किया गया है।

सारणी 1.3: वर्ष 2014-19 की अवधि म व्यय का सारांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	वर्ष 2017-18 के सापेक्ष 2018-19 मं वृद्धि/कमी का प्रतिशत
भाग–अ :राजस्व						
राजस्व व्यय	**1,71,027**	**2,12,736**	**2,36,592**	**2,66,224**	**3,01,728**	**13.34**
सामान्य सेवायें	64,305	72,228	88,255	1,05,782	1,31,057	23.89
सामाजिक सेवायें	60,906	82,487	91,861	84,252	91,312	8.38
आर्थिक सेवायें	34,885	47,881	45,834	64,635	67,259	4.06
सहायता अनुदान एवं अंशदान	10,931	10,140	10,642	11,555	12,100	4.72

[2] वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में सारणी 1.2 एवं 1.3 में प्रारम्भिक एवं अन्तिम रोकड़ शेष में उद्दिष्ट निधियों में निवेश की धनराशि सम्मिलित है जबकि विगत वर्षों के प्रतिवेदन में दर्शाये गये रोकड़ अवशेषों में उद्दिष्ट निधियों में निवेश की धनराशि सम्मिलित नही है।

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	वर्ष 2017-18 के सापेक्ष 2018-19 मं वृद्धि/कमी का प्रतिशत
भाग–ब : पूंजीगत एवं अन्य						
पूंजीगत व्यय	53,297	64,423	69,789	39,088	62,463	**59.80**
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	1,873	9,118	6,741	1,509	6,303	**317.69**
लोक ऋणों की अदायगी	9,411	17,673	20,303	15,002	20,717	**38.09**
अन्तर्राज्यीय समायोजन (निवल)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
आकस्मिकता निधि से संवितरण	203	44	349	413	396	**(-)4.12**
लोक लेखा संवितरण	2,28,014	2,64,294	2,96,523	3,14,384	3,61,072	**14.85**
अन्तिम रोकड़ अवशेष	-356	-157	944	11,481	26,912	**134.40**
योग	**4,63,469**	**5,68,131**	**6,31,241**	**6,48,101**	**7,79,591**	-

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष वर्तमान मूल्य एवं स्थिर मूल्य पर राजस्व प्राप्तियों/राजस्व व्यय/पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति को **सारणी 1.4** में दर्शाया गया है।

सारणी 1.4: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति/ राजस्व व्यय/पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति					
वर्तमान मूल्य पर राजस्व प्राप्ति (₹ करोड़ में)	1,93,422	2,27,076	2,56,875	2,78,775	3,29,978
वर्तमान मूल्य पर राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	14.99	17.40	13.12	8.53	18.37
स्थिर मूल्य पर राजस्व प्राप्ति (₹ करोड़ में)	1,59,523	1,81,255	2,00,440	2,11,088	2,37,353
स्थिर मूल्य पर राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	11.18	13.62	10.58	5.31	12.44
वर्तमान एवं स्थिर मूल्यों पर राजस्व प्राप्ति/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*प्रतिशत* में)	19.12	19.97	20.58	20.25	21.39
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व व्यय					
वर्तमान मूल्य पर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	1,71,027	2,12,736	2,36,592	2,66,224	3,01,728
वर्तमान मूल्य पर राजस्व व्यय की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	8.14	24.39	11.21	12.52	13.34
स्थिर मूल्य पर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	1,41,053	1,69,808	1,84,613	2,01,585	2,17,033
स्थिर मूल्य पर राजस्व व्यय की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	4.57	20.39	8.71	9.19	7.66
वर्तमान एवं स्थिर मूल्यों पर राजस्व व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*प्रतिशत* में)	16.90	18.71	18.95	19.34	19.56
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष पूंजीगत व्यय					
वर्तमान मूल्य पर पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	53,297	64,423	69,789	39,088	62,463
वर्तमान मूल्य पर पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	62.18	20.88	8.33	(-) 43.99	59.80
स्थिर मूल्य पर पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	43,956	51,423	54,456	29,597	44,930
स्थिर मूल्य पर पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	56.81	16.99	5.90	(-) 45.65	51.81
वर्तमान एवं स्थिर मूल्यों पर पूँजीगत व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*प्रतिशत* में)	5.27	5.67	5.59	2.84	4.05

वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 की अवधि में, राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष वृद्धि हुई। वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में पूंजीगत व्यय में वृद्धि के बावजूद सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष पूंजीगत व्यय में 5.27 *प्रतिशत* (2014-15) *से* 4.05 *प्रतिशत* (2018-19) का समग्र संकुचन रहा।

1.3 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

सारणी 1.5 में वर्ष 2018-19 में चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों, बजट अनुमान, उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (उ.प्र.एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, बजट अनुमानों एवं मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति (एम.टी.एफ.आर.पी.) द्वारा निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लक्ष्य के सापेक्ष राज्य की उपलब्धि दर्शायी गई है।

सारणी 1.5: वर्ष 2018-19 में राज्य का निष्पादन

मुख्य राजकोषीय संकेतक	चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित	उ.प्र.एफ.आर.बी.एम. अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट अनुमान/एम.टी.एफ.आर.पी. द्वारा निर्धारित लक्ष्य	वास्तविक आँकड़े
राजस्व घाटा (–)/आधिक्य (+) (₹करोड़ में)	शून्य घाटा	शून्य घाटा	27,099	(+)28,250
राजकोषीय घाटा (–)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*प्रतिशत* में))	3.25	तीन प्रतिशत से अधिक नहीं	2.96	2.28
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कुल बकाया ऋण अनुपात (*प्रतिशत* में)	32.03	30.50	29.8	33.59

(स्रोतः राज्य सरकार का बजट प्रपत्र, चौदहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन, उ.प्र. राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004 एवं उ.प्र. राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2016)

वर्ष 2018-19 में, स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटे का अनुपात बजट अनुमान/एम.टी.एफ.आर.पी., उ.प्र.एफ.आर.बी.एम. अधिनियम एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अन्दर रहा। यद्यपि, वर्ष 2017-18 की तुलना में राज्य के राजकोषीय घाटे (₹ 35,203 करोड़) में 26.58 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। स.रा.घ.उ. के सापेक्ष कुल बकाये ऋण का अनुपात बजट अनुमानों/एम.टी.एफ.आर.पी., उ.प्र.एफ.आर.बी.एम. अधिनियम तथा चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से अधिक है।

यद्यपि राज्य द्वारा ₹ 28,250 करोड़ का राजस्व आधिक्य प्राप्त किया गया, इसमें ₹ 13,419 करोड़ की अतिशयता रही। इसी प्रकार, राजकोषीय घाटे (₹ 35,203 करोड़) में भी ₹ 13,411 करोड़ की न्यूनता रही, जैसा कि **प्रस्तर 3.6** में वर्णित है।

1.3.1 राजकोषीय घाटे का संघटन एवं वित्तपोषण

राजकोषीय घाटा, राजस्व एवं गैर–ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से राजस्व एवं पूँजीगत व्यय (ऋण तथा अग्रिमों सहित) के आधिक्य को पूरा करने के लिए राज्य की कुल वित्तीय आवश्यकता (मुख्यतः रोकड़ के आहरण तथा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निवेश के अवशेष एवं उधार) को प्रदर्शित करता है। राजकोषीय घाटे की वित्तीय प्रवृत्ति को **सारणी 1.6** में दर्शाया गया है।

सारणी 1.6: राजकोषीय घाट के घटक एवं वित्तपोषण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजकोषीय घाटा (1 से 3)* (कोष्ठक में दिये गये आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद से *प्रतिशत* है)		**(-) 32,513 (3.21)**	**(-) 58,475 (5.14)**	**(-) 55,988 (4.48)**	**(-) 27,810 (2.02)**	**(-) 35,203 (2.28)**
1	राजस्व आधिक्य	(+) 22,394	(+)14,340	(+) 20,283	(+) 12,552	(+)28,250
2	निवल पूंजीगत व्यय[3]	(-) 53,297	(-) 64,423	(-) 69,789	(-) 39,088	(-)62,463
3	निवल ऋण एवं अग्रिम[4]	(-) 1,610	(-) 8,392	(-) 6,482	(-) 1,274	(-)990

*इस सारणी में वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में राजकोषीय घाटा उदय पर व्यय को सम्मिलित करते हुये दर्शाया गया है जिससे वित्त लेखे में दिये गये आंकड़ों को वित्तीय प्रवृत्ति के आंकड़ों से मिलाया जा सके। उदय के दिशानिर्देशों के अनुसार, उदय के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋणों को राज्य के राजकोषीय घाटे की सीमा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में उदय को छोड़कर राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹ 34,143 करोड़ एवं ₹ 41,187 करोड़ था।

राजकोषीय घाटे की वित्तीय प्रवृत्ति#

	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	बाजार ऋण	13,513	25,301	36,904	37,178	33,307
2	भारत सरकार से ऋण	(-) 875	(-) 803	(-)409	(-)438	(-)832
3	एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	6,325	4,339	(-)4,532	(-)4,643	(-)4,872
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	7,146	28,005	15,441	317	3,276
5	लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	1,686	1,534	1,619	2,530	3,646
6	जमा एवं अग्रिम	1,050	(-) 1,543	(-)301	1,414	2,196
7	आरक्षित निधियॉ	(-)2,695	2,561	7,225	8,265	13,545
8	उचन्त एव विविध	535	(-) 677	592	(-)2,215	223
9	प्रेषण	1,608	(-) 197	748	(-)3,906	313
10	निवेश	4,569	(-)601	(-)972	(-)8,991	(-)15,525
11	अन्य[5]	(-)349	556	(-)327	(-)1,701	(-)74
	योग	**32,513**	**58,475**	**55,988**	**27,810**	**35,203**

#ये सभी आंकड़े वर्ष के अन्तर्गत संवितरण/व्यय का निवल हैं।

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 की अवधि में, राजकोषीय घाटा मुख्य रूप से बाजार ऋणों[6] से वित्त पोषित था। यद्यपि, वर्ष 2015-16 (₹ 601 करोड़) से वर्ष 2018-19 (₹ 15,525 करोड़) की अवधि में रोकड़ अवशेष निवेश लेखा के अन्तर्गत निवेश में वृद्धि[7] को ध्यान में रखते हुए राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण हेतु बाजार ऋणों को कम करने का अवसर था। अग्रेतर, राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण में आरक्षित निधियों के अंश में वर्ष 2015-16 (₹ 2,561 करोड़) से वर्ष 2018-19 (₹ 13,545 करोड़) की अवधि में निरन्तर वृद्धि हुई, जो मुख्यतः निक्षेप निधि के अवशेषों का वास्तविक रूप से निवेश किये बिना ही, राजस्व लेखे से निक्षेप निधि को विनियोग के कारण था, जैसा कि **प्रस्तर 1.7.2.1** में वर्णित है।

---

[3] निवल पूंजीगत व्यय = पूंजीगत प्राप्तियाँ (-) पूंजीगत व्यय; ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक है।

[4] निवल ऋण एवं अग्रिम = ऋण एवं अग्रिमों की वसूली (-) संवितरित ऋण एवं अग्रिम; ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि वर्ष के दौरान संवितरित ऋण एवं अग्रिम वसूली से अधिक है।

[5] आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत लेन–देन, रोकड़ अवशेष, एवं बॉण्ड।

[6] 2015-16 में वित्तीय संस्थानो के ऋण मे निचल वृद्धि मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा उदय के अन्तर्गत बॉड के जारी किये जाने से लिये गये ऋण ₹ 29,602 करोड़ के कारण हुई थी, जिसे वित्तीय संस्थानों से अन्य ऋणों में कमी करके प्रतिसंतुलित किया गया।

[7] निवेश के अन्तर्गत ऋणात्मक आंकड़े वर्ष के दौरान प्रारम्भिक शेष की तुलना में निवेश के अंतिम अवशेष में वृद्धि को प्रदर्शित करता है।

1.3.2 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

प्राथमिक घाटे[8] का प्राथमिक राजस्व घाटे[9], पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों में विघटन एवं इसके साथ–साथ राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है, जैसा कि **सारणी 1.7** में दर्शाया गया है।

सारणी 1.7: प्राथमिक घाटा/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर–ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (–)/ आधिक्य(+)	प्राथमिक घाटा (–)/ आधिक्य(+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2014-15	1,93,684	1,52,162	53,297	1,873	2,07,332	(+)41,522	(-)13,648
2015-16	2,27,802	1,91,288	64,423	9,118	2,64,829	(+)35,514	(-)37,027
2016-17	2,57,134	2,09,656	69,789	6,741	2,86,186	(+)47,478	(-)29,052
2017-18	2,79,011	2,37,088	39,088	1,509	2,77,685	(+)41,923	(+)1,326
2018-19	3,35,291	2,69,686	62,463	6,303	3,38,452	(+)65,605	(-)3,161

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2018-19 में, गैर–ऋण प्राप्तियां राज्य के प्राथमिक व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पर्याप्त नही थीं परिणामतः ₹ 3,161 करोड़ का प्राथमिक घाटा हुआ। प्राथमिक घाटे में उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति थी तथा यह वर्ष 2014-15 में स.रा.घ.उ. के (-)1.35 *प्रतिशत* के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में घटकर स.रा.घ.उ. के सापेक्ष (-) 0.20 *प्रतिशत* हो गया। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 की अवधि में प्राथमिक घाटे में सुधार का मुख्य कारण राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि होना था। यद्यपि पूँजीगत व्यय में सहवर्ती कमी हुई थी। **चार्ट 1.1** वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 की अवधि में प्रमुख वित्तीय मापदंडों–राजस्व आधिक्य, प्राथमिक घाटे और राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

चार्ट 1.1 : आधिक्य/घाटे के सूचकांकों की प्रवृत्तियाँ

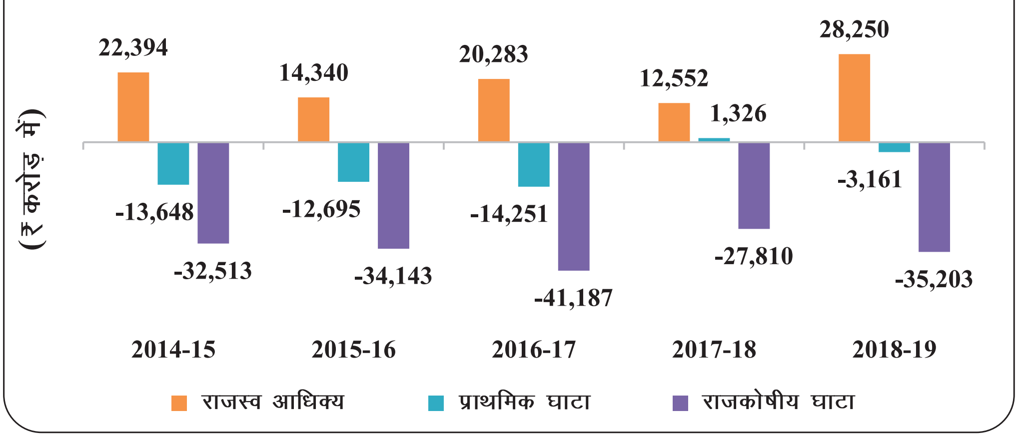

(**चार्ट 1.1** में वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 के दौरान राजकोषीय घाटे एवं प्राथमिक घाटे में उदय पर किए गए व्यय को छोड़कर दर्शाया गया है क्योंकि उदय के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋणों को राज्य के राजकोषीय घाटे की सीमा में सम्मिलित नहीं किया जाना है। **सारणी 1.7** में प्राथमिक घाटे के संगत आंकड़ों में उदय पर व्यय को सम्मिलित करते हुये दर्शाया गया है जिससे वित्त लेखे में दिये गये आंकड़ों से मिलाया जा सके।)

[8] प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान को छोड़कर राजकोषीय घाटा है।

[9] प्राथमिक राजस्व घाटा, राज्य के ब्याज–रहित राजस्व व्यय एवं इसके गैर–ऋण प्राप्तियों का अन्तर है एवं यह दर्शाता है कि गैर–ऋण प्राप्तियाँ किस सीमा तक राजस्व लेखे के अन्तर्गत किये गये प्राथमिक व्यय को पूरा करने हेतु पर्याप्त है।

1.3.3 बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े

बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय में कमी या तो अप्रत्याशित एवं अनपेक्षित घटनाओं के कारण अथवा बजट तैयार करने में व्यय एवं प्राप्तियों का कम/अधिक आकलन के कारण, लक्षित राजकोषीय उद्देश्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

वर्ष 2018-19 के लिए चयनित राजकोषीय मापदण्डों की बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक स्थिति **चार्ट 1.2** एवं ***परिशिष्ट 1.4*** में प्रदर्शित है।

चार्ट 1.2 : चयनित राजकोषीय प्राचल : वर्ष 2018-19 के दौरान बजट अनुमान के सापेक्ष वास्तविक स्थिति

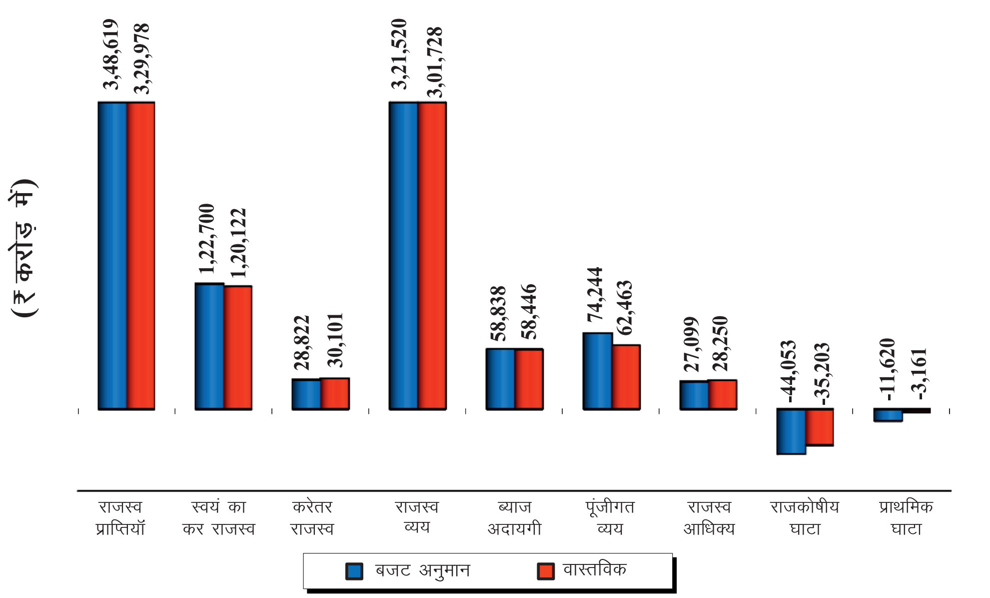

(स्रोतः बजट प्रपत्र एवं वित्त लेखे वर्ष 2018-19)

- बजट अनुमानों के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों (₹ 18,641 करोड़) में कमी बजट अनुमानों की तुलना में भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान (₹ 20,561 करोड़) एवं स्वयं के कर राजस्व (₹ 2,578 करोड़) में कम प्राप्तियों के कारण थी। यद्यपि संघीय करों तथा शुल्कों में राज्यांश (₹ 3,218 करोड़) तथा करेतर राजस्व (₹ 1,279 करोड़) के अन्तर्गत अधिक प्राप्ति हुई।

- बजट अनुमानों के सापेक्ष स्वयं के कर राजस्व में कमी (₹ 2,578 करोड़) मुख्यतः राज्य वस्तु एवं सेवा कर (₹ 3,314 करोड़), स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क (₹ 2,267 करोड़) एवं वाहनों पर कर (₹ 471 करोड़) के अन्तर्गत हुई जो बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर (₹ 1,720 करोड़), विद्युत पर कर एवं शुल्क (₹978 करोड़) तथा राज्य आबकारी (₹ 927 करोड़) के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियों से प्रतिसंतुलित हुई।

- राजस्व व्यय में कमी (₹ 19,792 करोड़), मुख्यतः सामाजिक सेवाओं (₹ 19,352 करोड़) तथा सामान्य सेवाओं (₹ 5,187 करोड़) में थी जो आर्थिक सेवाओं (₹ 4,834 करोड़) के अन्तर्गत अधिक व्यय के द्वारा प्रतिसंतुलित हुई।

- पूंजीगत व्यय में ₹ 11,781 करोड़ की कमी का मुख्य कारण सामाजिक सेवाओं में ₹ 11,855 करोड़ एवं सामान्य सेवाओं में ₹ 958 करोड़ की कमी थी जो आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत ₹ 1,033 करोड़ के अधिक व्यय के द्वारा प्रतिसंतुलित हुई।

संस्तुतिः *वित्त विभाग को बजट तैयार करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए जिससे बजट अनुमान तथा वास्तविकताओं में अन्तर को कम किया जा सके।*

1.4 राज्य के वित्तीय संसाधन

वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत स्वयं का कर राजस्व, करेतर राजस्व, केन्द्रीय करों तथा शुल्कों में राज्यांश तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित है। पूँजीगत अनुभाग के अन्तर्गत प्राप्तियों में विविध प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से ऋण) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम के साथ–साथ लोक लेखे के अवशेष सम्मिलित हैं।

चार्ट 1.3 वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियों के संघटन तथा **चार्ट 1.4** वर्ष 2014-19 की अवधि में प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चार्ट 1.3: वर्ष 2018-19 में कुल प्राप्तियों के संघटन

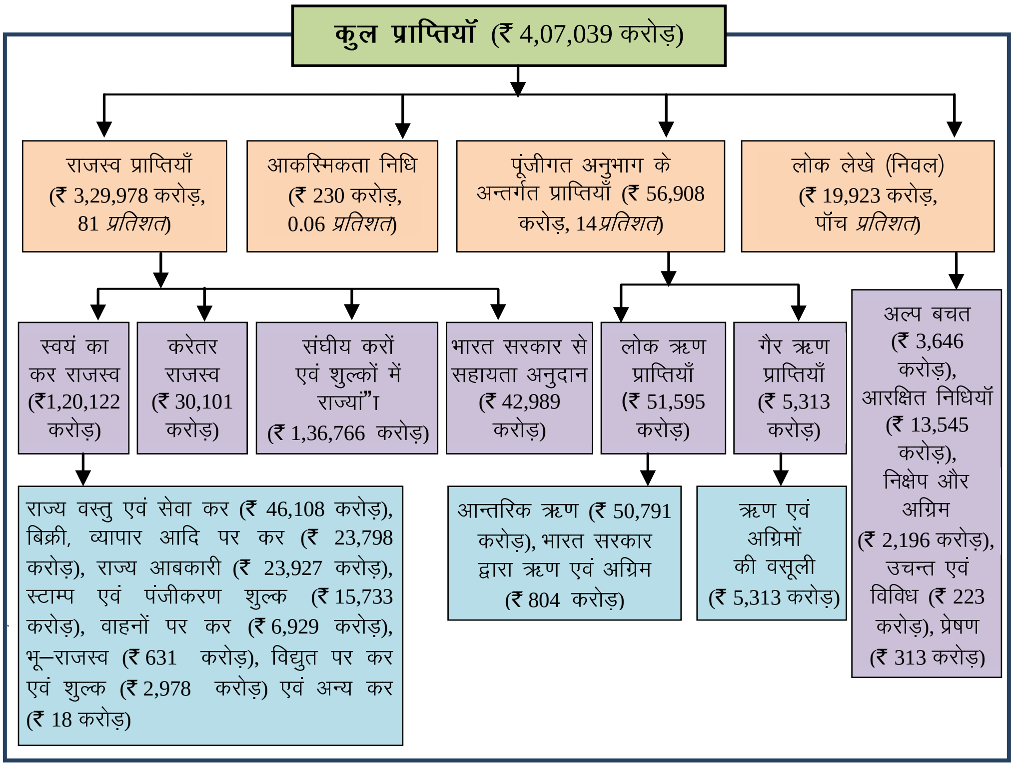

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2018-19)

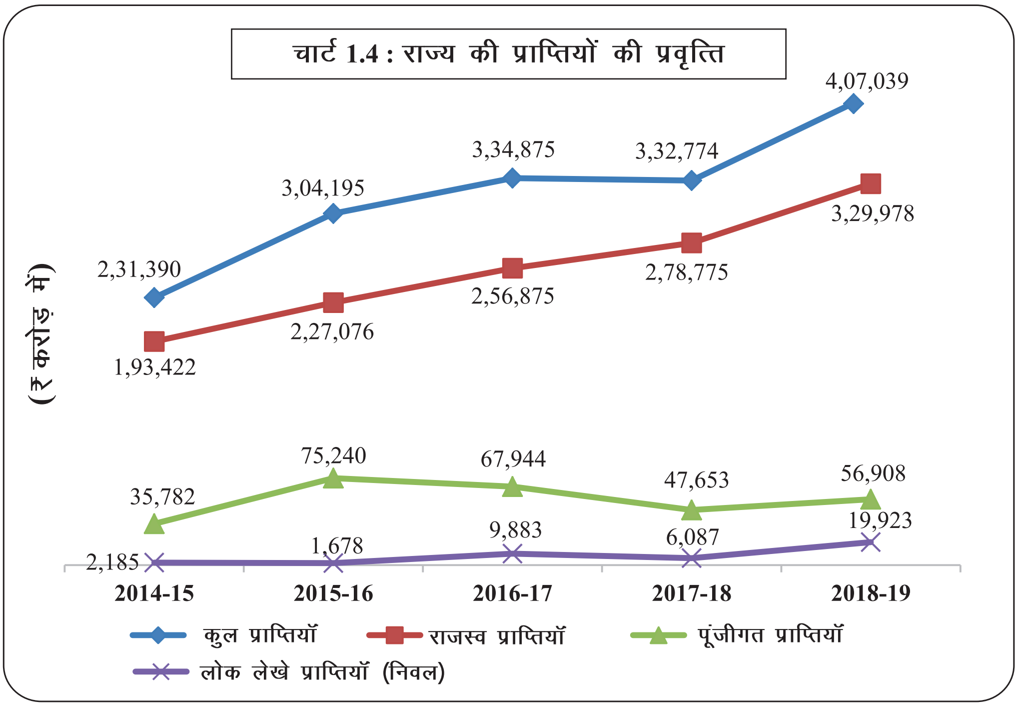

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

1.4.1 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे के **विवरण–14** में राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2014-19 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संघटन को ***परिशिष्ट 1.5*** में प्रस्तुत किया गया हैं एवं क्रमशः **चार्ट 1.5** एवं **चार्ट 1.6** में भी प्रदर्शित किया गया है।

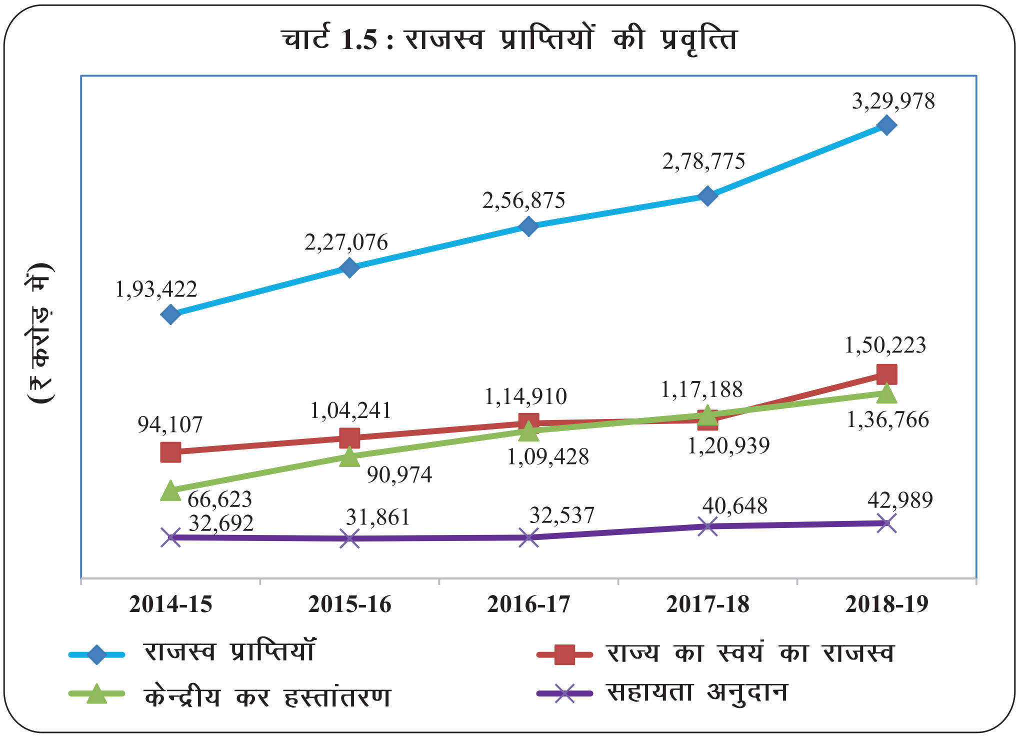

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.6: वर्ष 2014-19 की अवधि में कुल राजस्व प्राप्तियों के संघटन

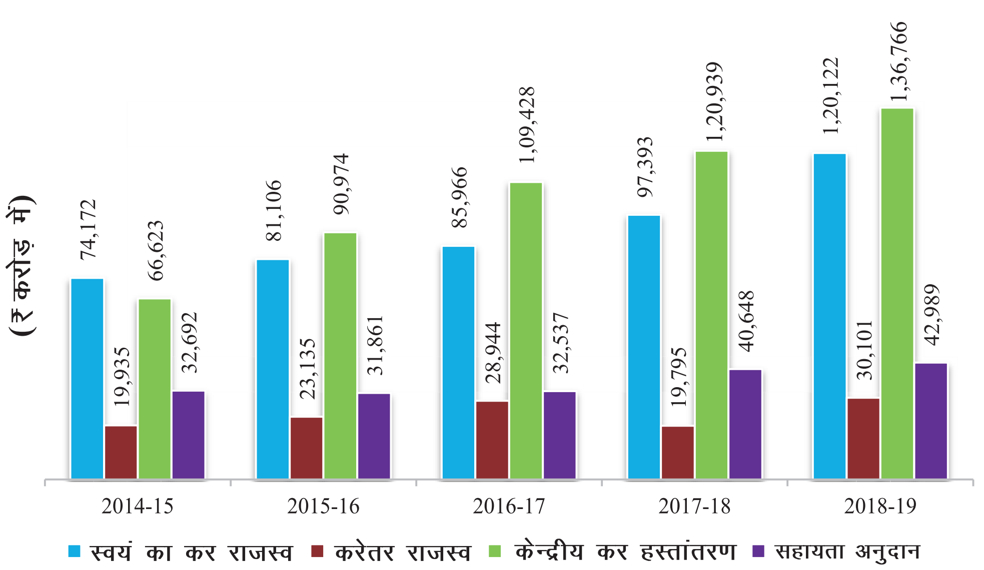

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2018-19 में ₹ 3,29,978 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों में, ₹ 1,50,223 करोड़ राज्य का स्वयं का (कर/करेतर) राजस्व एवं भारत सरकार से प्राप्त ₹ 1,79,755 करोड़ सम्मिलित है। इनका अग्रेतर विश्लेषण आगे के प्रस्तरों में किया गया है।

1.4.1.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन को स्वयं के कर राजस्व तथा करेतर राजस्व के संदर्भ में आंकलित किया जाता है तथा इसमें केन्द्रीय करों में राज्यांश तथा सहायता अनुदान को सम्मिलित नहीं किया जाता है, जो वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आधारित होते हैं।

वर्ष 2014-19 की अवधि में स्वयं के कर राजस्व तथा करेतर राजस्व के संग्रहण के विवरण को ***परिशिष्ट 1.6*** में प्रदर्शित किया गया है। स्वयं के कर राजस्व में वर्ष 2014-15 के ₹ 74,172 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में ₹ 1,20,122 करोड़ अर्थात कुल ₹ 45,950 करोड़ (61.95 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

बजट अनुमानों के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व एवं करेतर राजस्व को **सारणी 1.8** में दर्शाया गया है।

सारणी 1.8: वर्ष 2018-19 हेतु बजट अनुमानों के सापेक्ष स्वयं के कर राजस्व एवं करेतर राजस्व की वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ
स्वयं का कर राजस्व	1,22,700	1,20,122
करेतर राजस्व	28,822	30,101
योग	**1,51,522**	**1,50,223**

(स्रोतः बजट प्रपत्र एवं वित्त लेखे वर्ष 2018-19)

स्वयं के कर राजस्व

वर्ष 2014-19 की अवधि में स्वयं के कर राजस्व का विवरण **सारणी 1.9** में दर्शाया गया है।

सारणी 1.9: स्वयं के कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	वर्ष 2017-18 के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में भिन्नता (*प्रतिशत*)
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	42,934 (58)	47,692 (59)	51,883 (60)	31,113 (32)	23,798 (20)	(-) 23.51
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	-	-	25,374 (26)	46,108 (38)	81.71
राज्य आबकारी	13,483 (18)	14,084 (17)	14,274 (17)	17,320 (18)	23,927 (20)	38.15
वाहनों पर कर	3,797 (5)	4,410 (5)	5,148 (6)	6,404 (7)	6,929 (6)	8.20
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	11,803 (16)	12,404 (15)	11,564 (13)	13,398 (14)	15,733 (13)	17.43
भू–राजस्व	527 (1)	505 (1)	760 (1)	1,336 (1)	631 (1)	(-)52.77
विद्युत पर कर एवं शुल्क	1,085 (1)	1,338 (2)	1,556 (2)	2,124 (2)	2,978 (2)	40.21
अन्य कर[10]	543 (1)	673 (1)	781 (1)	324 (0)	18 (0)	(-) 94.44
योग	**74,172**	**81,106**	**85,966**	**97,393**	**1,20,122**	**23.34**
स.रा.घ.उ. (वर्तमान मूल्यों पर)	10,11,790	11,37,210	12,48,374	13,76,324	15,42,432	12.07
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष स्वयं के कर राजस्व का *प्रतिशत*	7.33	7.13	6.89	7.08	7.79	-

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे) (कोष्ठक के आंकड़े करों के संग्रह की कुल कर के सापेक्ष प्रतिशतता है)

- वर्ष 2018-19 में स्वयं के कर राजस्व में कुल 23.34 *प्रतिशत* की वृद्धि मुख्यतः राज्य आबकारी (₹ 6,607 करोड़), स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क (₹ 2,335 करोड़), तथा विद्युत पर कर एवं शुल्क (₹ 854 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई।

- राज्य आबकारी प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः देशी स्प्रिट (₹ 2,722 करोड़), माल्ट शराब (₹ 1,475 करोड़) तथा विदेशी शराब एवं स्प्रिट (₹ 2,660 करोड़) की बिक्री में वृद्धि के कारण थी। राज्य आबकारी नीति वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रोसेसिंग शुल्क, फुटकर विक्रेताओं के लिये नवीकरण शुल्क तथा देशी शराब की न्यूनतम गारंटी मात्रा (एम.जी.क्यू.) आदि में भी वृद्धि की गयी थी।

[10] अन्य करों में सामानों एवं यात्रियों पर कर सम्मिलित है, होटल रसीद पर कर, मनोरंजन कर, बाजी कर, सिनेमा थिएटर मे प्रदर्शित विज्ञापन पर कर, इत्यादि। करों में कमी मुख्य रूप से जुलाई 2017 के पश्चात वस्तु और सेवाकरों (जी.एस.टी.) के अन्तर्गत इन करों के निर्वाह के कारण है।

- राज्य सरकार द्वारा भूमि के सर्किल दरों में संशोधन किया गया था। स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि न्यायिकेत्तर स्टैम्प्स की बिक्री से अधिक प्राप्ति के कारण हुई।

- विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर में ₹ 7,315 करोड़ की कमी हुई क्योंकि यह कर, वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) में समाहित कर दिया गया, जो कि 1 जुलाई 2017 से क्रियान्वित हुआ था। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) के संग्रहण में ₹ 20,734 करोड़ की वृद्धि हुई।

- विद्युत पर कर एवं शुल्क की प्राप्तियों में वृद्धि विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर अधिक संग्रहण के कारण हुई।

करेतर राजस्व

वर्ष 2014-19 की अवधि में करेतर राजस्व की प्राप्तियों का विवरण **सारणी 1.10** में दर्शाया गया है।

सारणी 1.10: करेतर राजस्व एवं इसके मुख्य घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	वर्ष 2017-18 के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में भिन्नता (*प्रतिशत*)
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	1,029(5)	1,222(5)	1,548(5)	3,259(16)	3,165 (11)	(-) 2.88
ऊर्जा	966 (5)	1,322(6)	2,939 (10)	4,696(24)	5,735(19)	22.13
ब्याज प्राप्तियाँ	2,303(12)	633(3)	1,165(4)	1,093(6)	1,712 (6)	56.63
विविध सामान्य सेवायें	6,400(32)	4,949(21)	4,460 (15)	4,841(24)	13,678 (45)	182.54
मध्यम सिंचाई	326(1)	557(3)	652(2)	834 (4)	778 (3)	(-)6.71
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	5,799(29)	10,652(46)	14,092(49)	432 (2)	381 (1)	(-) 11.81
अन्य करेतर प्राप्तियाँ	3,112(16)	3,800(16)	4,088(15)	4,640(24)	4,652 (15)	0.26
योग	**19,935**	**23,135**	**28,944**	**19,795**	**30,101**	**52.06**

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे) (कोष्ठक के आंकड़े करों के संग्रह की कुल कर से प्रतिशतता है)

वर्ष 2017-18 के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में करेतर प्राप्तियों में कुल 52.06 *प्रतिशत*, धनराशि ₹10,306 करोड़, की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः ब्याज प्राप्तियों (रोकड़ अवशेष के निवेश एवं चीनी मिलों को दिये गये ऋण से अधिक ब्याज प्राप्ति) एवं निक्षेप निधि के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में ₹ 4,422 करोड के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में ₹ 12,693 करोड़ की धनराशि विविध सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत प्राप्ति के रूप में पुस्तांकित किये जाने के कारण थी। निक्षेप निधि से अवशेषों का अंतरण निर्धारित लेखा प्रक्रिया से

असंगत था एवं वर्ष के दौरान राजस्व आधिक्य की अतिशयता हुई, जैसा कि **प्रस्तर 1.7.2.1** में विस्तृत रूप से दिया गया है।

1.4.1.2 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

राज्य सरकार वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर सहायता अनुदान एवं संघीय करों एवं शुल्कों में अंश प्राप्त करती है। भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण **सारणी 1.11** में दर्शाया गया है।

सारणी 1.11: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण (उप मुख्य शीर्ष)	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आयोजनेत्तर अनुदान (01)	6,809	8,274	9,335	-	-
राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान (02)	6,577	1,933	232	-	-
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान (03)	17	16	56	-	-
केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान (04)	19,289	21,638	22,914	-	-
केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं हेतु अनुदान (06)	-	-	-	27,731	31,250
वित्त आयोग अनुदान (07)	-	-	-	8,849	9,318
अन्य हस्तांतरण/अनुदान (08)	-	-	-	4,068	2,421
कुल अनुदान	**32,692**	**31,861**	**32,537**	**40,648**	**42,989**
विगत वर्ष से वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	45.91	(-) 2.54	2.12	24.93	5.76
राजस्व प्राप्तियाँ	1,93,422	2,27,076	2,56,875	2,78,775	3,29,978
राजस्व प्राप्तियों में कुल अनुदान की प्रतिशतता	16.90	14.03	12.67	14.58	13.03

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 में उप मुख्य शीर्षों[11] –केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं हेतु अनुदान (₹ 31,250 करोड़), वित्त आयोग अनुदान (₹ 9,318 करोड़) एवं अन्य हस्तांतरण/अनुदान (₹ 2,421 करोड़) के अन्तर्गत सहायता अनुदान प्राप्त किया। विगत वर्ष (₹ 40,648 करोड) के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में सहायता अनुदान (₹ 42,989 करोड़) में ₹ 2,341 करोड़ की वृद्धि हुई। सहायता अनुदान में वृद्धि मुख्यतः नगर विकास, प्राथमिक शिक्षा तथा खाद्य एवं रसद विभाग हेतु अनुदानों की अधिक प्राप्ति के कारण थी जो जी.एस.टी. के क्रियान्वयन होने के कारण राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति हेतु कम प्राप्ति से प्रतिसंतुलित हुयी।

1.4.1.3 केन्द्रीय कर हस्तांतरण

भारत सरकार संघीय करों एवं शुल्कों जैसे आयकर, सेवाकर, संघीय उत्पाद शुल्क आदि (वर्ष 2017-18 से केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर भी) में राज्य का अंश हस्तांतरित करती है। वर्ष 2014-19 की अवधि में केन्द्रीय कर हस्तांतरण की प्रवृत्तियाँ **सारणी 1.12** में दर्शाई गई है।

[11] योजना और आयोजनेत्तर व्यय के विलय के पश्चात, उप शीर्ष" 'आयोजनेत्तर अनुदान (01)', 'राज्य परियोजना के योजनाओं के लिए अनुदान (02)', 'केन्द्रीय परियोजना के योजना के लिए अनुदान (03)', 'केन्द्र प्रायोजित परियोजना के योजना के अनुदान (04)', 1 अप्रैल 2017 से बन्द कर दिया गया।

सारणी 1.12: केन्द्रीय कर हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
कुल केन्द्रीय कर हस्तांतरण	**66,623**	**90,974**	**1,09,428**	**1,20,939**	**1,36,766**
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर	-	-	-	1,718	33,757
एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर	-	-	-	12,212	2,694
सेवा कर	9,822	15,682	17,515	13,719	1,252
निगम कर से भिन्न आय पर कर	16,614	19,815	24,394	31,280	35,028
संघीय उत्पाद शुल्क	6,084	12,206	17,241	12,761	6,442
निगम कर	23,265	28,603	35,099	37,043	47,563
सम्पत्ति पर कर	63	08	81	(-)2	17
सीमा शुल्क	10,775	14,587	15,098	12,208	9,695
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	0	73	0	0	70
आय तथा व्यय पर अन्य कर	0.56	0.69	0.02	0	248

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2018-19 में कुल केन्द्रीय कर हस्तांतरण, ₹ 1,36,766 करोड़ में से ₹ 36,451 करोड़ एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर मद में था। विगत वर्ष की तुलना में केन्द्रीय करों के हस्तांतरण में कुल वृद्धि ₹ 15,827 करोड़ (13 *प्रतिशत*) थी।

1.4.1.4 वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)

राज्य सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम लागू किया, जो 01 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार जी.एस.टी. के क्रियान्वयन के कारण राज्यों के राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति पाँच वर्षों की अवधि के लिये करेगी। जी.एस.टी. अधिनियम के अन्तर्गत जी.एस.टी. में सम्मिलित करों के लिये राजस्व आंकड़ों हेतु एक आधार वर्ष (वर्ष 2015-16) माना गया था। राज्य के किसी वर्ष के अनुमानित राजस्व की गणना उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व पर अनुमानित वृद्धि दर (14 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष) को लागू कर की जानी थी।

वित्त लेखे में वर्ष 2018-19 के लिये जी.एस.टी. के अन्तर्गत राजस्व आंकड़ों को प्राप्ति के स्वरूपों यथाः राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.), एस.जी.एस.टी. का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रास युटिलाइजेशन एवं आई.जी.एस.टी. (एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर), आई.जी.एस.टी. का विभाजन–एस.जी.एस.टी. के कर घटक का अंतरण एवं आई.जी.एस.टी. का अग्रिम विभाजन के रूप में दर्शाया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रकरण में आधार वर्ष (वर्ष 2015-16) में सम्मिलित करों से राजस्व ₹ 33,359 करोड़ था। अतः, आधार वर्ष के आकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018-19 हेतु अनुमानित राजस्व ₹ 49,428 करोड़ था, जिसके सापेक्ष एस.जी.एस.टी. के रूप में ₹ 46,108 करोड़ संग्रहीत हुआ था। इस धनराशि में भारत सरकार से आई.जी.एस.टी. के अनन्तिम/अग्रिम समाधान के रूप में प्राप्त ₹ 5,424 करोड़ सम्मिलित था। राज्य सरकार ने जी.एस.टी. लागू किये जाने के कारण राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति हेतु भारत सरकार से ₹ 308 करोड़ भी प्राप्त किया।

वस्तु एवं सेवा कर संग्रह की प्रक्रिया में स्वचालन लागू होने के कारण, लेखाओं को प्रमाणित करने के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के संवैधानिक जनादेश की पूर्ति के लिये यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा जॉच को नमूना जॉच से समस्त लेनदेनों की व्यापक जॉच की ओर संक्रमित किया जाये। आंकड़ों तक आवश्यक पहुँच उपलब्ध कराया जाना अभी शेष है। सभी जी.एस.टी. लेनदेनों से संबंधित ऑकडों तक पहुँच का न होना जी. एस.टी. प्राप्तियों की विस्तृत लेखा परीक्षा में बाधा है। इसलिये वर्ष 2018-19 के लिये लेखाओं का प्रमाणीकरण एक बार के अपवाद के रूप में, नमूना जॉच के आधार पर, उसी प्रकार किया गया जैसे तब किया जाता था जब अभिलेखों का रखरखाव हस्तलिखित रूप से किया जाता था ।

1.4.1.5 राजस्व बकाया

31 मार्च 2019 को कुछ मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व बकाया की धनराशि ₹ 30,177.09 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 13,129.57 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं को **सारणी 1.13** में दर्शाया गया है।

सारणी 1.13: राजस्व बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	विभाग का नाम	31 मार्च 2019 को कुल बकाया धनराशि	पांच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया धनराशि
1.	वाणिज्यिक कर	बिक्री कर विभाग	28,987.75	12,668.82
2.	मनोरंजन कर	मनोरंजन एवं बाजीकर विभाग	480.04	10.12
3.	राज्य आबकारी	आबकारी विभाग	54.57	51.41
4.	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	स्टाम्प और पंजीकरण विभाग	654.73	399.22
		योग	**30,177.09**	**13,129.57**

(स्रोतः सम्बन्धित विभाग)

संस्तुतिः *वित्त विभाग को राजस्व बकाया के त्वरित संग्रह हेतु प्रणाली विकसित करनी चाहिये।*

1.4.1.6 संग्रह की लागत

वर्ष 2018-19 में मुख्य राजस्व प्राप्तियों के सम्बन्ध में संग्रह तथा संग्रह की लागत का विवरण **सारणी 1.14** में दर्शाया गया है।

सारणी 1.14: संग्रह की लागत

विवरण	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	संग्रह पर किये गये व्यय की सकल संग्रह के सापेक्ष प्रतिशतता	विगत वर्ष का अखिल भारतीय स्तर पर औसत
	(₹ करोड़ में)			
राज्य वस्तु एवं सेवाकर तथा बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	69,906	750	1.07	0.69
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	15,733	163	1.04	2.96
राज्य आबकारी	23,927	188	0.79	1.83
वाहनों पर कर	6,929	164	2.37	2.61

(स्रोतः सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं वित्त लेखे)

यद्यपि, राज्य आबकारी, वाहनों पर कर तथा स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क के संग्रह की लागत विगत वर्ष के अखिल भारतीय औसत से कम थी, बिक्री व व्यापार इत्यादि पर कर एवं एस.जी.एस.टी. पर करों के संग्रह की लागत अखिल भारतीय औसत संग्रह लागत की लगभग डेढ़ गुना अधिक थी।

***संस्तुति** : वित्त विभाग एवं वाणिज्य विभाग को विश्लेषण करना चाहिये कि एस.जी.एस.टी. एवं बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर संग्रह की लागत अखिल भारतीय औसत संग्रह लागत की लगभग डेढ़ गुना क्यों है तथा संग्रह लागत को कम करने के उपायों को प्रारम्भ करना चाहिये।*

1.4.2 पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत प्राप्तियाँ

वर्ष 2014-19 की अवधि में पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्ति **सारणी 1.15** में दर्शायी गई है।

सारणी 1.15: पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	**35,782**	**75,240**	**67,944**	**47,653**	**56,908**
ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	262	726	259	236	5,313
लोक ऋण प्राप्तियाँ	35,520	74,514	67,685	47,417	51,595
पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत गैर ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	(-) 56	177	(-) 64	(-) 9	2151
पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	138	110	(-) 9	(-) 30	9

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य की कुल ₹ 51,595 करोड़ की लोक ऋण प्राप्तियों में से ₹ 804 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम तथा शेष ₹ 50,791 करोड़ राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण था।

ऋण एवं अग्रिम की कुल वसूली ₹ 5,313 करोड़ में से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (अन्तर राज्यीय विद्युत पारेषण लाइन निर्माण के लिये दिया गया ऋण) से ₹ 4,892 करोड़ तथा सरकारी कर्मचारियों से ₹ 101 करोड़ वसूल किया गया था।

1.4.2.1 आन्तरिक स्रोतों से राज्य सरकार की ऋण प्राप्तियाँ

वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018–19 की अवधि में आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त ऋणों का विवरण **सारणी 1.16** में दर्शाया गया है।

सारणी 1.16: राज्य सरकार की आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बाजार ऋण	17,500	30,000	41,050	41,600	46,000
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	1,732	4,499	8,695	2,933	00
वित्तीय संस्थानों से ऋण	7,176	31,669	16,909	1,781	4,791
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	8,626	7,752	0	0	00
योग	**35,034**	**73,920**	**66,654**	**46,314**	**50,791**
आन्तरिक ऋण प्राप्तियों की कुल लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों की प्राप्तियों से प्रतिशतता	49.03	65.12	58.90	51.43	44.75

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

आन्तरिक ऋण प्राप्तियों में बाजार ऋण एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण में बढ़ोत्तरी के कारण ₹ 4,477 करोड (10 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई तथा यह ₹ 46,314 करोड़ (वर्ष 2017-18) से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 50,791 करोड़ हो गया।

वर्ष 2018-19 में वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्तियॉ ₹ 1,781 करोड़ (वर्ष 2017-18) से बढ़कर ₹ 4,791 करोड़ हो गई जिसका मुख्य कारण राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से लिये गये ऋण में ₹ 3,133 करोड तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) से लिये गये ऋण में ₹ नौ करोड़ की वृद्धि थी जो ग्रामीण विद्युतीकरण कार्पोरेशन लिमिटेड से ₹ 132 करोड़ कम ऋण लिये जाने से प्रतिसंतुलित हुई। राज्य द्वारा निवेशों पर प्राप्त ब्याज से अधिक दर पर उधार लेने के प्रभाव का वर्णन **प्रस्तर 1.6.5** में किया गया है।

1.4.2.2 भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम

वर्ष 2014-19 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण **सारणी 1.17** में दर्शाया गया है।

सारणी 1.17: भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	486	594	1,031	1,103	804

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 में भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत प्राप्तियों में कमी (₹ 299 करोड़) वाह्य सहायतित योजनाओं पर बैक–टू–बैक ऋण के अन्तर्गत कम प्राप्तियों के कारण हुई।

1.4.3 लोक लेखे की प्राप्तियाँ

अल्प बचत, भविष्य निधि और आरक्षित निधियाँ आदि, जो समेकित निधि के अंग नहीं हैं, से सम्बन्धित प्राप्तियाँ एवं संवितरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अन्तर्गत स्थापित लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं ये विधायिका के मत के अधीन नहीं

होते हैं। इनके सम्बन्ध में सरकार एक बैंकर अथवा ट्रस्टी की भॉति काम करती है। वित्त लेखे के **विवरण–21** मे लोक लेखे की प्राप्तियों एवं संवितरण की स्थिति दी गयी है तथा लोक लेखे (निवल) का विवरण **सारणी 1.18** में दर्शाया गया है।

सारणी 1.18: लोक लेखे (निवल) की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत संसाधन	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
लोक लेखे (निवल)	**2,185**	**1,678**	**9,883**	**6,088**	**19,923**
क. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	1,686	1,534	1,619	2,530	3,646
ख. आरक्षित निधि	(-) 2,694	2,561	7,225	8,265	13,545
ग. जमा एवं अग्रिम	1,050	(-)1,543	(-)301	1,414	2,196
घ. उचन्त एवं विविध	535	(-)677	592	(-)2,215	223
ड. प्रेषण	1,608	(-)197	748	(-)3,906	313

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

आरक्षित निधियों के अन्तर्गत लेन–देनों के प्रभाव का वर्णन **प्रस्तर 1.7.2** में किया गया है।

1.5 संसाधनों के अनुप्रयोग

1.5.1 व्यय के संघटन एवं उनमें वृद्धियाँ

चार्ट 1.7 एवं **चार्ट 1.8** वर्ष 2014-19 की अवधि में क्रमशः कुल व्यय की प्रवृतियों एवं उनके घटकों को प्रस्तुत करता है।

चार्ट 1.7: कुल व्ययः प्रवृत्ति एवं संघटन

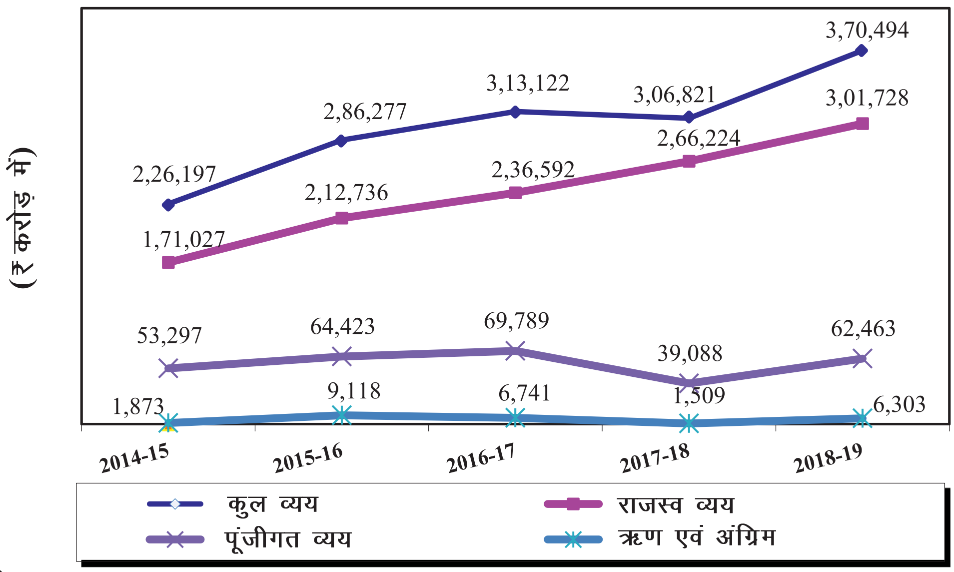

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.8 : कुल व्यय : कार्यकलापवार व्यय

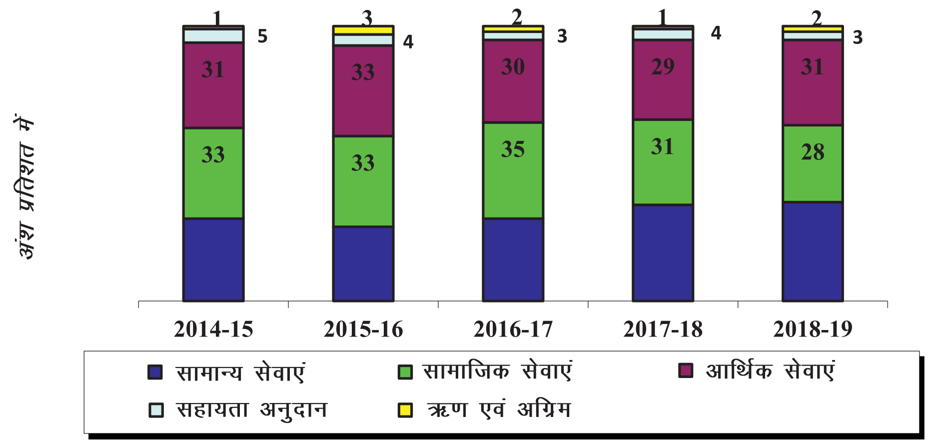

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

1.5.1.1 राजस्व व्यय

कुल व्यय का प्रमुख घटक राजस्व व्यय ही बना रहा एवं इसका अंश 75.61 *प्रतिशत* (वर्ष 2014-15) से बढकर 81.44 *प्रतिशत* (वर्ष 2018-19) हो गया। राजस्व व्यय का विवरण **सारणी 1.19** में दिया गया है।

सारणी 1.19: राजस्व व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व व्यय	1,71,027	2,12,736	2,36,592	2,66,224	3,01,728
राजस्व व्यय की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	8.14	24.39	11.21	12.52	13.34

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2017-18 के सापेक्ष वर्ष 2018-19 के राजस्व व्यय में ₹ 35,504 करोड़ (13 *प्रतिशत*) की समग्र वृद्धि हुई थी। वर्ष 2018-19 में वृद्धि मुख्यतः अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम[12] (₹ 8,578 करोड़), विद्युत विभाग[13] (₹ 8,149 करोड़), पेंशन एवं अन्य सेवानिवृतिक लाभ[14] (₹ 5,547 करोड), पुलिस[15] (₹ 2,386 करोड़), शहरी विकास[16] (₹ 1,386 करोड़) तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण[17] (₹ 1,758 करोड़) के अन्तर्गत थी। विगत वर्ष के सापेक्ष कमी मुख्यतः कृषि कर्म के अन्तर्गत[18] (₹ 15,548 करोड़) थी।

---

[12] वृद्धि मुख्य रूप से पंचायती राज विकास कार्यक्रम (₹ 5,905 करोड़) और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (₹ 2,049 करोड़) के अन्तर्गत अधिक व्यय के कारण हुयी।

[13] वृद्धि मुख्य रूप से पी एस यू (₹ 4,892 करोड़) को सहायता और विद्युत के ट्रांसमिशन एवं वितरण (₹ 3,257 करोड़) के सम्बन्ध में अन्य विविध व्यय के कारण हुयी थी

[14] वृद्धि मुख्य रूप से सेवानिवृति और सेवानिवृतिक भत्ते (₹ 1,544 करोड़), परिवार पेंशन (₹ 507 करोड़) आदि पर व्यय के कारण थी। यद्यपि, क्रमशः पेंशन के रूपान्तरित मूल्य (₹ 986 करोड़) और उपादान (₹ 297 करोड़) के कारण कमी हुई।

[15] वृद्धि मुख्य रूप से जिला पुलिस (₹ 1,805 करोड़), विशेष पुलिस (₹ 203 करोड़) तथा पुलिस समारोह से सम्बन्धित व्यय (₹ 143 करोड़) के कारण हुयी।

[16] वृद्धि मुख्य रूप से शहरी विकास योजनाओं (₹ 988 करोड़) के द्वारा निर्माण पर अधिक खर्च, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (₹ 370 करोड़), निगम/परिषद को सहायता (₹ 229 करोड़), आदि के कारण हुई।

[17] वृद्धि मुख्य रूप से बाल कल्याण (₹ 1,564 करोड़) तथा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (₹ 323 करोड़) के कारण हुई।

[18] मुख्य रूप से फसल कृषि कर्म के अर्न्तगत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (₹ 2,110 करोड़), लघु/सीमांत कृषकों एवं कृषक मजदूरों (₹ 15,250 करोड़) की योजना पर व्यय मे कमी के कारण थी।

1.5.1.2 वचनबद्ध व्यय

राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत सरकार के वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान (₹ 32,042 करोड़), वेतन एवं मजदूरी (₹ 91,325 करोड़), पेंशन (₹ 44,024 करोड़) तथा सब्सिडी (₹ 14,053 करोड़) पर व्यय सम्मिलित है। वर्ष 2014-19 की अवधि में वचनबद्ध व्यय की प्रवृत्तियॉ **सारणी 1.20** में प्रस्तुत की गयी हैं।

सारणी 1.20: वचनबद्ध व्ययों के घटकों की प्रवृत्तियॉ

(₹ करोड़ में)

वचनबद्ध व्ययों के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
वेतन* एवं मजदूरी, जिसमें से	62,147 (32)	74,439 (33)	85,416 (33)	85,076 (31)	1,03,264	91,325 (28)
आयोजनेत्तर शीर्ष	51,195	58,537	66,424			
आयोजनागत शीर्ष**	10,952	15,902	18,992			
ब्याज भुगतान	18,865 (10)	21,448 (9)	26,936 (11)	29,136 (10)	32,434	32,042 (10)
पेंशन पर व्यय	22,305 (11)	24,150 (11)	28,227 (11)	38,476 (14)	45,495	44,024 (13)
सब्सिडी	7,661 (4)	7,691 (3)	8,045 (3)	9,284 (3)	11,564	14,053 (4)
वचनबद्ध व्यय का योग	**1,10,978 (57)**	**1,27,728 (56)**	**1,48,624 (58)**	**1,61,972 (58)**	**1,92,757**	**1,81,444 (55)**

राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष प्रतिशत कोष्ठक में इंगित किये गये है।
*सहायता अनुदान से भुगतान किया गया वेतन भी सम्मिलित है।
**वर्ष 2017-18 से आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर के विभाजन का विलय हो गया है।

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे एवं महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा संकलित आंकड़े)

वर्ष 2018-19 में वचनबद्ध व्यय (₹ 1,81,444 करोड़), जो राजस्व प्राप्ति (₹ 3,29,978 करोड़) का 55 *प्रतिशत* था, राजस्व व्यय का एक प्रमुख घटक रहा और जिसने कुल राजस्व व्यय (₹ 3,01,728 करोड़) के 60 *प्रतिशत* का उपभोग किया।

1.5.1.3 परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना/राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद भर्ती किए गए राज्य सरकार के कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डी.सी.पी.एस./एन.पी.एस.) से आच्छादित हैं। यह सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वायत्त निकायों के नए प्रवेशकों पर भी लागू है। योजना के अन्तर्गत, सरकारी कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 *प्रतिशत* अंशदान देते हैं, जिसमें राज्य सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान दिया जाता है और सम्पूर्ण धनराशि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबन्धक को हस्तांतरित की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, दोनों अंशदानों को प्रारंभ में लोक लेखे के अन्तर्गत संबंधित मुख्य लेखाशीर्ष 8342–अन्य जमा–117 डी.सी.पी.एस. सरकारी कर्मचारियों के लिए अथवा 120–विविध जमा में, शासकीय सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं तथा स्वायत्त शासी निगमों के कर्मचारियों के लिए जमा किया जाना था। उसके पश्चात्, माह के अंशदान की समस्त धनराशि को अगले माह तक ट्रस्टी बैंक को स्थानान्तरित किया जाना था ।

तथापि राज्य सरकार ने उपरोक्त प्रक्रिया का सम्पूर्णता में पालन नहीं किया। सरकारी कर्मचारियों तथा शासकीय सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के कर्मचारियों के संदर्भ में राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में लेखाशीर्ष 2071-01-117 परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत शासकीय अंशदान के रूप में ₹ 1,768.40 करोड़ (₹ 1,221.40 करोड़ शासकीय कर्मचारियों के लिए तथा शासकीय सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए ₹ 547.00 करोड़) का व्यय किया। इसके सापेक्ष वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा मात्र ₹ 1,237.81 करोड़ (सरकारी कर्मचारियों के लिए ₹ 1,215.17 करोड़ तथा शासकीय सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए ₹ 22.64 करोड़) शासकीय अंशदान के रूप में मुख्य लेखाशीर्ष 8342–अन्य जमा में अंतरित किया गया। जैसा कि वित्त लेखे में उल्लिखित है, राज्य सरकार द्वारा इसे अन्तरित न किये जाने के कारणों से अवगत नहीं कराया गया । इस प्रकार, ₹ 530.59 करोड़ का शासकीय अंशदान, यद्यपि लेखाओं में राजस्व व्यय के रूप में पुस्तांकित था, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना हेतु निर्धारित मुख्यशीर्ष 8342 में अंतरित नहीं किया गया था।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या 3 वर्ष 2019) में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31 मार्च 2018 तक नियत प्राधिकारी को परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत ₹ 1,379.95 करोड़ कम हस्तान्तरित किये जाने का प्रकरण प्रतिवेदित था।

मुख्यशीर्ष 8342–अन्य जमा के अन्तर्गत प्राप्ति एवं व्यय से उद्घटित हुआ कि राज्य सरकार द्वारा परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में कर्मचारियों के अंशदान[19] ₹ 2,218.98 करोड़ के सापेक्ष शासकीय अंशदान के रूप में ₹ 1,237.81 करोड़ का हस्तांतरण किया गया था । इस प्रकार, राज्य सरकार ने अपने सांविधिक उत्तरदायित्वों को नहीं निभाया क्योंकि यह परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में समतुल्य अंशदान के रूप में ₹ 981.17 करोड का अंशदान करने में विफल रही । अग्रेतर, वर्ष 2018-19 में संग्रहित सम्पूर्ण अंशदान, ₹ 3,456.79 करोड़ (कर्मचारियों का अंशदान तथा शासकीय अंशदान) में से ₹ 153.25 करोड़ राज्य सरकार द्वारा नियत प्राधिकारी के पास जमा नहीं किये गये थे। इस प्रकार, वर्ष 2018-19 में योजना के प्रावधानों के अनुसार अग्रेतर निवेश हेतु नियत प्राधिकारी को ₹ 1,134.42 करोड (₹ 981.17 करोड़ + ₹ 153.25 करोड़) कम हस्तांतरित किये गये थे। इस प्रकार, वर्तमान देयताओं को भविष्य के वर्ष(ों) के लिए स्थगित किया गया था।

अग्रेतर, राज्य सरकार ने कर्मचारियों को देय लाभों/सरकार की भावी परिहार्य वित्तीय देयताओं के सम्बन्ध में अनिश्चितता उत्पन्न की और इस प्रकार योजना को ही संभावित विफलता की ओर अग्रसर किया।

संस्तुतिः *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारियों के अंशदान की कटौती पूरी तरह से की जाए, सरकार द्वारा अपना पूर्ण अंशदान दिया जाए तथा इन्हें*

[19] राज्य सरकार के कर्मचारी, शासकीय सहायता संस्थाओं के कर्मचारी एवं स्वायत निकायों।

एन.एस.डी.एल. के माध्यम से नामित निधि प्रबन्धक को समयबद्ध तरीके से सम्पूर्ण रूप से स्थानान्तरित किया जाए।

1.5.1.4 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय का विवरण **सारणी 1.21** में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 1.21: पूंजीगत व्यय का विवरण

(₹ करोड में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पूंजीगत व्यय	53,297	64,423	69,789	39,088	62,463
पूँजीगत व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	62.18	20.88	8.33	(-) 43.99	59.80
वर्तमान दर पर स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के आधार पर पूँजीगत व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	5.27	5.67	5.59	2.84	4.05

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान पूंजीगत व्यय में 60 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जबकि पूंजीगत व्यय में 44 प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी कृषि ऋण माफी हेतु पर्याप्त बजट प्रावधान के कारण हुई थी। वर्ष 2018-19 के दौरान वृद्धि के बावजूद, पूंजीगत व्यय वर्ष 2016-17 के स्तर को प्राप्त नही कर सका, जबकि राजस्व व्यय में वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2018-19 के मध्य 28 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। **चार्ट 1.9** में वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 की अवधि में पूंजीगत व्यय के लिए बजट प्रावधान एवं इसके सापेक्ष वास्तविक पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है।

चार्ट 1.9 : राजस्व व्यय की प्रवृत्तियां

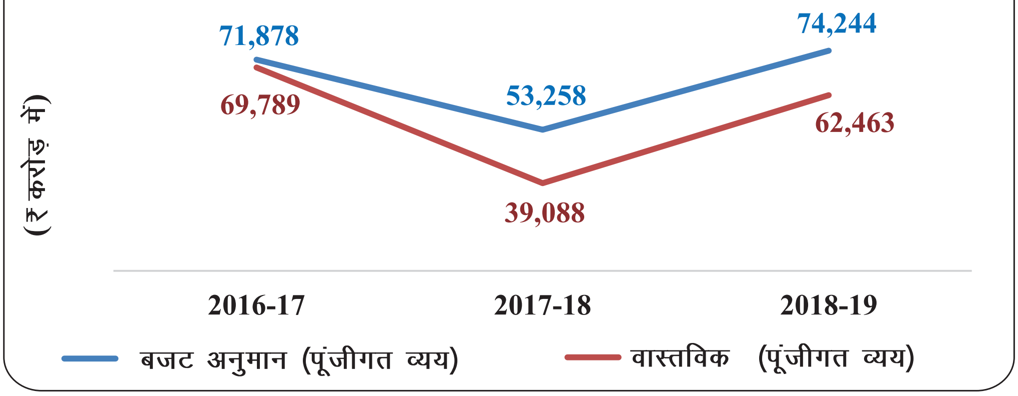

वर्ष 2018-19 में, कुल ₹ 62,463 करोड़ के पूंजीगत व्यय में से राज्य सरकार ने ₹ 13,753 करोड़ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.), सांविधिक निगमों एवं सहकारी समितियों में निवेश किया, जिसमें से ₹ 13,409 करोड़ ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में ग्रामीण क्षेत्रों के त्वरित विद्युतीकरण कार्यक्रम, वितरण तथा पारेषण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य योजना आदि में अंश पूँजी के रूप में निवेशित किया गया। अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सड़कों एवं पुलों पर ₹ 19,816 करोड़, मुख्य सिचाईं पर ₹ 3,789 करोड़, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर ₹ 3,407 करोड, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) पर ₹ 2,597 करोड़, खाद्य भण्डारण एवं भण्डारागार पर ₹ 2,370 करोड़,

जल आपूर्ति एवं सफाई पर ₹ 2,222 करोड़, नागर विमानन पर ₹ 2,134 करोड़ तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर ₹ 2,054 करोड़ का व्यय किया गया।

1.5.2 व्यय की गुणवत्ता

1.5.2.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में विकास व्यय, सामाजिक सेवाओं पर व्यय, आर्थिक सेवाओं पर व्यय तथा पूंजीगत व्यय की सामान्य श्रेणी के राज्यों से तुलना **सारणी 1.22** में प्रस्तुत की गयी है।

सारणी 1.22: वर्ष 2014-15 एवं 2018-19 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकताएं

(*प्रतिशत* में)

राजकोषीय प्राथमिकता (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता)		ए.ई./ स.रा.घ.उ.	डी.ई.#/ ए.ई.	एस.एस.ई. /ए.ई.	ई.एस.ई. /ए.ई.	सी.ई./ ए.ई.	शिक्षा/ ए.ई.	स्वास्थ्य/ ए.ई.
2014-15	सामान्य श्रेणी के राज्यों* का औसत (अनुपात)	15.99	68.51	36.15	32.36	14.02	16.54	4.92
	उत्तर प्रदेश	22.36	64.86	32.89	31.97	23.56	15.62	5.29
2018-19	सामान्य श्रेणी राज्यों* का औसत (अनुपात)	16.05	67.04	36.59	30.45	14.28	14.99	5.07
	उत्तर प्रदेश	24.02	60.39	27.63	32.76	16.86	13.13	4.89

ए.ई.:कुल व्यय, डी.ई.; विकास व्यय, एस.एस.ई.: सामाजिक सेवाओं पर व्यय, ई.एस.ई.: आर्थिक सेवाओं पर व्यय, सी.ई.: पूंजीगत व्यय।

* वर्ष 2018-19 में गोवा के आंकड़े पुनरीक्षित अनुमान पर आधारित है।

\# विकास व्यय में विकास पर राजस्व व्यय, विकास पर पूंजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम संवितरण सम्मिलित है।

वर्ष 2018-19 के दौरान विकास व्यय, शिक्षा, स्वास्थ्य पर व्यय एवं सामाजिक सेवाओं पर व्यय का कुल व्यय के सापेक्ष अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था। वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2018-19 में, पूंजीगत व्यय के साथ–साथ सामाजिक सेवाओं पर व्यय के अनुपात में कमी का कारण वर्ष 2014-19 की अवधि में कुल व्यय की वृद्धि दर (64 *प्रतिशत)* की तुलना में पूंजीगत व्यय (17 *प्रतिशत*) एवं सामाजिक सेवाओं पर व्यय (38 *प्रतिशत*) में कम वृद्धि दर थी।

1.5.2.2 व्यय में दक्षता

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रखरखाव पर पूंजीगत एवं राजस्व व्यय का विवरण **सारणी 1.23** में दर्शाया गया है।

सारणी 1.23: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किये गये व्यय की दक्षता

सामाजिक/आर्थिक अवसंरचना	2017-18			2018-19		
	पूंजीगत व्यय का कुल व्यय में अनुपात	राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)		पूंजीगत व्यय का कुल व्यय में अनुपात	राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	
		वेतन एवं मजदूरी	परिचालन एवं अनुरक्षण		वेतन एवं मजदूरी	परिचालन एवं अनुरक्षण
योग (सामाजिक सेवायें)	12.08	50,533	393	10.34	52,903	266
योग (आर्थिक सेवायें)	27.31	11,544	4,567	39.92	12,554	4,308
योग (सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें)	19.46	62,077	4,960	26.39	65,457	4,574

सामाजिक/आर्थिक अवसंरचना	2017-18			2018-19		
	पूंजीगत व्यय का कुल व्यय में अनुपात	राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)		पूंजीगत व्यय का कुल व्यय में अनुपात	राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	
		वेतन एवं मजदूरी	परिचालन एवं अनुरक्षण		वेतन एवं मजदूरी	परिचालन एवं अनुरक्षण
सामाजिक सेवाओं के मुख्य घटक						
शिक्षा	1.99	40,757	13	2.04	42,136	16
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	12.49	8,050	152	12.48	8,836	151
जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवासीय तथा नगरीय विकास	52.63	159	204	40.11	169	77
आर्थिक सेवाओं के मुख्य घटक						
कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	5.55	3,228	22	19.52	3,496	37
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	30.80	2,840	2,205	44.96	3,014	2,039
शक्ति एवं ऊर्जा	53.72	38	00	45.65	41	00
परिवहन	66.87	120	2,323	82.92	128	2,220

(स्रोतः वित्त लेखे एवं महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा संकलित वी.एल.सी. आंकड़े वर्ष 2017-18 एवं 2018-19)

1.5.2.3 विकास एवं विकासेत्तर व्यय

राजस्व शीर्ष के व्यय, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बन्धित सभी व्यय सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं एवं सामान्य सेवाओं में श्रेणीबद्ध किए जाते हैं। सामान्यतः सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किये गये व्यय विकास व्यय के अन्तर्गत आते हैं जबकि सामान्य सेवाओं पर किया गया व्यय विकासेत्तर व्यय माना जाता है।

वर्ष 2014-19 की अवधि में सरकार द्वारा किये गये विकास एवं विकासेत्तर व्यय की वृद्धि दर **सारणी 1.24** में प्रस्तुत की गयी है।

सारणी 1.24: विकास एवं विकासेत्तर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व व्यय	1,71,027	2,12,736	2,36,592	2,66,224	3,01,728
पूंजीगत व्यय	53,297	64,423	69,789	39,088	62,463
ऋण एवं अग्रिम	1,873	9,118	6,741	1,509	6,303
कुल व्यय	**2,26,197**	**2,86,277**	**3,13,122**	**3,06,821**	**3,70,494**
विकास व्यय	1,46,705	1,98,456	2,08,290	1,86,578	2,23,744
विकास व्यय की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	25	35	05	(-)10	20
विकासेत्तर व्यय	79,492	87,821	1, 04,832	1,20,243	1,46,750
विकासेत्तर व्यय की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	6	10	19	15	22

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

1.6 शासकीय व्यय एवं निवेश

1.6.1 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा सिंचाई परियोजनाओं की लागत वसूली दर (राजस्व व्यय के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ) का निर्धारण इन परियोजनाओं की वाणिज्यिक

उपादेयता के आकलन हेतु किया गया था। वर्ष 2014-19 की अवधि में राज्य में सिंचाई परियोजनाओं की लागत वसूली दर की स्थिति **सारणी 1.25** में प्रदर्शित है।

सारणी 1.25: सिंचाई परियोजनाओं की लागत वसूली की स्थिति

वर्ष	राजस्व व्यय	राजस्व प्राप्तियाँ	तेरहवें (2010-15)/ चौदहवें (2015-20) वित्त आयोग द्वारा लागत वसूली का निर्धारण	राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ	लागत वसूली में अन्तर
	₹ करोड़ में		*प्रतिशत में*		
2014-15	5,009	397	75	8	67
2015-16	4,891	651	35	13	22
2016-17	5,230	782	35	15	20
2017-18	6,706	953	35	14	21
2018-19	6,534	908	35	14	21

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे एवं तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन)

वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 की अवधि में लागत वसूली के अन्तर में एक *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। यद्यपि, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों की तुलना में और सुधार की सम्भावना है।

***संस्तुतिः** राज्य सरकार को सिंचाई परियोजनाओं पर लागत वसूली में अग्रेतर सुधार हेतु उपाय प्रारम्भ करने चाहिये।*

1.6.2 अपूर्ण परियोजनाएँ

अपूर्ण कार्यों पर निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अपूर्ण कार्यों का विवरण, जैसा कि वित्त लेखे में दिया गया है, का सार **सारणी 1.26** में दर्शाया गया है।

सारणी 1.26: 31मार्च 2019 को अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक आंकलित लागत	पुनरीक्षित लागत वाले परियोजनाओं की संख्या	पुनरीक्षित परियोजनाओं की आंकलित लागत	
				प्रारम्भिक आंकलित लागत	पुनरीक्षित आंकलित लागत
लोक निर्माण विभाग (सड़कें एवं सेतु)	568	11,805	16	374	494
सिंचाई विभाग	24	411	02	36	38
योग	**592**	**12,216**	**18**	**410**	**532**

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2018-19 का परिशिष्ट IX)

कुल 592 अपूर्ण परियोजनाओं में से केवल 18 परियोजनाओं की आंकलित लागत पुनरीक्षित की गयी (आंकलित लागत में कुल वृद्धि 30 *प्रतिशत*)। चूँकि राज्य सरकार द्वारा शेष अपूर्ण परियोजनाओं की लागत का मूल्यांकन नहीं किया गया अतः इन परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु निधियों की आवश्यकता का निर्धारण नहीं किया जा सका।

संस्तुतिः *वित्त विभाग एवं सम्बन्धित विभागों को समस्त अपूर्ण परियोजनाओं की लागत का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए तथा अपूर्ण परियोजनाओं को नियत अवधि में पूर्ण करने हेतु प्रक्रिया तंत्र को विकसित करना चाहिए।*

1.6.3 निवेश एवं प्रतिफल

वर्ष 2014-19 की अवधि में निवेशों पर प्रतिफल की स्थिति **सारणी 1.27** में दर्शायी गयी है।

सारणी 1.27: निवेशों पर प्रतिफल

निवेश/प्रतिफल/लिये गये उधार की लागत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वर्ष के अन्त तक निवेश[20] (₹ करोड़ में)	58,606	84,357	96,400	1,04,779	1,18,532
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	8.08	42.66	86.34	30.84	175.48
प्रतिफल (*प्रतिशत*)	0.01	0.05	0.09	0.03	0.15
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर औसत ब्याज दर[21] (*प्रतिशत*)	6.40	6.35	6.82	6.54	6.50
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर ब्याज दर एवं निवेशों पर प्राप्त ब्याज में अन्तर (*प्रतिशत*)	6.39	6.30	6.73	6.51	6.35
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर ब्याज दर एवं निवेशों पर प्राप्त प्रतिफल में अन्तर के कारण कल्पित हानि (₹ करोड़ में)	3,745	5,315	6,488	6,821	7,527

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

विगत पांच वर्षो में सरकार की ऋण लागत तथा विभिन्न संस्थानों की अंशपूंजी एवं ऋणपत्र में निवेश के प्रतिफल की दर में अन्तर के कारण राज्य सरकार को ₹ 29,896 करोड की कल्पित हानि हुई।

1.6.4 सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाएं

उ. प्र. प्रादेशीय औद्योगिक एवं निवेश निगम लिमिटेड (पिकप)[22], द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को 60 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं (पी.पी.पी.) का विवरण (**वित्त लेखे भाग–1** का **परिशिष्ट–जी**), जिनमें डेवलपर का चयन किया जा चुका है, उपलबध कराया गया, इनमें **₹** 91,609.13 करोड़ की धनराशि निहित थी।

1.6.5 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों तथा कम्पनियों में निवेश के साथ–साथ राज्य सरकार इनमें से कई संस्थाओं/संगठनों, सरकारी कर्मचारियों को प्रदत्त ऋण तथा अग्रिम सहित, को ऋण तथा अग्रिम भी उपलब्ध करा रही थी। विवरण **सारणी 1.28** में दर्शाया गया है।

[20] सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, सहकारी समितियाँ एवं बैंक।
[21] ब्याज भुगतान/[(विगत वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]x 100
[22] पिकप राज्य सरकार का वित्तीय संस्थान है।

सारणी 1.28: राज्य सरकार को ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
ऋणों एवं अग्रिमों के प्रारंभिक अवशेष	12,456	14,067	22,459	28,447	29,720
वर्ष के दौरान अग्रिम धनराशि	1,873	9,118	6,741	1,509	6,303
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतानित धनराशि	262	726	259	236	5,313
ऋणों एवं अग्रिमों के अन्तिम अवशेष	14,067	22,459	28,447	29,720	30,710
ऋणों एवं अग्रिमों में निवल वृद्धि	1,611	8,392	5,988	1,273	990
ब्याज प्राप्तियाँ	14	26	566	606	624
बकाया ऋणों एवं अग्रिमों के सापेक्ष ब्याज प्राप्तियों की प्रतिशतता[23]	0.11	0.14	2.22	2.08	2.07
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर औसत ब्याज दर[24] (*प्रतिशत*)	6.40	6.35	6.82	6.54	6.50
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर ब्याज दर और ऋणों पर प्राप्त ब्याज की दर के मध्य अन्तर (*प्रतिशत* में)	6.29	6.21	4.60	4.46	4.43
वर्ष के दौरान सरकार द्वारा लिये गये उधार पर ब्याज दर और संवितरित ऋणों पर प्राप्त ब्याज के मध्य अन्तर के कारण कल्पित हानि (₹ करोड़ में)	118	566	310	67	279

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष के दौरान कुल पुनर्भुगतानित धनराशि (₹ 5,313 करोड़) में से ₹ 4,892 करोड़ (92 *प्रतिशत*) ऊर्जा विभाग द्वारा पुनर्भुगतानित किये गये थे। विगत पाँच वर्षों की अवधि में राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों से प्राप्त ब्याज तथा लिये गये उधार पर भुगतानित ब्याज की दर में अन्तर के कारण राज्य सरकार को ₹ 1,340 करोड़ की कल्पित हानि हुई।

सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण वित्त लेखे के **विवरण–18** के **भाग एक** में दिया गया है तथा उन इकाइयों, जिनके सापेक्ष ऋण के पुनर्भुगतान अवशेष थे, का विवरण वित्त लेखे के **विवरण–18** के **भाग दो** में दिया गया है।

संस्तुति: *राज्य सरकार को अपने निवेश तथा विभिन्न इकाइयों को दिये गये ऋण को इस प्रकार तर्कसंगत बनाना चाहिए जिससे निवेश तथा ऋण पर प्रतिफल कम से कम सरकार की ऋण लागत से मेल खाये।*

1.6.6 रोकड़ अवशेष एवं रोकड़ अवशेषों का निवेश

रोकड़ अवशेष तथा रोकड़ अवशेषों के निवेश का विवरण **सारणी 1.29** में दर्शाया गया है।

---

[23] ब्याज प्राप्ति/[(ऋण एवं अग्रिम का, प्रारम्भिक अवशेष + अन्तिम अवशेष)/2] x 100

[24] ब्याज भुगतान/[(विगत वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2] x 100

सारणी 1.29: रोकड़ अवशेष एवं रोकड़ अवशेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2018 को प्रारम्भिक अवशेष	31 मार्च 2019 को अन्तिम अवशेष
(अ) सामान्य रोकड़ अवशेष		
कोषागारों में रोकड़	00	00
रिजर्व बैंक के पास जमा	265.21	171.10
मार्गस्थ प्रेषण–स्थानीय	00	00
योग	**265.21**	**171.10**
रोकड़ अवशेष निवेश लेखा में रखे गये निवेश	11,159.38	26,684.36
योग (अ)	**11,424.59**	**26,855.46**
(ब) अन्य रोकड़ अवशेष एवं निवेश		
विभागीय अधिकारियों यथा लोक निर्माण विभाग के विभागीय अधिकारी, वन विभाग के विभागीय अधिकारी, जिलाधिकारी के पास रोकड	10.87	10.96
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.49	0.49
उद्दिष्ट निधियों के निवेश	45.20	45.20
योग (ब)	**56.56**	**56.65**
महायोग (अ)+ (ब)	**11,481.15**	**26,912.11**

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2018-19)

वर्ष 2018-19 में, रोकड़ अवशेष निवेश लेखे में निवेश राशि का प्रारंभिक अवशेष ₹ 11,159.38 करोड़ था। इस अवधि में ₹ 5,44,061.14 करोड़ के ट्रेजरी बिल एवं ₹ 79.67 करोड़ के भारत सरकार की दीर्घकालिक प्रतिभूतियों का क्रय किया गया और इन्हीं मदों में क्रमशः ₹ 5,28,532.26 करोड़ एवं ₹ 83.57 करोड़ के इन लेखपत्रों की बिक्री की गयी तथा वर्ष के अन्त में खाते में ₹ 26,684.36 करोड़ की राशि अवशेष थी। भारत सरकार की दीर्घकालिक प्रतिभूतियों एवं ट्रेजरी बिल्स में निवेश पर क्रमशः ₹ 1,070.23 करोड़ और ₹ 18.33 करोड़ ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ था।

रोकड़ अवशेष निवेश लेखा के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार के ट्रेजरी बिलो के लेनदेनों में राज्य सरकार द्वारा निवेश, वर्ष 2015-16 में ₹ 1,43,679 करोड़ से लगातार बढ़ते हुए वर्ष 2018-19 में ₹ 5,44,061 करोड़ हो गया। रोकड़ अवशेष निवेश खाते मे नकद आधिक्य में भी विगत तीन वर्षो की अवधि में ₹ 888 करोड़ (31 मार्च 2017) से ₹ 26,855 करोड़ (31 मार्च 2019) की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि में राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 में राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने हेतु ₹ 46,000 करोड़ का बाजार ऋण लिया था। अतः नकद आधिक्य के अवशेष का उपयोग करते हुए बाजार ऋण के परिमाण और इसके फलस्वरूप आंतरिक ऋण पर ब्याज के भार को कम किये जाने की सम्भावना थी।

1.6.7 रोकड़ अवशेष में भिन्नता

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत अवशेषों के सत्यापन प्रमाण–पत्र के अनुसार, माह मार्च 2019 के लिये राज्य का क्रेडिट अवशेष ₹ 122.02 करोड़ था जबकि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रमाणित अन्तिम रोकड़ अवशेष ₹ 171.10 करोड़ था। इस प्रकार, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा आगणित एवं भारतीय रिजर्व

बैंक द्वारा सूचित (31.03.2019 को) राज्य सरकार के रोकड़ अवशेष में, विगत वर्षों के अवशेषों सहित, ₹ 49.08 करोड़ का अन्तर था, जिसका मिलान प्रक्रियाधीन था।

राज्य सरकार द्वारा बताया गया (जुलाई 2020) कि कोषागारों को रोकड़ अवशेष में भिन्नता का मिलान करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए गए है तथा वे भिन्नता के मिलान की प्रक्रिया में हैं।

1.7 परिसम्पत्तियाँ एवं देयतायें

1.7.1 परिसम्पत्तियों एवं देयताओं में वृद्धि एवं संघटन

यद्यपि सरकारी लेखाकरण पद्धति में स्थायी परिसम्पत्तियों जैसे भूमि तथा भवन, जिनका स्वामित्व सरकार के पास है, का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है, किन्तु किये गये व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों तथा वित्तीय देयताओं के लेखांकन से इन्हें निकाला जा सकता है। 31 मार्च 2018 के सापेक्ष 31 मार्च 2019 को ऐसी सम्पत्तियों तथा दायित्वों का समतुल्य सार ***परिशिष्ट 1.7*** में दिया गया है। जबकि दायित्व के अन्तर्गत मुख्यतः आन्तरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम और लोक लेखे तथा आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं, सम्पत्तियों के अन्तर्गत मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम और रोकड़ अवशेष सम्मिलित हैं।

1.7.2 आरक्षित निधियों के अन्तर्गत लेन–देन

वर्ष 2018-19 में, राज्य सरकार ने राज्य के लोक लेखे के अन्तर्गत विभिन्न आरक्षित निधियों में, जो विशिष्ट उद्देश्यों हेतु सृजित थीं, ₹ 13,545 करोड़ का निवल अन्तरण किया। विवरण ***परिशिष्ट 1.8*** में दिया गया है एवं **सारणी 1.30** में सारांशीकृत किया गया है।

सारणी 1.30: वर्ष 2018-19 में आरक्षित निधियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को प्रारम्भिक अवशेष	2018-19 में प्राप्तियाँ	2018-19 में संवितरण	31 मार्च 2019 को अन्तिम अवशेष
(अ) ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ					
1	8115-मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधि *निवेश*	0.00 (-) 44.42	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 (-) 44.42
	योग (अ) ***निवेश***	**0.00** (-) ***44.42***	**0.00** ***0.00***	**0.00** ***0.00***	**0.00** (-) ***44.42***
(ब) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ					
1	8222-निक्षेप निधि	57,469.62	26,403.95	12,693.33	71,180.24
2	8223-अकाल राहत निधि *निवेश*	0.00 *(-) 0.78*	0.00 *0.00*	0.00 *0.00*	0.00 *(-)0.78*
3	8225-सड़क एवं सेतु निधि	(-)321.46	3,000.00	2,949.53	(-)270.99
4	8226-मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधि	(-)7.99	0.00	0.00	(-)7.99
5	8229-विकास एवं कल्याण निधि	962.80	0.20	191.24	771.76
6	8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	1,177.10	692.95	718.30	1,151.75
	योग (ब) ***निवेश***	**59,280.07** ***(-) 0.78***	**30,097.10** ***0.00***	**16,552.40** ***0.00***	**72,824.77** ***(-) 0.78***
	महायोग ***निवेश***	**59,280.07** ***(-) 45.20***	**30,097.10** ***0.00***	**16,552.40** ***0.00***	**72,824.77** ***(-) 45.20***

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2018-19)

दिनांक 31 मार्च 2019 को 35 आरक्षित निधियों में से 14 संचालित थीं जिसमें ₹ 72,804 करोड़ अवशेष थे तथा 21 असंचालित निधियां थीं जिसमें ₹ 21 करोड़ (शून्य अवशेष वाली 18 निधियों सहित) अवशेष था। वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार ने विभिन्न आरक्षित निधियों में ₹ 13,544.70 करोड़ का निवल अन्तरण किया था। यह सभी लेनदेन पुस्तकीय समायोजन के रूप में थे। आरक्षित निधियों में से कोई निवेश नहीं किया गया था, केवल दो असंचालित आरक्षित निधियों को छोड़कर जिनके सापेक्ष ₹ 45.20 करोड़ की धनराशि मुख्य शीर्ष 8115–मूल्यह्रास आरक्षित निधि (₹ 44.42 करोड़) तथा मुख्य शीर्ष 8223–अकाल राहत निधि (₹ 0.78 करोड़) का निवेश दशकों पूर्व किया गया था। अग्रेतर, 8225–सड़क एवं सेतु निधि तथा 8226–ह्रास/नवीनीकरण विशिष्ट आरक्षित निधियों के अन्तर्गत ऋणात्मक अवशेष थे जिन्हें समेकित निधि से विनियोग द्वारा विनियमित कराये जाने की आवश्यकता है। कुछ आरक्षित निधियों के लेनदेनों के सम्बन्ध में विस्तृत विश्लेषण आगे के प्रस्तरों में किया गया है।

1.7.2.1 निक्षेप निधि

समेकित निक्षेप निधि का सृजन

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकार को बकाया दायित्वों[25] के परिहार हेतु समेकित निक्षेप निधि (स.नि.नि.) का सृजन करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक, जो स.नि.नि. के प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी है, के दिशानिर्देशों के अनुसार, इसमें विगत वित्तीय वर्ष के अन्त में बकाया दायित्वों के 0.5 *प्रतिशत* का न्यूनतम वार्षिक अंशदान किया जाना चाहिए। तथापि, राज्य सरकार ने बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार स.नि.नि. (वर्तमान निधि को सम्मिलित करते हुये) का गठन नहीं किया।

वर्तमान निक्षेप निधि का संचालन

वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा ₹ 26,404 करोड़ का विनियोग राजस्व लेखे (मुख्य शीर्ष 2048–ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोग) से लोक लेखा के अन्तर्गत निक्षेप निधि (मुख्य शीर्ष 8222) में पुस्तकीय अन्तरण द्वारा किया गया। अग्रेतर, इस निधि में से, वर्ष 2018-19 में, निक्षेप निधि से बिना किसी नकद बहिर्प्रवाह के बाजार ऋण के पुनर्भुगतान के समतुल्य, ₹ 12,693 करोड़ की राशि को, समेकित निधि के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों (मुख्य शीर्ष 0075–विविध सामान्य सेवाओं) के अन्तर्गत अन्तरित एवं क्रेडिट किया गया। निक्षेप निधि से राजस्व प्राप्ति शीर्ष में अवशेषों का अन्तरण संघ तथा राज्य लेखे के मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुकूल नहीं था। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, ऋण के परिपक्व होने पर ऋण के पुनर्भुगतान की समान राशि को निक्षेप निधि (मुख्य शीर्ष 8222) से अन्तरित करके शीर्ष '8680-विविध शासकीय खाता–101–लेजर अवशेष समायोजन लेखा' को क्रेडिट किया जाना चाहिए।

निक्षेप निधि से राजस्व लेखे में ₹ 12,693 करोड़ की धनराशि को अन्तरित किये जाने से वर्ष के राजस्व आधिक्य में अतिशयता हुई। ऐसे अन्तरण के कारण राजस्व आधिक्य

---

[25] राज्य सरकार के आन्तरिक ऋणों एवं लोक लेखे दायित्वों के द्वारा परिभाषित।

में हुई अतिशयता को पूर्ववर्ती राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित किया गया था, तथापि, त्रुटिपूर्ण लेखाकरण की परिपाटी जारी रही।

राज्य सरकार द्वारा निक्षेप निधि के सापेक्ष लेनदेन केवल पुस्तकीय प्रविष्टियॉ थीं जो रोकड़ के वास्तविक लेनदेन को प्रदर्शित नहीं करतीं। 31 मार्च 2019 तक निक्षेप निधि के अन्तिम अवशेष ₹ 71,180 करोड़ का निवेश नहीं किया गया।

संस्तुतिः *राज्य सरकार को बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करने पर विचार करना चाहिए एवं आर.बी.आई. द्वारा निवेश की जाने वाली समेकित निक्षेप निधि का सृजन किया जाना चाहिये। अग्रेतर, निधि से स्थानान्तरित धनराशि को राजस्व प्राप्ति नहीं माना जाना चाहिए एवं ऋण के मोचन पर पुनर्भुगतानित ऋण के समान राशि निक्षेप निधि से मुख्य शीर्ष 8680 में अन्तरित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निधि की अवशेष राशि वास्तव में निवेश की जाये और वह मात्र पुस्तकीय प्रविष्टि न हो।*

1.7.2.2 राज्य सड़क निधि

राज्य सरकार ने सड़कों के अनुरक्षण, नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं निर्माण के लिए राज्य सड़क निधि (एस.आर.एफ.) की स्थापना (जनवरी 2000)[26] की, जिसे ब्याज रहित आरक्षित निधि के अधीन मुख्य शीर्ष 8225 सड़क और सेतु निधि-02-101 राज्य सड़क एवं सेतु निधि-01-एस.आर.एफ. के अन्तर्गत रखा गया। एस.आर.एफ. नियमों के अन्तर्गत इस निधि के लिए संसाधनों का प्रबन्ध डीजल एवं पेट्रोल पर बिक्री कर में क्रमशः 16 से 20 *प्रति*शत एवं 14 से 20 *प्रति*शत की वृद्धि कर किया गया तथा इस प्रकार प्राप्त अतिरिक्त धनराशि को उस सीमा तक राज्य सड़क निधि को दिया जाना है जिस सीमा तक राज्य सरकार द्वारा दिया जाना उचित समझा जाये।

वर्ष 2018-19 में, राज्य सरकार ने राजस्व और पूंजीगत व्यय से सम्बन्धित क्रमशः ₹ 1,500 करोड़ मुख्य शीर्ष 3054 एवं ₹ 1,500 करोड़ मुख्य शीर्ष 5054 का प्रावधान राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत किया और इन राशियों को आरक्षित निधि मुख्य शीर्ष 8225–सड़क एवं सेतु निधि में स्थानान्तरित कर दिया। कुल ₹ 3,000 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष ₹ 2,949.53 करोड़ का वितरण एस.आर.एफ. से किया गया तथा कटौती प्रविष्टियां क्रमशः मुख्य शीर्ष 3054 एवं मुख्य शीर्ष 5054 के अन्तर्गत पुस्तांकित की गयी थी। लेखापरीक्षा में संज्ञान में आया कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यशीर्ष 3054/ 5054 एवं मुख्य शीर्ष 8225–सड़क एवं सेतु निधि के मध्य कई वर्षों से इस प्रकार समान अन्तरण एवं प्रतिकूल अन्तरण किया जा रहा था।

अग्रेतर, मार्च 2019 के अन्त में निधि में ₹ 270.99 करोड़ का ऋणात्मक अवशेष था, जो उपलब्ध अवशेष के सापेक्ष अधिक वितरण का संकेत देता है। यह ऋणात्मक आंकड़ा वर्ष 2014-15 एवं उसके परवर्ती वर्षों के लेखे से प्रदर्शित हो रहा है।

[26] एस.आर.एफ. को मार्च 2009 में समाप्त कर दिया गया था परन्तु जनवरी 2013 में पूर्व प्रभाव से मार्च 2009 से पुनःस्थापित किया गया एवं व्यय के लिये पूंजीगत प्रकृति के कार्यों को भी अनुमन्य किया गया।

***संस्तुति** : वित्त विभाग द्वारा मुख्यशीर्ष* 8225–सड़क एवं सेतु निधि के अन्तर्गत सड़क एवं सेतु की आरक्षित निधि के रख–रखाव की आवश्यकता का परीक्षण किया जाना चाहिए एवं *सड़क एवं सेतु निधि के ऋणात्मक अवशेष को अविलम्ब नियमित किया जाना चाहिए।*

1.7.2.3 राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (रा.आ.अ.नि)

रा.आ.अ.नि.का लेखांकन ब्याज युक्त आरक्षित निधि के रूप में न किया जाना

भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2010 से पूर्ववर्ती आपदा राहत निधि को राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (रा.आ.अ.नि.) से प्रतिस्थापित किया गया। रा.आ.अ.नि. के दिशानिर्देशों में निम्नलिखित प्रावधानित है।

- निधि को ''ब्याज युक्त आरक्षित निधि'' की श्रेणी के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8121–सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियॉ-122-राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के अधीन संचालित किया जाना चाहिए।
- भारतीय रिजर्व बैंक के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के अनुसार ओवरड्राफ्ट पर लागू ब्याज दर से राज्य सरकार द्वारा रा.आ.अ.नि. को ब्याज का भुगतान किया जायेगा।

तथापि यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा रा.आ.अ.नि. को ''ब्याज रहित आरक्षित निधि'' की श्रेणी के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8235–सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ-111-राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के अधीन संचालित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा रा.आ.अ.नि. के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निधि के अवशेषों का निवेश भी नहीं किया गया है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, निधि में ₹ 390.51 करोड़ का योगदान किया गया, जिसमें 75:25 के अनुपात में केंद्र सरकार द्वारा ₹ 292.88 करोड़ और राज्य सरकार द्वारा ₹ 97.63 करोड़ का योगदान किया गया। इसके अतिरिक्त बकाया के रूप में केन्द्रांश ₹ 58.58 करोड़ तथा राज्यांश ₹ 5.86 करोड़ (90:10 के अनुपात में) का योगदान भी निधि में किया गया था ।

राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के दिशानिर्देशों के प्रस्तर 4 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा रा.आ.अ.नि को ब्याज का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के अनुसार, ओवरड्राफ्ट पर लागू ब्याज दर पर अर्द्धवार्षिक आधार पर किया जाना है। वर्ष 2018-19 के प्रारम्भ में, रा.आ.अ.नि. में ₹ 999.95 करोड़ का अवशेष था, इसलिए 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा इस अवशेष राशि पर कुल ब्याज ₹ 106.22 करोड़ (ओवरड्राफ्ट पर 8.25 *प्रतिशत* औसत ब्याज दर पर अर्द्धवार्षिक आधार पर आंकलित) का भुगतान किया जाना था। तथापि, राज्य सरकार द्वारा दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार रा.आ.अ.नि. के अनिवेशित निधि अवशेषों पर ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था।

राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि (एन.डी.आर.एफ.) के दिशानिर्देशों (जुलाई 2015) के अनुसार, जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण रा.आ.अ.नि. के अन्तर्गत उपलब्ध अवशेष से

अधिक खर्च की आवश्यकता हो, तो भारत सरकार एन.डी.आर.एफ. से राज्यों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है, जिसके लिये राज्य के अंश की आवश्यकता नहीं होती है। दिशा निर्देशों के प्रस्तर 11.3 एवं 11.4 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा अपने बजट के व्यय पक्ष में लेखाशीर्ष 2245-80-103 के अन्तर्गत समुचित बजट प्रावधान किया जायेगा तथा एन.डी.आर.एफ. से किये गये वास्तविक व्यय को इसके अन्तर्गत पुस्तांकित किया जाना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा लोक लेखे से सीधे व्यय नहीं किया जाना चाहिये।

वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार ने ₹ 157.23 करोड़ की धनराशि राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि से प्राप्त की जिसे मुख्य शीर्ष 1601-भारत सरकार से सहायता अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकित किया गया एवं प्राप्ति के रूप में माना गया। तथापि, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष 2245-80-103–राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि से सहायता के अन्तर्गत न कोई बजट प्रावधान किया गया और न ही कोई व्यय पुस्तांकित किया गया। अतः वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि से प्राप्त ₹ 157.23 करोड़ का अनुदान राज्य आपदा अनुक्रिया निधि में स्थानान्तरित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, ₹ 157.23 करोड़ से राज्य सरकार के राजस्व आधिक्य में अतिशयता एवं राजकोषीय घाटे में न्यूनता हुई।

संस्तुतिः *राज्य सरकार द्वारा रा.आ.अ.नि. की अवशेष राशि को ''ब्याज सहित आरक्षित निधि'' के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8121–सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि के अधीन स्थानान्तरित किया जाना चाहिए एवं रा.आ.अ.नि. के दिशानिर्देशों के अनुसार अर्जित ब्याज को निधि में जमा किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को दिशानिर्देशों में निर्धारित शैली में निधि के अवशेषों का निवेश करने की भी आवश्यकता है।*

1.7.3 आकस्मिक देयताएं–प्रत्याभूतियों की स्थिति

1.7.3.1 प्रत्याभूति विमोचन निधि

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियो के अनुसार, प्रत्याभूतियों के प्रतिदान के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन किया जाना अपेक्षित था। तथापि राज्य सरकार ने प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन नहीं किया। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश 2013 के अन्तर्गत, इनके द्वारा ₹ 453.91 करोड़ का न्यूनतम वार्षिक अंशदान (वर्ष 2018-19 के प्रारम्भ की बकाया प्रत्याभूति ₹ 90,781.57 करोड़[27] का 0.5 *प्रतिशत*) किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया। इसके प्रभाव से ₹ 453.91 करोड़ से राजस्व आधिक्य में अतिशयता तथा राजकोषीय घाटे में न्यूनता रही।

वित्त लेखे के **विवरण–नौ** के अनुसार, सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि एवं विगत तीन वर्षों से बकाया प्रत्याभूतियों का विवरण **सारणी 1.31** में दर्शाया गया है।

[27] बकाया प्रत्याभूतियों के वर्ष 2017-18 के अन्तिम अवशेष (₹ 74,841.22 करोड़) एवं वर्ष 2018-19 के प्रारम्भिक अवशेष (₹ 90,781.57 करोड़) में ₹ 15,940.35 करोड़ का अन्तर है, जिनका मिलान प्रक्रियाधीन है।

सारणी 1.31: सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19
प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि (मूलधन)	66,702	74,303	90,662
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	2,56,875	2,78,775	3,29,978
वर्ष के अन्त में बकाया प्रत्याभूतियों की राशि	55,825	74,841	1,10,032
कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि की प्रतिशतता	25.97	26.65	27.48

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

प्रत्याभूति की अधिकतम राशि के घटक थेः चार ऊर्जा क्षेत्र की इकाइयाँ (₹ 62,702 करोड़), दो सहकारिता विभाग की इकाई (₹ 4,083 करोड़) एवं अन्य क्षेत्रों के 17 संस्थान (₹ 23,877 करोड़)।

1.7.3.2 प्रत्याभूति शुल्क

राज्य सरकार द्वारा 23 संस्थानों को प्रत्याभूतियाँ दी गयीं जिनमें से 21 संस्थानों को प्रत्याभूति शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी। यह संज्ञान में आया कि वर्ष 2018-19 में प्राप्य प्रत्याभूति शुल्क (₹10.46 करोड़) दो संस्थानों यथा उत्तर प्रदेश औद्योगिक एवं निवेश निगम लिमिटेड (₹ 0.72 करोड) एवं राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 9.74 करोड़) से प्राप्त नहीं हुआ था।

संस्तुतिः *बारहवें वित्त आयोग के दिशानिर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार को प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन एवं संचालन करना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति शुल्क को तत्परता से प्राप्त करना भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये। सरकार द्वारा उन संस्थानों को वित्तीय सहयोग रोक दी जानी चाहिये जिनके द्वारा प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है एवं/अथवा जिनके लेखे भी बकाया हैं।*

1.8 ऋण प्रबन्धन

1.8.1 राज्य सरकार की राजकोषीय दायित्वों के संघटक

वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 की अवधि में राज्य सरकार के राजकोषीय दायित्वों के संघटकों का विवरण **सारणी 1.32** में दिया गया है।

सारणी 1.32 : राज्य सरकार के राजकोषीय दायित्वों के संघटक

ऋण का प्रकार	अवशेष (₹ करोड़ में)				
	31 मार्च 2015	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019
(अ) लोक ऋण					
राज्य सरकार के आंतरिक ऋण[28]	1,83,192	2,40,836	2,88,627	3,21,479	3,53,190
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	14,462	13,658	13,250	12,812	11,980
योग (अ)	1,97,654	2,54,494	3,01,877	3,34,291	3,65,170

[28] आन्तरिक ऋण मे वित्तीय संस्थानों से ऋण एवं बाजार ऋण शामिल हैं, जैसेः भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय सामान्य बीमा निगम, राष्ट्रीय कृषक बैंक तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सहकारी बैंक तथा अन्य संस्थाएं।

ऋण का प्रकार	अवशेष (₹ करोड़ में)				
	31 मार्च 2015	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019
(ब) अन्य लोक लेखा दायित्व					
लघु बचत, भविष्य निधि	45,121	46,655	48,238	50,768	54,413
आरक्षित निधियाँ	41,230	43,790	51,015	59,280	72,824
जमा	23,855	22,312	22,094	23,503	25,688
योग (ब)	1,10,206	1,12,757	1,21,347	1,33,551	1,52,925
राज्य सरकार के कुल ऋण स्टॉक[29]	**3,07,860**	**3,67,251**	**4,23,224**	**4,67,842**	**5,18,095**

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 की अवधि में, सरकार का कुल ऋण स्टॉक ₹ 2,81,709 करोड़ (1 अप्रैल 2014) से बढ़कर ₹ 5,18,096 करोड़ (31 मार्च 2019) हो गया। लोक ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल **सारणी 1.33** में वर्णित है।

सारणी 1.33: लोक ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल (₹ करोड़ में)

परिपक्वता वर्ष	आंतरिक ऋण	भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम	योग	*प्रतिशत*
2019-20	23,703	1,576	25,279	6.92
2020-21	23,074	1,598	24,672	6.76
2021-22	27,026	1,606	28,632	7.84
2022-23	20,378	1,606	21,984	6.02
2023-24	18,533	1,622	20,155	5.52
2024-25	27,631	559	28,190	7.72
2025-26	38,813	410	39,223	10.74
2026-27	48,509	393	48,902	13.39
2027-28	48,866	391	49,257	13.49
2028-29	53,012	368	53,380	14.62
2029-30 से आगे	22,539	2,245	24,784	6.79
राज्य सरकार से समाधान के अधीन	1,106	(-)394	712	0.19
योग	**3,53,190**	**11,980**	**3,65,170**	**100.00**

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2018-19)

लोक ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के ऋण स्टॉक की परिपक्वता के कारण वर्ष 2024-25 से ऋण विमोचन दबाव बढ़ने की सम्भावना है जो कि वर्ष 2028-29 में अधिकतम पर पहुंच जाएगा।

[29] सारणी 1.32 में वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 के दौरान ऋण स्टाक में उज्जवल डिस्काम बीमा योजना के लिए ऋण शामिल है जिससे कि वित्त लेखा के आकड़ों का मिलान किया जा सके। ऋण स्टाक उज्जवल डिस्काम बीमा योजना के ऋण ₹ 3,42,920 करोड़ (2015-16) तथा ₹ 4,08,422 करोड़ (2016-17) को छोड़ कर था, जो वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016-17 के लिए ऋण स्थिरता और अन्य राजकोषीय मापदण्डो की गणना के लिए लिया गया है।

1.8.2 उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता

वर्ष 2014-19 की अवधि में लोक ऋण और लोक लेखे देयताओं के अन्तर्गत प्राप्तियों एवं पुनर्भुगतान के आधार पर निधियों की निवल उपलब्धता का विवरण **सारणी 1.34** में दिया गया है ।

सारणी 1.34: लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों के लेखे के अन्तर्गत निधि की निवल उपलब्धता

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
लोक ऋणों एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	71,455	1,13,502	1,13,172	90,052	1,13,504
लोक ऋणों एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन एवं ब्याज)	64,103	75,557	84,034	74,570	95,293
उपलब्ध निवल निधियाँ	7,352	37,945	29,138	15,482	18,211
लोक ऋणों की प्राप्तियों के सापेक्ष उपलब्ध निवल निधियों की *प्रतिशतता*	10.29	33.43	25.75	17.19	16.04

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि **सारणी 1.34** से स्पष्ट है, कि वर्ष 2018-19 में उधार ली गई निधियों के 83.96 *प्रतिशत* का उपयोग मौजूदा दायित्वों के निर्वहन के लिए किया गया एवं राज्य के पूंजी निर्माण/ विकास गतिविधियों के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सका।

1.8.3 ऋण संवहनीयता

राजकोषीय दायित्वों को संवहनीय माना जाता है यदि सरकार निकट भविष्य में इन दायित्वों के स्टॉक को सेवित करने में सक्षम है एवं ऋण स.रा.घ.उ. का अनुपात अप्रबन्धनीय अनुपात में न बढ़ता हो। डोमर मॉडल लोक ऋणों के विश्लेषण के मॉडलों में से एक मॉडल है, जो यह बताता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ऋण पर ब्याज की दर से अधिक हो तो ऋण स.घ.उ. अनुपात स्थिर रहने की संभावना होती है। **सारणी 1.35** डोमर संवहनीयता की स्थिति को दर्शाती है।

सारणी 1.35 : डोमर मॉडल के अन्तर्गत ऋण संवहनीयता के मानदंड

जी–आर (जी–वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर, आर–वास्तविक ब्याज दर) डोमर अंतर कहलाता है	एस<0 (प्राथमिक घाटा)	एस>0 (प्राथमिक अधिशेष)
जी–आर>0 (मजबूत आर्थिक वृद्धि)	लोक ऋण का स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में स्थिर मूल्य की ओर झुकाव अर्थात संवहनीय। ऋण के स्टाक के आधार स्थिर स्तर शून्य की ओर पहुँचने के लिए यह समयानुसार या तो बढ़ेगा अथवा घटेगा।	लोक ऋण को स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में शून्य के नीचे स्थिर स्तर तक अभिमुख होना चाहिए जिससे लोक बचत हो।
जी–आर<0 (धीमी आर्थिक वृद्धि)	स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में लोक ऋण बिना स्थिर स्तर तक अभिसरण किए, अनिश्चित अवधि के लिए अवश्य बढ़ेगा।	अपरिभाषित परिस्थिति।

डोमर विश्लेषण को उत्तर प्रदेश पर लागू करने से स्पष्ट हुआ कि राजकोषीय दायित्वों को एक स्थिर स्तर तक अभिसरण करना चाहिए, जैसा कि **सारणी 1.36** में दर्शाया गया है।

सारणी 1.36 : अवधि 2014-19 में राज्य के ऋण स्टाक की संवहनीयता

वर्ष	वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर (जी)	वास्तविक ब्याज दर (आर)	डोमर अंतर (जी–आर)	प्राथमिक घाटा (–)/आधिक्य (+)
	(*प्रतिशत* में)			(₹ करोड़ में)
2014-15	4.03	0.47	3.56	(-) 13,648
2015-16	8.78	2.28	6.50	(-) 12,695
2016-17	7.31	2.50	4.81	(-) 14,251
2017-18	6.99	4.19	2.80	(+) 1,326
2018-19	6.46	2.72	3.74	(-) 3,161

- **वास्तविक अर्थात स्थिर मूल्यों पर स.रा.घ.उ. को वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर आगणित किया गया है।**
- **राजकोषीय देयताओं पर औसत ब्याज दर में से मुद्रास्फीति को घटा कर वास्तविक ब्याज दर की गणना की गई है। औसत मुद्रास्फीति की गणना सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के वेबसाइट पर वास्तविक श्रृंखला (2012) पर उत्तर प्रदेश हेतु उपलब्ध मासिक मुद्रास्फीति दर के संदर्भ में की गई है। राज्य के लिए औसत मुद्रास्फीति 5.93 *प्रतिशत* (2014-15), 4.07 *प्रतिशत* (2015-16), 4.32 *प्रतिशत* (2016-17), 2.35 *प्रतिशत* (2017-18) एवं 3.78 *प्रतिशत* (2018-19) निकाली गई है।**

प्रारंभिक तीन वर्षों (2014-15 से 2016-17) में, प्राथमिक घाटा था जो वर्ष 2017-18 में प्राथमिक आधिक्य में परिवर्तित हो गया परन्तु वर्ष 2018-19 में पुनः प्राथमिक घाटे में परिवर्तित हो गया। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 की संपूर्ण अवधि के दौरान डोमर अन्तर (जी–आर) धनात्मक था। डोमर मॉडल के अन्तर्गत ऋण संवहनीयता की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, जैसा कि **सारणी 1.35** में दिया गया है, राज्य सरकार के राजकोषीय दायित्वों ने ऋण संवहनीयता (जी–आर >0) की शर्तों को संतुष्ट किया। यद्यपि, यह उल्लेखनीय है कि डोमर अन्तर (जी–आर) में एक स्थिर या निरन्तर बढ़ती प्रवृत्ति नहीं पाई गई। डोमर अन्तर को इस तथ्य के साथ अग्रेतर देखा जाना चाहिए कि वर्ष 2018-19 में, 74.2 *प्रतिशत* आन्तरिक ऋण[30] की 2.72 प्रतिशत औसत की वास्तविक ब्याज दर के सापेक्ष आठ *प्रतिशत* से अधिक ब्याज दरों (वास्तविक ब्याज दर 4.22 *प्रतिशत*) पर उधार लिया गया था। इसके अतिरिक्त, अन्य कारकों जैसे लोक लेखे की देयताएं, अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाएं, और/या राजस्व के किसी अन्य गैरसूचीबद्ध घाटे को भी राज्य की ऋण संवहनीयता/स्थिरता का आकलन करते समय गणना में लिया जाना चाहिए[31]।

राजकोषीय घाटा और ऋण संवहनीयता

राजकोषीय संवहनीयता के उपरोक्त संदर्भ में, तेरहवें वित्त आयोग ने ऋण संवहनीयता को ऋण–स.घ.उ. अनुपात के रूप में एवं राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान के रूप में भी परिभाषित किया। चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) ने केंद्र और राज्य सरकार के लिए राजकोषीय समेकन हेतु संस्तुति की थी एवं स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटे और ऋण स्टॉक के लिए सीमा का निर्धारण किया था।

[30] राजकोषीय दायित्वो का 68.2 *प्रतिशत* आन्तरिक ऋण है।
[31] चूँकि इसे सांख्यिकी रूप से निर्धारित नही किया जा सकता, इसे विश्लेषण में तथ्य में नही दिया गया।

चौ.वि.आ. की संस्तुतियों के दृष्टिगत, उत्तर प्रदेश सरकार ने एफ.आर.बी.एम अधिनियम, 2004 में संशोधन (मार्च 2016) किया। यू.पी.एफ.आर.बी.एम (संशोधित) अधिनियम, 2016 के अनुसार वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक प्रत्येक वर्षं के राजकोषीय घाटे को अनुमानित स.रा.घ.उ. के सापेक्ष तीन *प्रतिशत* से अधिक नहीं रखा जाना है। संशोधित एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में यह भी प्राविधानित था कि कुल ऋण स्टॉक को अनुमानित स.रा.घ.उ. के सापेक्ष 31*प्रतिशत* (वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में) एवं 30.50*प्रतिशत* (वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में) और 30 प्रतिशत (वर्ष 2019-20) से अधिक नहीं रखा जाना है।

चौ.वि.आ. के लक्ष्यों एवं एफ.आर.बी.एम. के लक्ष्यों के सापेक्ष ऋण स्टॉक की स्थिति **सारणी 1.37** में दर्शाई गई है।

सारणी 1.37 : ऋण संवहनीयता–एफ.आर.बी.एम. संकेतकों पर आधारित विश्लेषण

वर्ष	स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटा (*प्रतिशत में*)		स.रा.घ.उ. के सापेक्ष ऋण स्टाक (*प्रतिशत में*)		राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान (*प्रतिशत में*)	
	एफ.आर.बी.एम. द्वारा निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि	एफ.आर.बी.एम. द्वारा निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि	चौ.वि.आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि
2015-16	3	3.00	31.00	30.15	9.55	9.45
2016-17	3	3.30	31.00	32.72	8.93	10.48
2017-18	3	2.02	30.50	33.99	8.36	10.45
2018-19	3	2.28	30.50	33.59	7.85	9.71

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे, उ.प्र. राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन संशोधित अधिनियम, 2016 एवं चौदहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन)

राज्य सरकार विगत दो वर्षों 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान राजकोषीय घाटे को एफ.आर.बी.एम. के लक्ष्य से कम रखने में सफल रही। यद्यपि, ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात एफ.आर.बी.एम. के लक्ष्य के अन्दर नहीं था, तथापि यह वर्ष 2016-2019 की अवधि में 32.72 *प्रतिशत* से बढ़कर 33.59 *प्रतिशत* हो गया। राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान के अनुपात (ब्याज भुगतान का भार) के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया, यद्यपि यह 10.48 *प्रतिशत* (वर्ष 2016-17) से घटकर 9.71 *प्रतिशत* (वर्ष 2018-19) हो गया। इस प्रकार, स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के उपरांत भी, राजकोषीय समेकन के लिये स.रा.घ.उ. के सापेक्ष ब्याज भुगतान एवं राजकोषीय देनदारियॉ वर्ष 2019-20 के अन्त तक चौ.वि.आ. एवं एफ.आर.बी.एम. के द्वारा निर्धारित मार्ग पर रहती हुई प्रतीत नहीं होती हैं।

2

वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियन्त्रण

2 वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियंत्रण

भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा के सम्पादन में यह सुनिश्चित किया जाता है कि विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत व्यय की गई धनराशियाँ विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत उस वर्ष के लिये बजट में प्राधिकृत थीं एवं संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत भारित होने वाला व्यय उस पर भारित था तथा विधि, सम्बन्धित नियमों, विनियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुए धनराशियाँ व्यय की गयी हैं।

2.1 विनियोग लेखे का संक्षिप्त विवरण

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल (यू.पी.बी.एम.) के प्रस्तर 141 के अनुसार नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा सभी अन्तिम बचतों को 25 मार्च तक वित्त विभाग को समर्पित कर देना चाहिये। अधिकारियों द्वारा विलम्ब से किये गये ऐसे समर्पण जिसमें बचत का उचित पूर्वानुमान हो तथा समर्पण पूर्व में किया जा सकता हो, को यदि वित्त विभाग स्वीकार करने में असमर्थ रहता है तो सम्बन्धित अधिकारी को उत्तरदायी माना जायेगा।

वर्ष 2018-19 में 93 अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत किये गये प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति **सारणी 2.1** में प्रस्तुत की गयी है।

सारणी 2.1: प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत(–)/ आधिक्य(+)	समर्पित धनराशि	31 मार्च 2019 को समर्पित धनराशि	31 मार्च 2019 तक समर्पित बचत की प्रतिशतता
1		2	3	4	5	6	का.5/का.4
दत्तमत	I-राजस्व	2,98,990.78	2,47,287.30	(-)51,703.48	2,131.57	2,131.57	4.12
	II-पूंजीगत	1,02,445.21	76,489.69	(-) 25,955.52	1,656.85	1,656.85	6.38
	III-ऋण तथा अग्रिम	7,724.35	6,302.64	(-) 1,421.71	0.40	0.40	0.03
	योग दत्तमत	**4,09,160.34**	**3,30,079.63**	**(-) 79,080.71**	**3,788.82**	**3,788.82**	**4.79**
भारित	IV-राजस्व	59,408.58	58,975.52	(-)433.06	10.12	10.12	2.34
	V-पूंजीगत	20.44	12.74	(-)7.70	0.00	0.00	0.00
	VI-लोकऋण–पुनर्भुगतान	30,546.75	20,716.61	(-)9,830.14	1.77	1.77	0.02
	योग भारित	**89,975.77**	**79,704.87**	**(-)10,270.90**	**11.89**	**11.89**	**0.12**
	महायोग	**4,99,136.11**	**4,09,784.50**	**(-)89,351.61**	**3,800.71**	**3800.71**	**4.25**

नोटः वास्तविक व्यय के आंकड़ों में दत्तमत राजस्व व्यय (₹ 4,534.86 करोड़) एवं दत्तमत पूंजीगत व्यय (₹ 14,039.02 करोड़) के अन्तर्गत वसूलियों को व्यय में से घटाकर समायोजित करते हुए सम्मिलित किया गया है।

(स्रोतः विनियोग लेखे, वित्त लेखे एवं बजट प्रपत्र वर्ष 2018-19)

राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के 126 प्रकरणों तथा ऋण अनुभाग सहित (लोक ऋण–पुनर्भुगतान) पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के 79 प्रकरणों में, ₹ 92,349.08 करोड़ की बचतों के परिणामस्वरूप कुल ₹ 89,351.61

करोड़ की बचतें हुईं जो राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के चार प्रकरणों तथा पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत अनुदानों/विनियोगों के छः प्रकरणों में ₹ 2,997.47 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसन्तुलित हुई।

यह तथ्य कि 96 *प्रतिशत* बचतों (₹ 85,550.90 करोड़) को वर्ष के अन्त में व्यपगत होने दिया गया तथा अवशेष बचत ₹ 3,800.71 करोड़ (चार *प्रतिशत*) को वित्त विभाग को अन्य उद्देश्यों के लिये पुनर्विनियोजन हेतु उपलब्ध कराये बिना वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तिम दिन समर्पित किया गया जो यह स्पष्ट करता है कि वित्त विभाग द्वारा अत्यन्त न्यून वित्तीय नियन्त्रण रखा गया।

संस्तुतिः *वित्त विभाग को विभागीय नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा किये गये व्यय की प्रवृत्ति का अनुश्रवण करना चाहिये जिससे निधियों का अनावश्यक रूप से अवरोधन न हो तथा समर्पण हेतु अन्तिम क्षण की प्रतीक्षा किये बिना एवं आवंटन के व्यपगत हुए बिना, तत्काल निधियों को समर्पित कर दिया जाए ।*

2.2 वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन

2.2.1 अधिक हुए व्ययों के विनियमितीकरण की आवश्यकता

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान चार अनुदानों तथा चार विनियोगों के अन्तर्गत राज्य विधायिका द्वारा प्राधिकृत धनराशि से ₹ 1,539.44 करोड़ का व्ययाधिक्य हुआ (***परिशिष्ट 2.1अ***)। राज्य विधायिका द्वारा वर्ष 2005-06 से वर्ष 2017-18 की अवधि के 98 अनुदानों एवं 42 विनियोगों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य ₹ 30,985.81 करोड़ का विनियमितीकरण किया जाना अभी भी शेष है (***परिशिष्ट 2.1* ब**)। यह संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 का उल्लंघन है, जो प्रावधानित करता है कि राज्य विधायिका द्वारा बनायी गयी विधि के अन्तर्गत किये गये विनियोजन के अतिरिक्त समेकित निधि से कोई भी धनराशि आहरित नहीं की जा सकेगी। यह बजटीय तथा वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को निष्फल करता है तथा लोक संसाधनों के प्रबन्धन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

प्राधिकृत धनराशि से अधिक व्यय तथा व्ययाधिक्य के विनियमितीकरण न कराये जाने के सम्बन्ध में पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निरंतर प्रतिवेदित किया गया है, तथापि, वर्ष 2005-06 से 2017-18 तक के सम्बन्धित व्ययाधिक्य के प्रकरणों को विनियमितीकरण हेतु राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रतीक्षित है।

संस्तुतिः *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि व्ययाधिक्य के सभी वर्तमान प्रकरणों को विनियमित करने हेतु राज्य विधायिका के समक्ष तत्काल प्रस्तुत किया जाए।*

2.2.2 बचतें

46 अनुदानों/विनियोगों से सम्बन्धित 65 प्रकरणों में ₹ 90,038.26 करोड़ की बचत हुई जिसमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत थी, जिनका विवरण ***परिशिष्ट 2.2*** में दर्शाया गया है।

अग्रेतर, उपर्युक्त 65 प्रकरणों में से 18 प्रकरण ऐसे थे जिनमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 1,000 करोड़ से अधिक की बचत थी। इन 18 प्रकरणों में से नौ प्रकरणों में ₹ 1,000 करोड़ से अधिक की बचत वर्ष 2017-18 में भी हुई थी जिसका विवरण **सारणी 2.2** में दर्शाया गया है।

सारणी 2.2: वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान ₹ 1,000 करोड़ से अधिक के बचत दर्शाने वाले अनुदान

(₹ करोड़ मे)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	वर्ष के दौरान हुई बचतें	
			2017-18	**2018-19**
1.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) - पूंजीगत दत्तमत	5,179.06	9,278.13
2.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) - राजस्व दत्तमत	1,080.89	4,330.63
3.	37	नगर विकास विभाग - राजस्व दत्तमत	5,574.84	3,451.60
4.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग - राजस्व दत्तमत	1,088.19	1,034.01
5.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग - राजस्व दत्तमत	2,247.92	2,464.72
6.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें एवं अन्य व्यय) - पूंजीगत भारित	6,973.52	9,810.15
7.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) - राजस्व दत्तमत	17,493.77	14,921.22
8.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) - राजस्व दत्तमत	5,573.74	4,085.46
9.		समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) - पूंजीगत दत्तमत	1,637.34	4,136.73

(स्रोतः विनियोग लेखे वर्ष 2017-18 एवं 2018-19)

अग्रेतर, यह पाया गया कि 22 अनुदानों के अन्तर्गत 28 प्रकरणों में अनवरत बचत (₹100 करोड़ और अधिक) वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 के दौरान प्रत्येक वर्ष हुई थी जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.3*** में दर्शाया गया है, इन अनुदानों के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में बचत ₹ 101.54 करोड़ से ₹ 14,921.22 करोड़ के मध्य थी। अत्यधिक बचत विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं में कमजोर बजट प्रणाली या प्रदर्शन में कमी या दोनों को दर्शाता है।

संस्तुतिः *वित्त विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये गये प्रावधानों की धनराशि उपयोग न किये जाने के कारणों की समीक्षा की जानी चाहिये एवं अग्रेतर वर्षों में अधिक न्यायोचित प्रावधानों हेतु कदम उठाया जाना चाहिये।*

2.2.3 अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 162(i) के अनुसार, अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग की आवश्यकता उस समय होती है जब विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत अनुदान या विनियोग में सम्मिलित धनराशि उस वर्ष के लिये अपर्याप्त हो।

वर्ष 2018-19 में, 44 प्रकरणों में ₹ 9,032.89 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल प्रावधान की ही धनराशि व्यय नहीं की जा सकी थी, जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.4*** में दर्शाया गया है।

2.2.4 निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 147 के अनुसार, विनियोग की प्रत्येक इकाई के अन्तर्गत व्यय उस इकाई के अन्तर्गत मूल रूप में उपलब्ध कराई गई धनराशि के अन्तर्गत रखा जाए। पुनर्विनियोग के बाद भी, 42 अनुदानों में निहित 137 उपशीर्षो में ₹ 2,143.94 करोड़ की बचत तथा 24 अनुदानों के 36 उपशीर्षों में ₹ 130.48 करोड़ का व्ययाधिक्य हुआ था, जो वास्तविक आवश्यकता का आकलन किये बिना अनौचित्यपूर्ण पुनर्विनियोग को दर्शाता है (***परिशिष्ट 2.5***)।

2.2.5 अत्यधिक धनराशियों का समर्पण

वर्ष 2018-19 में, 143 उपशीर्षों में अत्यधिक धनराशियों का समर्पण (कुल प्रावधान का 50 *प्रतिशत* या अधिक) ₹ 1,873.39 करोड़ (कुल प्रावधान ₹ 2,189.52 करोड़ का 86 *प्रतिशत*) किया गया, जिसमें 70 योजनाओं/कार्यक्रमों (₹ 368.04 करोड़) का 100 *प्रतिशत* समर्पण सम्मिलित है, जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.6*** में दर्शाया गया है। इस प्रकार अत्यधिक धनराशियों का समर्पण दर्शाता है कि या तो बजट बनाने में समुचित सावधानी नहीं बरती गयी या कार्यक्रम के क्रियान्वयन में गम्भीर कमियाँ रहीं।

2.2.6 वास्तविक बचत से अधिक समर्पण

वर्ष 2018-19 में, तीन अनुदानों से सम्बन्धित तीन प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) ₹ 1,168.01 करोड़ की बचत के सापेक्ष ₹ 1,180.62 करोड़ की धनराशि का समर्पण किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 12.61 करोड़ का अधिक समर्पण हुआ, जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.7*** में दिया गया है। वास्तविक बचत से अधिक धनराशि के समर्पण से स्पष्ट है कि विभागों द्वारा मासिक व्यय विवरण के माध्यम से व्यय के प्रवाह की निगरानी पर पर्याप्त बजटीय नियन्त्रण नहीं रखा गया।

संस्तुतिः *सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि अत्यधिक, अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान तथा अविवेकपूर्ण समर्पण से बचा जाए।*

2.2.7 समर्पित न की गई पूर्वानुमानित बचतें

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 139 तथा 141 के अनुसार, व्यय करने वाले विभागों को, अनुदानों/विनियोगों या उनके अंश को, जैसे ही उनमें बचत प्रत्याशित हो वित्त विभाग को समर्पित कर देना चाहिए। सभी अन्तिम बचतों को 25 मार्च तक वित्त विभाग को समर्पित कर देना चाहिए। ऐसी बचतों को वित्त विभाग द्वारा, यदि आवश्यक हो, जहाँ पुनर्विनियोगों या अनुपूरक अनुदानों या विनियोगों के लिये आवेदन किया गया हो, पुनः आवंटित किया जायेगा ।

वर्ष 2018-19 के अन्त में, यद्यपि अनुदानों/विनियोगों के 89 प्रकरणों में ₹ 65,875.33 करोड़ की बचत हुई, उसका कोई भी भाग व्यय करने वाले विभागों द्वारा समर्पित नहीं किया गया ***(परिशिष्ट 2.8)***।

इसी प्रकार, 124 प्रकरणों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ एवं अधिक की बचत) में ₹ 89,675.44 करोड़ की बचत में से ₹ 88,557.72 करोड़ (99 *प्रतिशत*) की धनराशि

समर्पित नहीं की गयी थी ***(परिशिष्ट 2.9)***। यह अपर्याप्त वित्तीय नियन्त्रण का द्योतक है एवं परिणामतः निधियों के अवरोधन को दर्शाता है।

2.2.8 व्यय का गलत वर्गीकरण

राजस्व व्यय आवर्ती प्रकृति का होता है और इसकी पूर्ति राजस्व प्राप्तियों से होना अभिप्रेत है। अग्रेतर, भारत सरकार लेखा मानक–2 (आई.जी.ए.एस–2) के अनुसार सहायता अनुदान पर किया गया व्यय, प्रदाता के लेखे में राजस्व व्यय के रूप में एवं प्राप्तकर्ता के लेखे में राजस्व प्राप्तियों के रूप में अभिलिखित किया जाता है। महत्वपूर्ण तथा स्थायी प्रकृति की मूर्त परिसम्पत्तियों को बढ़ाये जाने अथवा आवर्ती दायित्वों को कम करने के उद्देश्य से किये गये व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है।

यद्यपि, वर्ष के दौरान, राज्य सरकार द्वारा 'लघु निर्माण कार्यों' हेतु ₹ 69.94 करोड़, 'वाहनों के अनुरक्षण एवं पेट्रोल क्रय इत्यादि' हेतु ₹ 0.03 करोड़, 'कम्प्यूटर के रख–रखाव, सम्बन्धित लेखन सामग्री के क्रय' हेतु ₹ 0.01 करोड़ की धनराशि का बजट प्रावधान एवं पुस्तांकन पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत किया गया जबकि इसे राजस्व व्यय के रूप में पुस्तांकित किया जाना चाहिए था। दूसरी ओर, 'स्टाफ कार/कार्यालय के उपयोग हेतु वाहनों के क्रय' हेतु ₹ 61.03 करोड़ के व्यय को पूंजीगत अनुभाग के स्थान पर राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत पुस्तांकित किया गया ।

राज्य सरकार ने बताया (जुलाई 2019) कि केवल नये वाहनों का क्रय पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत किया जाना चाहिए एवं पुराने वाहनों के प्रतिस्थापन की व्यवस्था का पुस्तांकन राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत किया जाना चाहिए । शासन का मत स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पुराने वाहनों का प्रतिस्थापन सम्पत्ति की कार्यशील अवधि में वृद्धि करता है, अतः इस प्रकार किये गये व्यय की प्रकृति पूंजीगत होगी ।

2.2.9 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा ₹ 600 करोड़ की कार्पस धनराशि के साथ आकस्मिकता निधि का प्रबन्धन किया जाता है। उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि नियम, 1962 के अनुसार, निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित तथा आकस्मिक व्यय की पूर्ति के लिए लिया जाएगा, जिसकी प्रतिपूर्ति विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक लम्बित रहती है।

31 मार्च 2019 तक आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 629.72 करोड़ की धनराशि की प्रतिपूर्ति किया जाना शेष था, जिसमें वर्ष 2016-17 की प्रतिपूर्ति न किये गए ₹ 300 करोड़ की अवशेष धनराशि सम्मिलित थी। वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 396.29 करोड़ की धनराशि का वितरण किया गया जिसमें से ₹ 66.57 करोड़ की प्रतिपूर्ति की गयी और अवशेष धनराशि ₹ 329.72 करोड़ की प्रतिपूर्ति नहीं की गई ।

प्रतिपूर्ति न की गयी धनराशि ₹ 329.72 करोड़ में से अनुदान संख्या 60–वन विभाग (सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत मृदा कार्य, पौधरोपण एवं नये पौधशाला की स्थापना) के अन्तर्गत वन्य एवं वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय के लिये ₹ 89.72 करोड़ एवं

अनुदान संख्या–18 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत नाबार्ड से लिये गये ऋण के पुनर्भुगतान हेतु ₹ 240 करोड़ की धनराशि आहरित की गई थी, जिसकी प्रतिपूर्ति अनुपूरक बजट प्रावधान के माध्यम से यथा समय की जानी थी। सम्प्रेक्षा में पाया गया कि आकस्मिकता निधि से निधियों का आहरण जिस व्यय के लिये किया गया, उसका पूर्वानुमान किया जा सकता था एवं विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने हेतु बजट में सम्मिलित किया जा सकता था।

अग्रेतर, यह संज्ञान में आया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में उ.प्र. जल निगम के कर्मचारियों को वेतन तथा सेवानिवृत्तिक लाभ के भुगतान के लिए ₹ 300 करोड़ के अग्रिम का आहरण किया गया था, जिसकी प्रतिपूर्ति अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत बजट प्रावधान द्वारा की जानी थी। इस अग्रिम की प्रतिपूर्ति न किये जाने के प्रकरण को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2018 एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या 3 वर्ष 2019 में प्रतिवेदित किया गया था। तथापि राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि में इस धनराशि की प्रतिपूर्ति 31 मार्च 2019 तक नहीं की गयी थी। परिणामतः, आकस्मिकता निधि में ₹ 29.72 करोड़ का ऋणात्मक अवशेष था। यह आकस्मिकता निधि के नियमों का उल्लंघन था जिसमें प्रावधान है कि किसी भी अग्रिम की स्वीकृति तब तक निर्गत नहीं की जायेगी जब तक कि वित्त विभाग संतुष्ट न हो कि अग्रिम दिये जाने हेतु निधि में पर्याप्त अवशेष है।

संस्तुतिः *राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 3 वर्ष 2019 के प्रस्तर 2.2.9 में दी गयी संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए एवं आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की प्रतिपूर्ति समय से किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।*

3

वित्तीय रिपोर्टिंग एवं लेखाओं पर टिप्पणी

3 वित्तीय रिपोर्टिंग एवं लेखाओं पर टिप्पणी

यह अध्याय वर्तमान वर्ष में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन की स्थिति और उसका विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

3.1 वैयक्तिक लेजर/वैयक्तिक जमा खाता

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 202, वार्षिक वित्तीय विवरण/बजट के माध्यम से लोक व्यय पर विधायी वित्तीय नियन्त्रण प्रदान करता है। संघ एवं राज्य लेखे के मुख्य एवं लघुशीर्ष की सूची के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-106-वैयक्तिक जमा के अधीन खोले गये वैयक्तिक जमा खाते ब्याज रहित जमा की प्रकृति के होते हैं। उत्तर प्रदेश वैयक्तिक लेखा खाता नियमावली, 1998 के प्रस्तर 4 के अनुसार, राज्य सरकार महालेखाकार की सलाह पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिये वैयक्तिक लेजर खाता (पी.एल.ए.)/वैयक्तिक जमा (पी.डी.) खाता खोलने हेतु प्राधिकृत है। निर्दिष्ट प्रशासकों को राज्य की समेकित निधि से निधियों के अंतरण द्वारा इन पी.एल.ए./पी.डी खातों के परिचालन हेतु अधिकृत किया गया हैं। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों एवं अन्य समान प्रकार के शैक्षणिक संस्थाओं, नगर निगमों एवं स्थानीय निकायों के लिये भी विभिन्न जमा शीर्षों के अन्तर्गत वैयक्तिक लेखा खातों को खोला जा सकता है।

पी.एल.ए./पी.डी. खातों का संचालन

लेखापरीक्षा में संज्ञान में आया कि राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-106-वैयक्तिक जमा के अतिरिक्त विभिन्न लेखाशीर्ष के अन्तर्गत भी पी.एल.ए./ पी.डी. खातों का संचालन किया जा रहा था। 31 मार्च 2019 को 1,070 पी.एल.ए./ पी.डी. खातों में अवशेष धनराशि ₹ 4,347.89 करोड़ में से ₹ 2,455.52 करोड़ की धनराशि मुख्य शीर्ष 8342-अन्य जमा-120-विविध जमा के अधीन 28 पी.एल.ए./पी.डी. खातों एवं ₹ 995.24 करोड़ की धनराशि मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधि जमा-120-अन्य निधि के अधीन 392 पी.एल.ए./पी.डी. खाते से सम्बन्धित थी।

राज्य सरकार द्वारा बताया गया (जुलाई 2020) कि मुख्य शीर्ष '8443–106' से भिन्न संचालित हो रहे पी.एल.ए./पी.डी. खाते बहुत पुराने थे तथा मार्च 2018 से नये पी.एल.ए./पी.डी. खाते खोलने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है। तथापि, तथ्य यह बना हुआ है कि कुछ पी.एल.ए./पी.डी. खाते विनिर्दिष्ट लेखाशीर्ष 8443-सिविल जमा-106-वैयक्तिक जमा से भिन्न अनुरक्षित किये जा रहे थे।

पी.एल.ए./पी.डी. खातों का मिलान

वर्ष 2018-19 में पी.एल.ए./पी.डी. खाते का संचालन करने वाले राज्य के 77 कोषागारों में से मात्र 34 कोषागारों ने ही अपने अनुरक्षित खातों का मिलान कराया। शेष 43 कोषागारों के मिलान की स्थिति सम्बन्धित कोषागारों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गयी।

राज्य सरकार द्वारा बताया गया (जुलाई 2020) कि पी.एल.ए./पी.डी. खातों के मिलान के लिये कोषागारों को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

असंचालित पी.एल.ए./पी.डी. खाते

उत्तर प्रदेश वैयक्तिक लेखा खाता नियमावली 1998 के अनुसार, यदि किसी पी.एल.ए./पी.डी. खाते में तीन वर्षों से कोई लेन देन न हुआ हो तो ऐसे खाते को बन्द किये जाने हेतु कोषाधिकारी सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुरोध करेंगे और यदि तीन माह के अन्दर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो, महालेखाकार की सलाह पर अवशेष, यदि कोई हो, को सम्बन्धित लेखाशीर्ष में अन्तरित कर पी.एल.ए./पी.डी. खाते को बन्द कर दिया जाएगा। इस सांहितिक प्रावधान का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2017 एवं 31 मार्च 2018 में प्रतिवेदित किया गया है।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि सांहितिक प्रावधानों के विपरीत, 31 मार्च 2019 को 416 पी.एल.ए./पी.डी. खातों में ₹ 22.77 करोड़ की राशि अनियमित रूप से जमा थी, जबकि ये पी.एल.ए./पी.डी. खाते तीन वर्षों से अधिक समय से असंचालित थे।

राज्य सरकार द्वारा बताया गया (जुलाई 2020) कि राज्य की समेकित निधि से धनराशि आहरित कर वैयक्तिक लेजर खाते (पी.एल.ए.) में रखे जाने की व्यवस्था को समाप्त किये जाने का आदेश मार्च 2018 में जारी किया गया था। इसी प्रकार, तीन वर्ष से अधिक समय से असंचालित पी.एल.ए. खातों को बन्द करने का निर्देश सभी विभागों को जनवरी 2018 में जारी किया गया था। परिणामस्वरूप, जनवरी 2018 से जनवरी 2020 के मध्य ₹ 493.46 करोड़ की धनराशि समेकित निधि में जमा की गयी थी एवं असंचालित पी.एल.ए. में पड़ी अवशेष धनराशि को जमा करने के आगे भी प्रयास किये जा रहे हैं।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों (जनवरी 2018 एवं मार्च 2018) के पश्चात् असंचालित पी.एल.ए./पी.डी. खातों में अवशेष पड़ी धनराशि में कमी आई थी। तथापि, सभी असंचालित पी.एल.ए./पी.डी. खातों को चिन्हित एवं बन्द किये जाने का अग्रेतर प्रयास किये जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि पी.एल.ए./पी.डी. खातों में अव्ययित अवशेषों को राज्य की समेकित निधि में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले अन्तरित न किया जाना लोक निधि के दुरूपयोग, कपट एवं दुर्विनियोग के जोखिम को प्रवृत्त करता है।

3.2 उपभोग प्रमाण–पत्रों को प्रेषित न किया जाना

वित्तीय नियमावली में प्रावधानित है कि जहाँ विशिष्ट उद्देश्यों के लिये सहायता अनुदान स्वीकृत किये जाते हैं, सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदान प्राप्तकर्ताओं से उपभोग प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने चाहिए, जिन्हें सत्यापन के पश्चात् महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अग्रेषित किया जाना चाहिये जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि निधियों का उपभोग विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिये ही किया गया। सहायता अनुदान के सम्बन्ध में जिसे स्वीकृति की तिथि के 12 माह के अन्दर उपभोग किया जाना अपेक्षित है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा वांछित उपभोग प्रमाण–पत्रों को अनुदान

की स्वीकृति की तिथि से अधिकतम 18 माह के अन्दर महालेखाकार को प्रेषित करना चाहिए।

31 मार्च 2019 तक, वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2017-18 (सितम्बर 2017) तक की अवधि में अवमुक्त की गई अनावर्ती सहायता अनुदान राशि ₹ 23,832.12 करोड़ से सम्बन्धित कुल 63,366 उपभोग प्रमाण–पत्र (यू.सी.) देय होने पर भी लम्बित थे। अतः, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि ₹ 23,832.12 करोड़ की राशि वास्तव में उसी प्रयोजन के लिए व्यय की गई जिसके लिए इसे विधायिका द्वारा स्वीकृत/प्राधिकृत किया गया था। उपभोग प्रमाण–पत्रों का अधिकता में लम्बित रहना धन के दुर्विनियोग एवं कपट के जोखिम से परिपूर्ण था। विवरण **सारणी 3.1** में दर्शाया गया है।

सारणी 3.1: लम्बित उपभोग प्रमाण–पत्र

अवधि	लम्बित उपभोग प्रमाण–पत्रों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
2016-17 तक	62,903	21,799.65
2017-18	463	2,032.47
2018-19	शून्य#	शून्य
योग	**63,366**	**23,832.12**

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2018-19)

(#वर्ष 2018-19 में अवमुक्त सहायता अनुदान के उपभोग प्रमाण पत्र सम्बन्धित स्वीकृति तिथियों के 18 माह बाद बकाया होंगे)

अधिकांश अप्रस्तुत उपभोग प्रमाण पत्र समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना), नगर विकास विभाग, शिक्षा विभाग एवं कृषि विभाग से सम्बन्धित थे, जैसा कि **सारणी 3.2** में सारांशीकृत किया गया है।

सारणी 3.2: विभागों की सूची जहाँ उपभोग प्रमाण पत्र लम्बित थे

क्र. सं.	विभाग का नाम	लम्बित उपभोग प्रमाण–पत्रों की संख्या	लम्बित धनराशि (₹ करोड़ में)	लम्बित उपभोग प्रमाण पत्रों की धनराशि की प्रतिशतता
1.	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	9,627	5,963.09	25.02
2.	नगर विकास विभाग	4,886	5,811.87	24.39
3.	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	6,609	4,197.80	17.61
4.	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	4,456	1,750.99	7.35
5.	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	2,072	1,736.66	7.29
6.	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	3,910	1,099.94	4.62

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2018-19)

राज्य सरकार द्वारा बताया गया (जुलाई 2020) कि महालेखाकार को यू.सी. प्रस्तुत किए जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभागों का था एवं इस सम्बन्ध में सभी विभागों को समय–समय पर आवश्यक निर्देश जारी किये गये थे। परिणामस्वरूप, लम्बित यू.सी. की संख्या 63,366 (31 मार्च 2019 तक) से घटकर 45,685 (31 मार्च 2020 तक) हो गयी एवं शेष यू.सी. के प्रेषण के लिये कार्यवाही की जा रही है।

तथ्य यह बना हुआ है कि, यू.सी. के प्रेषण में सुधार के बाद भी बड़ी संख्या में उपभोग प्रमाण पत्र अभी भी प्रतीक्षित हैं।

संस्तुतिः *राज्य सरकार को एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए जिसके अन्दर अनुदान अवमुक्त करने वाले प्रशासनिक विभाग स्वीकृति आदेशों में निर्धारित समय से अधिक लम्बित उपभोग प्रमाण–पत्रों का संग्रह करें एवं व्यतिक्रमी अनुदान प्राप्तकर्ताओं को नया अनुदान अवमुक्त करने से पूर्व सभी लम्बित उपभोग प्रमाण पत्रों की समीक्षा की जाए।*

3.3 लम्बित विस्तृत आकस्मिक देयक

वित्तीय नियमावली में अपेक्षित है कि संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) देयक द्वारा आहरित अग्रिमों का समायोजन शीघ्रता से विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) देयक के माध्यम से किया जाए। तथापि, यह पाया गया कि 31 मार्च 2019 तक ₹ 19.08 करोड़ की धनराशि के 3,178 ए.सी. देयक समायोजन हेतु लम्बित थे, जिसका विवरण **सारणी 3.3** में दर्शाया गया है। लम्बे समय तक समर्थित विस्तृत आकस्मिक देयकों का अप्रस्तुतीकरण संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के अन्तर्गत व्यय को अपारदर्शी बनाता है।

सारणी 3.3: लम्बित संक्षिप्त आकस्मिक देयक

अवधि	लम्बित डी.सी. बिलों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
2016-17 तक	3,088	16.52
2017-18	27	0.30
2018-19	63	2.26
योग	**3,178**	**19.08**

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2018–19)

अधिकांश डी.सी. देयक **सारणी 3.4** में सूचीबद्ध विभागों से प्रतीक्षित थे।

सारणी 3.4: विभागों की सूची जहां विस्तत आकस्मिक देयक लम्बित थे

क्र. सं.	विभाग का नाम	लम्बित विस्तृत आकस्मिक देयकों की संख्या	लम्बित धनराशि (₹ करोड़ में)	लम्बित डी.सी की धनराशि की प्रतिशतता
1.	सचिवालय, प्रशासन विभाग	128	7.05	36.95
2.	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय)	04	1.98	10.38
3.	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	435	1.27	6.66
4.	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	645	1.20	6.29

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2018–19)

राज्य सरकार द्वारा बताया गया (जुलाई 2020) कि ए.सी देयकों के समायोजन के लिए सम्बन्धित विभागों को समय–समय पर निर्देश जारी किये गये थे एवं 31 मार्च 2020 तक लम्बित डी.सी. देयकों की संख्या घटकर 1,330 रह गई थी जिसके समायोजन के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

तथ्य यह बना हुआ है कि निर्धारित समय के अन्दर डी.सी. देयकों को प्रस्तुत नहीं किया जाना न केवल वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन है अपितु अपव्यय/दुर्विनियोग/अपकरण आदि की सम्भावना को भी बढ़ाता है।

संस्तुतिः *वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक समय से लम्बित सभी ए.सी. देयकों का समायोजन समयबद्ध तरीके से किया जाय एवं यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मात्र बजट व्यपगत होने से बचाने के लिये ए.सी. देयकों से आहरण न हो।*

3.4 रोकड़बही का अपूर्ण रहना/अनुरक्षण न किया जाना

प्राप्तियों एवं संवितरणों के वित्तीय संव्यवहारों के लिये रोकड़बही एक प्राथमिक अभिलेख है जिसे प्रत्येक कार्यालय में शासकीय धन की प्राप्ति तथा अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिये अनिवार्य रूप से अनुरक्षित किया जाना आवश्यक है। रोकड़बही का अनुरक्षण न किये जाने/अनुचित अनुरक्षण किये जाने से न केवल लेखे की शुद्धता एवं पूर्णता प्रभावित होती है अपितु यह शासकीय निधियों के सम्भावित कपट, दुर्विनियोग एवं गबन का भी संकेतक है।

राज्य विधायिका को प्रस्तुत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों एवं महालेखाकार द्वारा विभिन्न विभागों को अलग से जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों में राज्य सरकार की विभिन्न इकाइयों द्वारा रोकड़बही का अनुरक्षण न किये जाने/अनुचित अनुरक्षण किये जाने से सम्बन्धित कई प्रकरणों को सम्मिलित किया जाता रहा है। अद्यतन लेखापरीक्षा में प्रकाश में आये कुछ प्रकरण ***परिशिष्ट 3.1*** में सूचीबद्ध किये गये हैं। ये प्रकरण अप्रैल 2019 से दिसम्बर 2019 की अवधि में लेखापरीक्षित 534 इकाइयों की नमूना जांच में संज्ञान में आये थे, यद्यपि, ऐसे प्रकरण अन्य इकाइयों में भी घटित हो सकते हैं। इसलिए, अन्य आहरण एवं वितरण अधिकारियों के प्रकरण में आवश्यक अभिलेखों का अनुरक्षण सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से वित्त विभाग द्वारा आन्तरिक जांच कराया जाना चाहिये।

संस्तुतिः *वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार के सभी विभागों एवं अधीनस्थ इकाइयों द्वारा रोकड़बही का अनुरक्षण किया जाय।*

3.5 धनराशियों का केन्द्रीय सड़क निधि में अन्तरण न किया जाना

मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची में केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) से सम्बन्धित लेखा प्रक्रिया वर्णित है। इस प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार से प्राप्त ऐसे अनुदान को राज्य लेखे के मुख्य शीर्ष '1601–केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान' के अन्तर्गत क्रेडिट किया जाता है। इन धनराशियों के समतुल्य धनराशि को मुख्य शीर्ष '3054–सड़क एवं सेतु' या अन्य कोई सम्बन्धित समुचित लेखाशीर्ष मे डेबिट करते हुए मुख्यशीर्ष '8449–अन्य जमा–केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त सहायता' में क्रेडिट किया जाता है, जहां से व्यय का वहन सड़क एवं सेतु के अनुरक्षण तथा मरम्मत पर किया जाता है।

भारत सरकार से सी.आर.एफ. अनुदान के रूप में वर्ष 2018-19 में प्राप्त ₹ 655.91 करोड़ को लोक लेखे में अन्तरित करने में राज्य सरकार विफल रही, यद्यपि सड़कों एवं सेतुओं के अनुरक्षण एवं मरम्मत पर ₹ 4,302.40 करोड़ का व्यय किया गया था, तथापि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त ₹ 655.91 करोड़ में से विनिर्दिष्ट उद्देश्यों पर कितना उपभोग किया गया।

निर्धारित लेखा प्रक्रिया के अनुसार, सी.आर.एफ. का लेखांकन न किये जाने के कारण भारत सरकार से केन्द्रीय सड़क निधि के लिए प्राप्त अनुदानो के वास्तविक उपभोग में अपारदर्शिता थी।

3.6 राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

प्राप्ति एवं व्यय के त्रुटिपूर्ण पुस्तांकन/लेखांकन के परिणामस्वरूप, वित्त लेखे 2018-19 के अनुसार, राजस्व आधिक्य में ₹ 13,418.64 करोड़ की निवल अतिशयता हुई। अग्रेतर, राजकोषीय घाटे में भी ₹ 13,410.69 करोड़ की न्यूनता हुई, जैसा **सारणी 3.5** में दर्शाया गया है।

सारणी 3.5: राज्य लेखे के अनुसार राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटा पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

मद	राजस्व आधिक्य पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
	राजस्व आधिक्य की अतिशयता	राजस्व आधिक्य की न्यूनता	राजकोषीय घाटे की अतिशयता	राजकोषीय घाटे की न्यूनता
राजस्व के स्थान पर पूंजीगत प्रभाग के अन्तर्गत पुस्तांकित लघु निर्माण कार्य, वाहनों का अनुरक्षण, पेट्रोल आदि का क्रय, कम्प्यूटर का रख–रखाव एवं सम्बन्धित लेखन सामग्री के क्रय पर व्यय (वित्त लेखे भाग–I लेखाओं पर टिप्पणी की प्रस्तर संख्या 1(v))	68.98	-	-	-
पूंजीगत के स्थान पर राजस्व प्रभाग के अन्तर्गत पुस्तांकित कार्यालय उपयोग हेतु स्टाफ कार/वाहन के क्रय पर व्यय (वित्त लेखे भाग–I लेखाओं पर टिप्पणी के प्रस्तर संख्या 1(v))	-	61.03	-	-
प्रत्याभूति विमोचन निधि में अंशदान न करना (वित्त लेखे भाग–I लेखाओं पर टिप्पणी के प्रस्तर संख्या 3(ii))	453.91	-	-	453.91
निक्षेप निधि से धनराशि का राजस्व प्राप्तियों के रूप में समेकित निधि को अन्तरण (वित्त लेखे भाग–I लेखाओं पर टिप्पणी के प्रस्तर संख्या 3(v)(अ))	12,693.33	-	-	12,693.33
एन.डी.आर.एफ. अनुदान का अन्तरण न किया जाना (वित्त लेखे भाग–I लेखाओं पर टिप्पणी के प्रस्तर संख्या 3(v)(ब))	157.23	-	-	157.23
आरक्षित निधि अवशेषों (राज्य आपदा अनुक्रिया निधि) पर ब्याज का भुगतान न किया जाना। (वित्त लेखे भाग–I लेखाओं पर टिप्पणी के प्रस्तर संख्या 3(v)(ब))	106.22	-	-	106.22
योग	**13,479.67**	**61.03**	**-**	**13,410.69**

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2018–19)

उपरोक्त दृष्टि से, राज्य का राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटा जो क्रमशः ₹ 28,250 करोड़ एवं ₹ 35,203 करोड़ था, वास्तव में ₹ 14,831 करोड़ एवं ₹ 48,614 करोड़ होगा।

3.7 भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर

भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (बी.ओ.सी.डब्ल्यू.) कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 ऐसे किसी भी प्रतिष्ठान, जिनके द्वारा किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य में 10 या अधिक निर्माण श्रमिकों को नियोजित किया गया हो, को समाविष्ट करता है। अधिनियम में, अन्य बातों के साथ, श्रमिकों के कार्य की दशा में सुधार एवं उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से कल्याण बोर्ड के गठन किये जाने तथा निर्माण की लागत पर उपकर के आरोपण एवं संग्रहण के माध्यम से कल्याण बोर्ड के संसाधनों में वृद्धि किये जाने का प्रावधान है। तद्नुसार, राज्य सरकार ने उ.प्र. बी.ओ.सी.डब्ल्यू. कल्याण बोर्ड का गठन (नवम्बर 2009) किया तथा उपकर अधिनियम के अनुसार, एक *प्रतिशत* की दर से उपकर उद्ग्रहित किया। उ.प्र. बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियमावली 2009 में पंजीकरण शुल्क ₹ 50 एवं पंजीकृत श्रमिकों से वार्षिक सदस्यता शुल्क ₹ 50 का संग्रहण किया जाना उपबन्धित है। इस सम्बन्ध में, लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत् हैं।

3.7.1 उपकर का लेखांकन

उ.प्र. बी.ओ.सी.डब्ल्यू. कल्याण बोर्ड द्वारा गठन (नवम्बर 2009) से ही अपने लेखे को अन्तिम रुप नहीं दिया गया। विगत पांच वर्षों (2014-19) की अवधि में उपकर की प्राप्तियों एवं उपभोग का विवरण, जैसा कि बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया गया, को **सारणी 3.6** में दर्शाया गया है।

सारणी 3.6: पंजीकरण शुल्क, संग्रहित उपकर एवं उपभोग की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्तियाँ				कुल उपलब्ध निधियां	व्यय	अन्तिम अवशेष
		पंजीकरण शुल्क एवं वार्षिक सदस्यता शुल्क	श्रम उपकर		जमा धनराशि पर ब्याज			
			बोर्ड खाते में प्राप्त	कोषागार से प्राप्त (राज्य सरकार)				
2014-15	1,322.87	28.59	500.44	9.25	97.07	1,958.22	127.63	1,830.59
2015-16	1,830.59	14.55	686.81	0	128.37	2,660.32	202.41	2,457.91
2016-17	2,457.91	13.00	829.60	10.00	162.23	3,472.74	277.78	3,194.96
2017-18	3,194.96	10.54	789.79	36.96	214.36	4,246.61	324.14	3,922.47
2018-19	3,922.47	7.42	891.31	9.99	247.85	5,079.04	193.85	4,885.19

(स्रोतः सचिव, बी.ओ.सी.डब्ल्यू.) (अनन्तिम आंकड़े)

चूँकि बोर्ड द्वारा आरम्भ से ही अपने लेखे तैयार नहीं किये गये हैं, इसलिए लेखापरीक्षा में प्राप्ति एवं व्यय की प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। राज्य सरकार द्वारा 16 विभागों के अधिकारियों को उपकर निर्धारण अधिकारी एवं उपकर संग्रहक नामित (सितम्बर 2010) किया गया। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश (अगस्त 2013 एवं सितम्बर 2016) में सम्बन्धित अधिकारियों को संग्रहीत उपकर की प्राप्तियों को बोर्ड

द्वारा इस हेतु संचालित राष्ट्रीयकृत बैंक खाता में जमा किये जाने के निर्देश दिये गये। उपकर को राज्य की समेकित निधि में लाये बिना सीधे बैंक खाते में अन्तरित किये जाने का आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के प्रावधान का उल्लंघन है। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार के लेखे से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि उपकर, शुल्क आदि की कितनी धनराशि उपकर निर्धारण अधिकारियों एवं उपकर संग्रहकों द्वारा संग्रहीत की गयी एवं कितनी धनराशि बोर्ड को अन्तरित की गयी।

3.7.2 श्रमिक उपकर का उपभोग

राज्य सरकार द्वारा बी.ओ.सी. डब्ल्यू. कल्याण निधि से सन्निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों यथा मातृत्व हितलाभ, पेंशन, आवास क्रय/निर्माण हेतु अग्रिम, अन्त्येष्टि सहायता, चिकित्सीय सहायता, मेधावी छात्रों को नकद पुरस्कार, लाभार्थियों के बच्चों की शिक्षा/विवाह हेतु वित्तीय सहायता आदि को अधिसूचित किया गया। वर्ष 2014-19 की अवधि में इन योजनाओं पर हुये व्यय का विवरण **सारणी 3.7** में दर्शाया गया है।

सारणी 3.7: निधि के आवंटन एवं उपलब्धता के सापेक्ष योजनाओं पर व्यय का विवरण

वर्ष	उपलब्ध निधि (₹ करोड़ में)	संचालित योजनायें		योजनाओं पर वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	वर्ष के अंत तक पंजीकृत श्रमिक	आच्छादित श्रमिक	प्रतिशतता		
		संख्या	बी.ओ.सी.डब्ल्यू. बोर्ड द्वारा आवंटन (₹ करोड़ में)				आच्छादित श्रमिक	आवंटित निधि के सापेक्ष उपभोग	उपलब्ध निधि के सापेक्ष उपभोग
2014-15	1,958.22	22	457.90	105.96	19,58,544	2,14,121	10.93	23.14	5.41
2015-16	2,660.32	21	605.61	141.82	27,41,452	2,77,909	10.14	23.42	5.33
2016-17	3,472.74	23	752.83	249.88	34,27,104	5,16,851	15.08	33.19	7.20
2017-18	4,246.61	18	514.06	282.57	42,08,744	3,50,384	8.33	54.97	6.65
2018-19	5,079.04	21	361.75	174.45	48,56,323	2,69,500	5.55	48.22	3.43

(स्रोतः सचिव, बी.ओ.सी.डब्लू.) (अनन्तिम आंकड़े)

जैसा कि सारणी से स्पष्ट है, बोर्ड द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिये उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष मात्र तीन से सात *प्रतिशत* का व्यय किया गया एवं मात्र छः से 15 *प्रतिशत* तक पंजीकृत श्रमिकों को आच्छादित किया गया। बोर्ड द्वारा बताया गया (दिसम्बर 2019) कि बी.ओ.सी.डब्ल्यू. के लिये सितम्बर 2018 में भारत सरकार द्वारा परिसंचारित मॉडल कल्याण योजना के दृष्टिगत प्रचलित कल्याण योजनाओं को पुनरीक्षित किया गया जिसके कारण वर्ष 2018-19 में निधियों का कम उपभोग हो पाया था।

संस्तुतिः *उ.प्र. बी.ओ.सी.डब्लू. कल्याण बोर्ड द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों की कार्य की दशा में सुधार एवं उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता दिये जाने के अपने अधिदेश की पूर्ति की जानी चाहिए। उपकर को, समेकित निधि के माध्यम से अन्तरित न करके, बोर्ड के बैंक खाते में सीधे अन्तरण किये जाने के अपने आदेशों की राज्य सरकार द्वारा समीक्षा भी की जानी चाहिए।*

3.8 विकास प्राधिकरणों को अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी का अन्तरण

उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग द्वारा अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के संग्रहण करने का प्रावधान करता है, जिसे बाद में, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, नगर निगमों/नगर पालिकाओं को विर्निदिष्ट अनुपात में अंतरण किया जाता है ।

स्टाम्प ड्यूटी एवं अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के रूप में प्राप्त धनराशि का लेखांकन मुख्य शीर्ष 0030-स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, 02-स्टाम्प नान-जुडिशियल, 102-स्टाम्प बिक्री के अन्तर्गत किया जाता है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के लेखांकन के लिए अलग से उप शीर्ष नहीं खोला गया है जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार द्वारा दो *प्रतिशत* अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त की गयी है तथा क्या प्राप्त समस्त धनराशियों को सम्बन्धित नगर निगमों/नगर पालिकाओं/परिषदों/विकास प्राधिकरणों को विर्निदिष्ट अनुपात में अन्तरित कर दिया गया है।

विकास प्राधिकरणों/नगर पालिकाओं को निधियों के अन्तरण के सम्बन्ध में, यह पाया गया कि सरकार द्वारा अन्तरित अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के व्यय का पुस्तांकन मुख्यशीर्ष 2216-आवास या 2217-नगर विकास, जैसा प्रकरण हो, के स्थान पर मुख्यशीर्ष 3475-800-03 के अन्तर्गत किया जा रहा था।

राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश (अप्रैल 2017) में निर्धारित किया गया कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा अनुमोदित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (लेखा) सभी प्राधिकरणों को धनराशि अवमुक्त करेगा। वर्ष 2018-19 में, ₹ 200 करोड़ के बजट प्रावधान के सापेक्ष कोई धनराशि प्राधिकरणों/परिषदों को अन्तरित नहीं की गयी। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने बताया (जनवरी 2020) कि वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण धनराशि अन्तरित नहीं की जा सकी।

अग्रेतर, सरकार द्वारा अतिरिक्त दो *प्रतिशत* स्टाम्प ड्यूटी के वितरण की प्रक्रिया के निर्धारण (सितम्बर 2013) में, एकत्र धनराशि का 25 *प्रतिशत* डेडीकेटेड नगर परिवहन निधि (डी.यू.टी.एफ.) को अन्तरित किये जाने का आदेश दिया गया जो अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, संग्रहीत दो *प्रतिशत* स्टाम्प ड्यूटी की अतिरिक्त धनराशि का आवंटन विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, नगर निगमों, नगर पालिकाओं/परिषदों को करना था और इसलिये निधि की 25 *प्रतिशत* धनराशि डेडीकेटेड नगर परिवहन निधि को स्थानान्तरित किया जाना अनियमित था। यह पाया गया कि सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 से डी.यू.टी. एफ. के लिये निरन्तर प्रावधान किया जा रहा था। इस सम्बन्ध में किये गये प्रावधान एवं व्यय का विवरण **सारणी 3.8** में दर्शाया गया है।

सारणी 3.8: डेडीकेटेड नगर परिवहन निधि के लिये प्रावधान/व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रावधान	व्यय
2014-15	300	285
2015-16	434	430
2016-17	375	00
2017-18	375	00
2018-19	150	00

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे)

वर्ष 2018-19 में डी.यू.टी.एफ. के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधानित ₹ 150 करोड़ की धनराशि का समर्पण (मार्च 2019) शहरी नियोजन विभाग द्वारा यह कहते हुए कर दिया गया कि वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण धनराशि व्यय नहीं की जा सकी।

संस्तुतिः *राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उ.प्र. शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की प्राप्तियाँ एवं प्राधिकरणों/नगर पालिकाओं आदि को अन्तरित धनराशि लेखे में पूर्णरूपेण एवं पारदर्शिता से प्रदर्शित हो। अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की 25 प्रतिशत धनराशि डेडीकेटेड नगर परिवहन निधि को अन्तरण सम्बन्धी प्राधिकृत करने वाले आदेश, जिसका अधिनियम में प्रावधान नहीं है, की समीक्षा भी राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए।*

3.9 शासकीय धनराशि की गबन या हानि के प्रकरणों की रिपोर्टिंग

राज्य सरकार द्वारा सूचित शासकीय धनराशि के गबन या हानि के 135 प्रकरण जिसमें ₹ 9.31 करोड़ की धनराशि निहित थी, जिन पर 31 मार्च 2019 तक अन्तिम कार्यवाही लम्बित थी। 135 प्रकरणों में से 101 प्रकरणों में प्राथमिकी सूचना दर्ज कराई गई थी। विभागवार लम्बित प्रकरणों एवं उनका अवधिवार विश्लेषण ***परिशिष्ट 3.2*** में दर्शाया गया है। ऐसे प्रकरणों की प्रकृति का विवरण ***परिशिष्ट 3.3*** में दर्शाया गया है। परिशिष्टियों में दिये गये लम्बित प्रकरणों की प्रकृति एवं अवधिवार स्थिति को **सारणी 3.9** में सारांशीकृत किया गया है।

सारणी 3.9: लम्बित प्रकरणों की स्थिति

अवधिवार लम्बित प्रकरण		
अवधि (वर्षों में)	प्रकरणों की संख्या	निहित धनराशि (₹ लाख में)
0 – 5	0	0
5 – 10	21	400.77
10 – 15	18	49.51
15 – 20	13	78.27
20 – 25	32	13.87
25 से अधिक	51	388.36
योग	**135**	**930.78**

लम्बित प्रकरणों की प्रकृति		
प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	निहित धनराशि (₹ लाख में)
चोरी	62	33.21
दुर्विनियोग	09	111.95
हानि	23	171.78
गबन	41	613.84
योग	**135**	**930.78**

(स्रोतःसम्बन्धित विभागों के अभिलेख)

कुल लम्बित 136 प्रकरणों (31 मार्च 2018 तक) जिनमें निहित धनराशि ₹ 935.22 लाख थी, में से वर्ष 2018-19 में ₹ 4.44 लाख के एक प्रकरण का निस्तारण/अपलेखन (***परिशिष्ट 3.4***) किया गया जिससे मार्च 2019 तक कुल 135 प्रकरणों में निहित

धनराशि ₹ 930.78 लाख लम्बित थी। लम्बित रहने का कारण, जैसा कि विभागों द्वारा सूचित किया गया, **सारणी 3.10** में सूचीबद्ध है।

सारणी 3.10: प्रकरणों के लम्बित रहने के कारण

विलम्ब/लम्बित प्रकरणों का कारण		प्रकरणों की संख्या	धनराशि (₹ लाख में)
क	विभागीय एवं आपराधिक जाँच प्रतीक्षित थे	27	189.67
ख	विभागीय जाँच प्रारम्भ की गयी परन्तु अन्तिम रूप नहीं दिया गया	72	536.62
ग	आपराधिक कार्यवाही पूरी की गयी परन्तु धनराशि की वसूली लम्बित	1	4.14
घ	वसूली या अपलेखन के आदेश अपेक्षित	9	6.40
ङ	माननीय न्यायालयों में लम्बित	26	193.95
	योग	**135**	**930.78**

(स्रोतः सम्बन्धित विभागों के अभिलेख)

संस्तुतिः *शासन को अपेक्षित विभागीय कार्यवाही शीघ्रता से पूर्ण करनी चाहिए एवं ऐसे प्रकरणों की रोकथाम/पुनरावृत्ति में कमी के लिये आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहिए।*

3.10 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखे

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से अपेक्षित है कि निर्धारित प्रारूप में प्रोफॉर्मा वार्षिक लेखाओं को अन्तिम रूप दें एवं लेखाबन्दी के तीन माह के अन्दर लेखापरीक्षा हेतु महालेखाकार को प्रस्तुत करें। तथापि, राज्य के नौ विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में से तीन ने कई वर्षों से अपने लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया था (***परिशिष्ट 3.5)***।

3.11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166 एवं 210 के अनुसार, कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः माह के अन्दर अर्थात् 30 सितम्बर तक अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार का प्रावधान कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96(1) के साथ पठित धारा 129(2) में भी निहित है। ऐसा करने में विफलता कम्पनी अधिनियम, 2013[32] की धारा 129(7) के अन्तर्गत दण्ड के प्रावधानों को आकर्षित कर सकती है, जिसमें निर्धारित है कि दोषी कम्पनी के प्रत्येक अधिकारी, जो अनुपालन नहीं करने के उत्तरदायी हैं, को कारावास की सजा जो एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है या अर्थदण्ड जो रूपया पचास हजार से कम नही होगी परन्तु जिसे रूपया पांच लाख तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा दोनों के साथ दण्डनीय होंगे। सांविधिक निगमों के लेखाओं को, उनसे संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अन्तिमीकृत, सम्प्रेक्षित एवं विधायिका में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ।

[32] पूर्व में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210(5) में निर्धारित था कि यदि कोई व्यक्ति, जो कम्पनी का निदेशक हो, इस धारा के प्रावधानों के अनुपालन में युक्तिसंगत कदम उठाने में विफल रहता है तो प्रत्येक अपराध के लिये कारावास के साथ दण्डित किया जा सकता है जो छः माह तक का हो सकता है, या अर्थदण्ड जो दस हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों के साथ दण्डित होंगे।

उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, उत्तर प्रदेश में 92 *प्रतिशत* से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) के लेखे बकाये हैं, जिनका विवरण **सारणी 3.11** में दर्शाया गया है।

सारणी 3.11: पी.एस.यू. के वार्षिक लेखाओं के बकाये का अवधिवार विवरण

क्र. सं.	विवरण	क्रियाशील	अक्रियाशील	योग
1	पी.एस.यू. की संख्या	64	46	110
2(अ)	बकाये लेखे वाले पी.एस.यू./निगमों की संख्या	60	42	102
2(ब)	बकाये लेखाओं की संख्या	225	658	883
3(अ)	5 वर्ष से कम बकाया लेखे वाले पी.एस.यू./निगमों की संख्या	42	11	53
3(ब)	उपरोक्त पी.एस.यू/निगमों में बकाया लेखाओं की संख्या	75	25	100
4(अ)	5 से 10 वर्ष के बकाया लेखे वाले पी.एस.यू./निगमों की संख्या	13	07	20
4(ब)	उपरोक्त पी.एस.यू/निगमों में बकाया लेखाओं की संख्या	91	50	141
5(अ)	10 वर्षों एवं उससे अधिक के बकाया लेखे वाले पी.एस.यू./निगमों की संख्या	5	24	29
5(ब)	उपरोक्त पी.एस.यू/निगमों में बकाया लेखाओं की संख्या	59	583	642
6	बकाये लेखाओं की सीमा (वर्ष में)	1 से 15	1 से 37	1 से 37

(स्रोतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 30 सितम्बर 2019 तक अद्यतन् अन्तिमीकृत लेखे)

ऊपर दर्शित स्थिति व्यतिक्रमी कम्पनियों एवं निगमों द्वारा सुसंगत अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने में सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों एवं विशेष रूप से वित्त विभाग की विफलता को इंगित करती है। अग्रेतर, राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2019 तक 22 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता ₹ 5,036.61 करोड़ (इक्विटीः ₹ 1,552.38 करोड़, ऋणः ₹ 996.52 करोड़, पूंजीगत अनुदानः ₹ 1,748.52 करोड़, अन्य अनुदानः ₹ 665.57 करोड़ एवं सब्सिडीः ₹ 73.62 करोड़) तथा प्रत्याभूति ₹ 4,460.64 करोड़ उस अवधि के दौरान दिया गया जिनमें उनके लेखे बकाया थे (***परिशिष्ट 3.6***)। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों का घोर उल्लंघन करते हुए गत 1 से 15 वर्षों के लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं किया था। लेखाओं के अन्तिमीकरण न होने के कारण, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक, जैसा कि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 एवं कम्पनी अधिनियम में अपेक्षित है, इन पी.एस.यू. के लेखाओं के प्रमाणीकरण करने के सम्बन्ध में अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ रहे।

लेखापरीक्षा में संज्ञान में आया कि इन पी.एस.यू. द्वारा वित्तीय सहायता के लिये की गयी मांग की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिये वांछित लेखाओं के अभाव में भी, वित्त विभाग द्वारा इन पी.एस.यू. को इक्विटी, ऋण एवं सहायता अनुदान/सब्सिडी के अंतः–प्रवाह के रूप में बजटीय सहायता नियमित रूप से उपलब्ध करायी गयी। राज्य सरकार द्वारा 22 क्रियाशील कम्पनियों/सांविधिक निगमों, जिनके वर्ष 2017-18 तक के

लेखे वर्ष 2018-19 में प्राप्त नहीं हुए थे, को बजटीय सहायता ₹ 6,339.54 करोड़ तथा प्रत्याभूति ₹ 4,460.64 करोड़ दिया गया, जिसका विवरण ***परिशिष्ट 3.6*** में दिया गया है। इस प्रकार, राज्य सरकार को व्यय की उपयोगिता देखने की आवश्यकता है।

संस्तुतिः *वित्त विभाग को उन सभी पी.एस.यू. के प्रकरणों की समीक्षा करनी चाहिए जिनके लेखे बकाया हैं एवं सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित समयान्तर्गत लेखे वर्तमानकालिक बनें।*

3.12 घोषित नहीं किये गये लाभांश

राज्य सरकार द्वारा एक लाभांश नीति प्रतिपादित (अक्टूबर 2002) की गयी जिसके अन्तर्गत सभी लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अंशपूंजी के योगदान का न्यूनतम पांच *प्रतिशत* लाभांश भुगतान करना आवश्यक था। तद्नुसार, 17 पी.एस.यू. द्वारा अपने अद्यतन् लेखे के आधार पर ₹ 611.22 करोड़ का लाभांश घोषित करना था (***परिशिष्ट 3.7***)। तथापि, मात्र 11 पी.एस.यू. ने ₹ 8.29 करोड़ का लाभांश घोषित किया। लाभ अर्जित करने वाले शेष छः पी.एस.यू. ने ₹ 602.93 करोड़ का लाभांश घोषित नहीं किया, जिनमें से ₹ 602.48 करोड़ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से सम्बन्धित है।

संस्तुतिः *राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लाभ अर्जित करने वाले पी.एस.यू. वर्ष के अन्त तक विनिर्दिष्ट लाभांश को निश्चित रूप से शासकीय लेखे में जमा करें।*

3.13 मिलान नहीं किये गये इक्विटी/ऋण

निवेश प्राप्तकर्ता संगठन/राज्य पी.एस.यू. के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी एवं लम्बित ऋण के आंकड़े राज्य के वित्त लेखे में प्रदर्शित आंकड़ों के संगत होने चाहिए। 31 मार्च 2019 तक, सरकार ने विभिन्न इकाइयों[33] में कुल ₹ 1,18,532 करोड़ का निवेश किया था। तथापि, निवेश प्राप्तकर्ता संगठनों की लेखाबही के अनुसार यह राशि ₹ 1,24,808 करोड़ थी। आंकड़ों में ₹ 6,276 करोड़ की भिन्नता का मिलान अपेक्षित था।

अग्रेतर, वित्त लेखे 2018-19 के अनुसार, ₹ 30,709.56 करोड़ के कुल ऋण में से ऋण ₹ 1,998.72 करोड़ की राशि का मिलान वर्ष 2018-19 के दौरान ऋण प्राप्तकर्ताओं द्वारा शासकीय लेखे से नहीं किया गया था।

संस्तुतिः *वित्त विभाग एवं सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेशों, ऋणों एवं प्रत्याभूतियों से सम्बन्धित अभिलेखों एवं लेखे में भिन्नता के मिलान के लिये महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।*

[33] सरकारी कम्पनियों (₹ 1,15,283 करोड़), सहकारिताएं (₹ 2,247 करोड़), सांविधिक निगमों (₹ 956 करोड़) एवं बैंक (₹ 58 करोड़)–₹ 12 करोड़ के निवेश के विवरण का मिलान प्रगति में है।

3.14 लेखाओं में अपारदर्शिता

अन्य प्राप्तियाँ एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित लघु शीर्ष 800 का परिचालन तभी किया जाना अभीष्ट है जब लेखे में समुचित लघु शीर्ष उपलब्ध न हो। लघु शीर्ष 800 का नियमित परिचालन हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखाओं को अपारदर्शी बनाता है।

जॉच में पाया गया कि वर्ष 2018-19 में लेखे के विभिन्न राजस्व एवं पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 800 परिचालित था। इस प्रकार व्यय पक्ष में **₹** 38,022.97 करोड़, जो कुल व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत) का 10.44 *प्रतिशत* था, विभिन्न मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के अन्तर्गत अभिलेखित किया गया।

इसी प्रकार, लेखे के विभिन्न राजस्व मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत **₹** 24,190.25 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 7.33 *प्रतिशत*) विभिन्न मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत अभिलेखित किये गये।

ऐसे उदाहरण जहाँ पर्याप्त भाग (सम्बन्धित मुख्य लेखाशीर्ष के अन्तर्गत कुल प्राप्तियों/व्यय का 50 *प्रतिशत* या अधिक) लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों/व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये थे, का विवरण **लेखाओं पर टिप्पणी (वित्त लेखे–भाग–1)** के ***परिशिष्ट ख*** एवं ***ग*** में दिये गये हैं।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के विगत प्रतिवेदनों में यह प्रकरण निरन्तर प्रतिवेदित किया जाता रहा है। वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में, लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ के अन्तर्गत सर्वग्राही पुस्ताकंन कुल राजस्व प्राप्ति का 6.59 *प्रतिशत* से बढ़कर 7.33 *प्रतिशत* हो गया, जबकि लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय में पुस्ताकंन कुल व्यय का 8.90 *प्रतिशत* से बढ़कर 10.44 *प्रतिशत* हो गया। तथ्य यह है कि सम्बन्धित मुख्य शीर्ष के अधीन बहुत अधिक अनुपात में प्राप्तियों एवं व्ययों को लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत पुस्तांकित किया गया है, जो गंभीर चिन्ता का विषय है क्योंकि यह लेखे की पारदर्शिता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

संस्तुतिः *वित्त विभाग द्वारा वर्तमान में लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्रदर्शित हो रही सभी मदों की विस्तृत समीक्षा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श से संचालित करनी चाहिए एवं सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी सभी प्राप्तियों एवं व्ययों को लेखे के समुचित शीर्ष के अन्तर्गत पुस्तांकित हो एवं अग्रेतर, यदि आवश्यक हो, समुचित लेखाशीर्षों को खोला जाए।*

3.15 राज्य के पुनर्गठन पर अवशेषों का विभाजन

अविभाजित राज्य उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 9 नवम्बर 2000 से प्रभावी होने के दो दशक के पश्चात् भी उत्तराधिकारी राज्यों उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य जमा तथा अग्रिम (मुख्य शीर्ष 8336-सिविल जमा से मुख्य शीर्ष 8550-सिविल अग्रिम तक) के अन्तर्गत प्रदर्शित अवशेष धनराशि **₹** 8,757.37 करोड़ विभाजन हेतु शेष थी।

संस्तुतिः *राज्य सरकार द्वारा जमा तथा अग्रिम (₹ 8,757.37 करोड़) के अवशेषों का विभाजन दोनों उत्तराधिकारी राज्यों के मध्य शीघ्र किया जाना चाहिये।*

3.16 अनुवर्ती कार्यवाही

वर्ष 2008-09 से राज्य के वित्त पर आधारित प्रतिवेदन पृथक से तैयार किया जा रहा है एवं राज्य विधायिका को प्रस्तुत किया जा रहा है। लोक लेखा समिति द्वारा इन प्रतिवेदनों पर अभी चर्चा की जानी शेष है।

स जफा

(सरित जफा)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम)
उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद
दिनांकः 01 अगस्त 2020

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांकः 4th August, 2020

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

राज्य का परिदृश्य

(संदर्भः राज्य का परिदृश्य; पृष्ठ 1)

क्र0 सं0		विवरण		आँकड़े
अ. सामान्य आँकड़े				
1	क्षेत्रफल			2,40,928 वर्ग किमी0
2	जनसंख्या			
	अ.	2011 की जनगणना के अनुसार		19.98 करोड़
	ब.	2019		23.01 करोड़
3	अ.	जनसंख्या घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0)		690 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0
	ब.	जनसंख्या घनत्व[1] (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0)		829 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0
4	गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या[2] (बी0पी0एल0) (2011-12) (अखिल भारतीय औसत = 21.9 *प्रतिशत*)			29.4 *प्रतिशत*
5	अ.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.80 *प्रतिशत*)		56.27 *प्रतिशत*
	ब.	साक्षरता[3] (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73 *प्रतिशत*)		67.7 *प्रतिशत*
6	शिशु मृत्युदर[4] (2017) (प्रति 1000 जन्म पर) (अखिल भारतीय औसत = 33 प्रति 1000 जन्म पर)			41 प्रति 1000 जन्म पर
7	जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा[5] 2012-16 (अखिल भारतीय औसत =68.7 वर्ष)			64.8 वर्ष
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) वर्तमान मूल्यों पर			₹ 15,42,432 करोड़
9	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (2011-12 से 2018-19)		उत्तर प्रदेश	9.73 *प्रतिशत*
			सामान्य श्रेणी राज्य	10.99 *प्रतिशत*
10	सकल राज्य घरेलू उत्पाद[6] मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (2011-12 से 2018-19)		उत्तर प्रदेश	11.41 *प्रतिशत*
			सामान्य श्रेणी राज्य	12.23 *प्रतिशत*
11	दशकीय जनसंख्या वृद्धि[7] (2009 से 2019)		उत्तर प्रदेश	17.50 *प्रतिशत*
			सामान्य श्रेणी राज्य	12.46 *प्रतिशत*

[1] सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (एम.ओ.एस.पी.आई.), भारत सरकार वेबसाइट सारणी 2.3 सांख्यकी वार्षिकांक 2018
[2] इकोनोमिक सर्वे 2018-19, भाग II, पृष्ठ 168 अ 169 सारणी 9.8
[3] इकोनोमिक सर्वे 2018-19, भाग II, पृष्ठ 164 अ सारणी 9.4
[4] इकोनोमिक सर्वे 2018-19, भाग II, पृष्ठ 160 अ सारणी 9.1
[5] इकोनोमिक सर्वे 2018-19, भाग II, पृष्ठ 160 अ सारणी 9.1
[6] 1 अगस्त 2019 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े जारी। वर्ष 2018-19 के लिये कुछ राज्यों जैसे अरूणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड एवं त्रिपुरा के आंकड़े नहीं दिये गये है। अतः इन राज्यों के आंकड़े सम्बन्धित प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार से प्राप्त किये गये है।
[7] भारत एवं राज्यों के जनसंख्या अनुमान 2001-2016 सारणी 14 (पृष्ठ 104 से 115) ।

<table>
<tr><th colspan="7">ब. वित्तीय आंकड़े</th></tr>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th colspan="2">विवरण</th><th colspan="4">आंकड़े (प्रतिशत में)</th></tr>
<tr><td rowspan="11">12</td><th colspan="2" rowspan="2">मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर</th><th colspan="2">2009-10 से 2017-18</th><th colspan="2">2017-18 से 2018-19</th></tr>
<tr><th>सामान्य श्रेणी राज्य</th><th>उत्तर प्रदेश</th><th>सामान्य श्रेणी राज्य</th><th>उत्तर प्रदेश</th></tr>
<tr><td>क.</td><td>राजस्व प्राप्तियाँ</td><td>15.03</td><td>14.19</td><td>12.77</td><td>18.37</td></tr>
<tr><td>ख.</td><td>स्वयं का कर राजस्व</td><td>14.84</td><td>14.11</td><td>12.72</td><td>23.34</td></tr>
<tr><td>ग.</td><td>करेतर राजस्व</td><td>9.88</td><td>4.80</td><td>19.78</td><td>52.06</td></tr>
<tr><td>घ.</td><td>कुल व्यय</td><td>14.20</td><td>13.00</td><td>12.73</td><td>20.75</td></tr>
<tr><td>ड.</td><td>पूंजीगत व्यय</td><td>13.53</td><td>5.70</td><td>11.93</td><td>59.80</td></tr>
<tr><td>च.</td><td>शिक्षा पर राजस्व व्यय</td><td>13.44</td><td>13.99</td><td>9.38</td><td>3.29</td></tr>
<tr><td>छ.</td><td>स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय</td><td>16.50</td><td>15.17</td><td>11.09</td><td>7.11</td></tr>
<tr><td>ज.</td><td>वेतन एवं मजदूरी</td><td>11.72</td><td>12.62</td><td>11.03</td><td>7.35</td></tr>
<tr><td>झ.</td><td>पेंशन</td><td>16.12</td><td>16.85</td><td>14.31</td><td>14.42</td></tr>
</table>

(स्रोतः वित्तीय आंकड़े सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे पर आधारित है)

परिशिष्ट 1.2

शासकीय लेखे का रूप एवं संरचना तथा वित्त लेखे का प्रारूप

(संदर्भः प्रस्तर 1.1; पृष्ठ 1)

भाग–अः शासकीय लेखे का रूप एवं संरचना

शासकीय लेखे की संरचना: राज्य सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा गया है (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखे।

भाग-1 समेकित निधिः राज्य सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां, ट्रेजरी बिलों के जरिये उगाहे गये समस्त ऋण, आन्तरिक एवं वाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के भुगतान हेतु प्राप्त समस्त धनराशि एक समेकित निधि का गठन करता है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अन्तर्गत गठित 'राज्य की समेकित निधि' नाम से जाना जाता है।

भाग-2 आकस्मिकता निधिः संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि का गठन होता है जो एक प्रकार का अग्रदाय है जिसमें से अति आवश्यक अनपेक्षित व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम लिया जाता है जो राज्यपाल के अधिकार में है। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा बाद में इसी के बराबर की धनराशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधायिका की संस्तुति प्राप्त की जाती है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग-3 लोक लेखेः प्राप्तियों एवं वितरणों से सम्बन्धित कुछ लेनदेनों यथा लघु बचत, भविष्य निधियां, आरक्षित निधि, निक्षेप, उचन्त, प्रेषण इत्यादि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते, को संविधान की धारा 266(2) के अन्तर्गत लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं वे राज्य विधायिका के द्वारा मतदान का विषय नहीं होते हैं।

भाग–बः वित्त लेखे का प्रारूप

वित्त लेखे दो भागों में विभाजित है। भाग एक सरकार के वित्तीय विवरण के सारांशीकृत रुप में और भाग दो में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाता है। भाग एक में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रमाण–पत्र, 13 सारांश विवरण और लेखे की योजना पर टिप्पणी को सम्मिलित किया जाता है जैसा कि नीचे दिया गया है।

विवरण सं0	प्रारूप
	खण्ड–I
1	वित्तीय स्थिति का विवरण
2	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण, अनुलग्नक–अ, रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश सहित
3	प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)
4	व्यय का विवरण (समेकित निधि)
5	प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण
6	उधारों और अन्य दायित्वों का विवरण
7	सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण
8	सरकार के निवेशों का विवरण
9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण
10	सरकार द्वारा दिए गये सहायता अनुदानों का विवरण
11	दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण
12	राजस्व लेखे से भिन्न व्ययों के लिए निधियों के स्रोत एवं प्रयोग का विवरण
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अन्तर्गत शेष राशियों का सारांश

खण्ड–II	
भाग–I	
14	राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
15	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
16	पूंजीगत व्यय का लघु शीर्षवार तथा उप शीर्षवार विस्तृत विवरण
17	उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण
18	राज्य सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों का विस्तृत विवरण
19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण
20	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण
21	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे के लेन–देनों का विस्तृत विवरण
22	उद्दिष्ट शेषों के निवेश का विस्तृत विवरण
भाग–II (परिशिष्ट)	
परिशिष्ट–I	वेतन पर तुलनात्मक व्यय
परिशिष्ट–II	सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय
परिशिष्ट–III	राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता (संस्थानवार और योजनावार)
परिशिष्ट–IV	वाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण
परिशिष्ट–V	योजनाओं पर व्यय अ. केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाएं एवं केन्द्रीय योजनाएं) ब. राज्य योजनाएं
परिशिष्ट–VI	राज्य में क्रियान्वयन एजेन्सियों को केन्द्रीय योजना निधियों का सीधा अन्तरण (राज्य बजट के बाहर से प्राप्त निधियाँ) (असंप्रेक्षित आँकड़े)
परिशिष्ट–VII	शेषों की स्वीकृति एवं मिलान (जैसा विवरण संख्या 18 एवं 21 में दर्शाया गया है)
परिशिष्ट–VIII	सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम
परिशिष्ट–IX	सरकार की वचनबद्धता – अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की सूची
परिशिष्ट–X	वेतन एवं गैर वेतन भाग में विभक्त अनुरक्षण व्यय
परिशिष्ट–XI	वर्ष के दौरान सरकार के प्रमुख नीतिगत निर्णय अथवा बजट में प्रस्तावित नई योजनाएं
परिशिष्ट–XII	सरकार की वचनबद्ध देयताएं
परिशिष्ट–XIII	मदें, जिनके लिये राज्यों के मध्य शेषों का विभाजन राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप अन्तिम रुप से नहीं हुआ है

परिशिष्ट 1.3

वर्ष 2018-19 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(संदर्भ: प्रस्तर 1.2; पृष्ठ 1)

(₹ करोड़ में)

	प्राप्तियाँ			संवितरण			
2017-18			**2018-19**	**2017-18**			**2018-19**
			भाग 'अ'				
2,78,775.45	**I**	**राजस्व प्राप्तियाँ**	**3,29,977.51**	**2,66,223.52**	**I**	**राजस्व व्यय**	**3,01,727.96**
97,393.00		-कर राजस्व	1,20,121.86	**1,05,781.67**		**सामान्य सेवाएं**	**1,31,057.25**
				84,251.68		**सामाजिक सेवाएं**	**91,311.73**
19,794.86		-करेतर राजस्व	30,100.71	46,140.89		-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	47,657.37
				14,792.46		-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	15,842.66
1,20,939.14		-संघीय करों में राज्यांश	1,36,766.46	6,504.18		-जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	8,707.75
				338.93		-सूचना एवं प्रसारण	360.70
				4,686.84		-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	5,210.79
				880.39		-श्रम तथा श्रमिक कल्याण	1,005.78
				10,803.71		-समाज कल्याण तथा पोषण	12,413.31
				104.28		अन्य	113.37
0.00		-वाह्य अनुदान सहायता	0.00	**64,634.76**		**आर्थिक सेवाएँ**	**67,258.59**
27,730.91		-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं हेतु सहायता अनुदान	31,249.93	27,265.39		-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध सेवाएँ	12,128.99
				17,086.30		-ग्राम्य विकास	25,908.70
8,849.23		-वित्त आयोग अनुदान	9,317.81	72.61		-विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	45.72
				6,980.61		-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	6,769.73
				7,161.54		-ऊर्जा	15,352.15
				1,308.40		-उद्योग एवं खनिज	2,024.90
				4,125.24		-परिवहन	4,532.36
4,068.31		-अन्य अन्तरण/राज्य को अनुदान	2,420.74	56.17		-विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	65.67
				578.50		-सामान्य आर्थिक सेवाएं	430.37
				11,555.41		**सहायता अनुदान एवं अंशदान**	**12,100.39**
2,78,775.45		**योग**	**3,29,977.51**	**2,66,223.52**		**योग**	**3,01,727.96**
शून्य	**II**	**राजस्व घाटा भाग 'ब' को अग्रेषित**	**शून्य**	**12,551.93**	**II**	**राजस्व आधिक्य भाग 'ब' को अग्रेषित**	**28,249.55**
2,78,775.45		**योग**	**3,29,977.51**	**2,78,775.45**		**योग**	**3,29,977.51**

	प्राप्तियाँ			संवितरण			
2017-18			2018-19	2017-18			2018-19
			भाग 'ब'				
943.91	**III**	**प्रारम्भिक रोकड़ शेष, स्थाई अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित**	**11,481.15**	-	**III**	**भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारम्भिक ओवरड्राफ्ट**	-
-	**IV**	**विविध पूंजीगत प्राप्तियां**	-	**39,087.97**	**IV**	**पूंजीगत परिव्यय**	**62,463.41**
				2,775.78		**सामान्य सेवाएं**	**3,419.43**
				11,625.13		**सामाजिक सेवाएं**	**10,589.12**
				938.27		-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	992.38
				2,111.98		-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,259.68
				7,576.16		-जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	6,138.77
				275.53		-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	131.95
				421.05		-समाज कल्याण तथा पोषण	413.10
				302.14		-अन्य	653.24
				24,687.06		**आर्थिक सेवाएं**	**48,454.86**
				1,614.43		-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्रियाकलाप	2,948.27
				2,313.12		-ग्राम्य विकास	3,406.72
				591.16		-विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	698.31
				3,107.33		-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	5,530.79
				8,312.88		-ऊर्जा	13,411.87
				69.39		-उद्योग एवं खनिज	37.14
				8,324.75		-परिवहन	21,999.90
				354.00		-सामान्य आर्थिक सेवाएं	421.86
				00		-विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	00
235.77	**V**	**ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली**	**5,313.39**	**1,509.29**	**V**	**संवितरित ऋण तथा अग्रिम**	**6,302.64**
0.00		विद्युत परियोजनाओं से	4,891.72	0.00		-विद्युत परियोजनाओं हेतु	615.45
101.81		सरकारी कर्मचारियों से	100.50	88.42		-सरकारी कर्मचारियों को	95.52
133.96		अन्य से	321.17	1,420.87		-अन्य को	55,91.67
12,551.93	**VI**	**अधोनीत राजस्व आधिक्य**	**28,249.55**	-	**VI**	**अधोनीत राजस्व घाटा**	-
47,416.56	**VII**	**लोक ऋण प्राप्तियां**	**51,595.26**	**15,002.10**	**VII**	**लोक ऋण का पुनर्भुगतान**	**20,716.61**
43,380.45		-अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आन्तरिक ऋण	50,790.95	10,528.18		-अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आन्तरिक ऋण	19,080.08

प्राप्तियाँ				संवितरण			
2017-18			2018-19	2017-18			2018-19
2,932.95		-अर्थोपाय अग्रिम	0.00	2,932.95		-अर्थोपाय अग्रिम	0.00
-		-ओवरड्राफ्ट	-	-		-ओवरड्राफ्ट	-
1,103.16		-केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	804.31	1,540.97		-केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान	1,636.53
-	**VIII**	**आकस्मिकता निधि से विनियोग**	-	-	**VIII**	**आकस्मिकता निधि को विनियोग**	-
258.04	**IX**	**आकस्मिकता निधि को स्थानान्तरित धनराशि**	**229.65**	**413.00**	**IX**	**आकस्मिकता निधि से व्यय**	**396.29**
3,20,471.07	**X**	**लोक लेखे प्राप्तियाँ**	**3,80,993.97**	**3,14,383.77**	**X**	**लोक लेखे संवितरण**	**3,61,071.91**
11,718.07		-अल्प बचतें एवं भविष्य निधियां	13,467.37	9,187.94		-अल्प बचतें एवं भविष्य निधियां	9,821.78
15,267.53		-आरक्षित निधियां	30,097.10	7,002.81		-आरक्षित निधियां	16,552.40
2,48,680.18		-उचन्त एवं विविध	2,75,286.80	2,50,894.80		-उचन्त एवं विविध	2,75,064.04
28,928.93		-प्रेषण	43,512.65	32,835.24		-प्रेषण	43,199.98
15,876.36		-जमा तथा अग्रिम	18,630.05	14,462.98		-जमा तथा अग्रिम	16,433.71
-	**XI**	**भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का अंतिम अवशेष**	-	**11,481.15**	**XI**	**अंतिम रोकड़ शेष**	**26,912.11**
				0.00		-कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	0.00
				265.21		भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	171.10
				11.36		-स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	11.45
				11,159.38		-रोकड़ शेष निवेश लेखा	26,684.36
				45.20		उद्दिष्ट निधियों में निवेश	45.20
6,60,652.73		**योग**	**8,07,840.48**	**6,60,652.73**		**योग**	**8,07,840.48**

परिशिष्ट 1.4

वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमान, वास्तविक प्राप्तियाँ एवं व्यय

(संदर्भः प्रस्तर 1.3.3; पृष्ठ 7)

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	वृद्धि/ कमी (-)	वृद्धि/ कमी (-) *प्रतिशत* में
1	2	3	4	5
राजस्व प्राप्तियाँ जिसमें	**3,48,619.37**	**3,29,977.51**	-18,641.86	-5.35
स्वयं का कर राजस्व	**1,22,700.00**	**1,20,121.86**	-2,578.14	-2.1
राज्य वस्तु एवं सेवाकर	49,422.00	46,108.03	-3,313.97	-6.71
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	22,078.00	23,797.84	1,719.84	7.79
राज्य आबकारी	23,000.00	23,926.66	926.66	4.03
वाहनों पर कर	7,400.00	6,929.34	-470.66	-6.36
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	18,000.00	15,733.03	-2,266.97	-12.59
विद्युत पर कर एवं शुल्क	2,000.00	2,978.22	978.22	48.91
भू–राजस्व	800.00	631.24	-168.76	-21.1
अन्य कर	0.00	17.50	17.50	-
करेतर राजस्व	**28,821.66**	**30,100.71**	1,279.05	4.44
ब्याज प्राप्तियाँ	843.60	1,712.44	868.84	102.99
विविध सामान्य सेवाएँ	12,758.33	13,677.57	919.24	7.21
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	4,000.00	3,165.44	-834.56	-20.86
अन्य करेतर राजस्व	11,219.73	11,545.26	325.53	2.90
केन्द्रीय करों एवं शुल्कों का अंश	**1,33,548.40**	**1,36,766.46**	3,218.06	2.41
भारत सरकार से सहायता अनुदान	**63,549.31**	**42,988.48**	-20,560.83	-32.35
राजस्व व्यय जिसमें	**3,21,520.27**	**3,01,727.96**	**-19,792.31**	**-6.16**
सामान्य सेवाएँ	**1,36,244.33**	**1,31,057.25**	**-5,187.08**	**-3.81**
प्रशासनिक सेवाएँ	23,324.28	21,658.14	-1,666.14	-7.14
पेन्शन एवं विविध सामान्य सेवाएँ	45,542.89	43,678.97	-1,863.92	-4.09
ब्याज का भुगतान तथा ऋण सेवा	58,837.70	58,446.04	-391.66	-0.67
राजकोषीय सेवाएँ	4,844.50	4,296.29	-548.21	-11.32
राज्य के अंग	3,694.96	2,977.81	-717.15	-19.41
सामाजिक सेवाएँ	**1,10,663.85**	**91,311.73**	**-19,352.12**	**-17.49**
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	55,161.09	47,657.37	-7,503.72	-13.60
समाज कल्याण एवं पोषण	17,105.06	12,413.31	-4,691.75	-27.43
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	5,602.40	5,210.79	-391.61	-6.99
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	18,887.54	15,842.66	-3,044.88	-16.12
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	12,131.30	8,707.75	-3,423.55	-28.22
सूचना एवं प्रसार	384.98	360.70	-24.28	-6.31
श्रम एवं श्रमिक कल्याण	1,261.06	1,005.78	-255.28	-20.24
अन्य	130.42	113.37	-17.05	-13.07
आर्थिक सेवाएं	**62,424.57**	**67,258.59**	**4,834.02**	**7.74**

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	वृद्धि/ कमी (-)	वृद्धि/ कमी (-) *प्रतिशत* में
कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएँ	13,050.45	12,128.99	-921.46	-7.06
ग्राम्य विकास	19,864.92	25,908.70	6,043.78	30.42
विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	159.25	45.72	-113.53	-71.29
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	7,994.62	6,769.73	-1,224.89	-15.32
ऊर्जा	12,908.09	15,352.15	2,444.06	18.93
उद्योग एवं खनिज	3,172.70	2,024.90	-1,147.80	-36.18
परिवहन	4,431.09	4,532.36	101.27	2.29
विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	69.66	65.67	-3.99	-5.73
सामान्य आर्थिक सेवाएं	773.79	430.37	-343.42	-44.38
सहायता अनुदान एवं अंशदान	**12,187.52**	**12,100.39**	**-87.13**	**-0.71**
पूंजीगत व्यय जिसमें	**74,243.61**	**62,463.41**	**-11,780.20**	**-15.87**
सामान्य सेवाएं	**4,377.59**	**3,419.43**	**-958.16**	**-21.89**
सामाजिक सेवाएं	**22,443.92**	**10,589.12**	**-11,854.80**	**-52.82**
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	2,073.08	992.38	-1,080.70	-52.13
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,757.33	2,259.68	-497.65	-18.05
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	15,714.09	6,138.77	-9,575.32	-60.93
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	252.75	131.95	-120.80	-47.79
समाज कल्याण एवं पोषण	915.09	413.10	-501.99	-54.86
अन्य सामाजिक सेवाएं	731.58	653.24	-78.34	-10.71
आर्थिक सेवाएं	**47,422.11**	**48,454.86**	**1,035.75**	**2.18**
कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएं	817.21	2,948.27	2,131.06	260.77
ग्राम्य विकास	3,621.85	3,406.72	-215.13	-5.94
विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	854.41	698.31	-156.10	-18.27
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	7,979.59	5,530.79	-2,448.80	-30.69
ऊर्जा	12,981.86	13,411.87	430.01	3.31
उद्योग एवं खनिज	63.80	37.14	-26.66	-41.79
परिवहन	20,542.46	21,999.90	1,457.44	7.09
विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	0.00	0.00	0.00	0.00
सामान्य आर्थिक सेवाएं	560.93	421.86	-139.07	-24.79
राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (–)	**(+)27,099.10**	**(+)28,249.55**	**1,150.45**	**4.25**
राजकोषीय घाटा (–)	**(-)44,053.32**	**(-)35,203.11**	-8,250.21 (बजट अनुमानों से कम)	-20.09
प्राथमिक आधिक्य (+)/घाटा (–)	**(-)11,619.57**	**(-)3,161.02**	-8,458.55 (बजट अनुमानों से कम)	-72.80

परिशिष्ट 1.5

राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े

(संदर्भ: प्रस्तर 1.4.1; पृष्ठ 9)

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
भाग अ. प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	**1,93,422**	**2,27,076**	**2,56,875**	**2,78,775**	**3,29,978**
(i) स्वयं के कर राजस्व	74,172(38)	81,106(36)	85,966(33)	97,393(35)	1,20,122(36)
राज्य वस्तु एवं सेवाकर	-	-	-	25,374(26)	46,108(38)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	42,934(58)	47,692(59)	51,883(60)	31,113(32)	23,798(20)
राज्य आबकारी	13,483(18)	14,084(17)	14,274(17)	17,320(18)	23,927(20)
वाहनों पर कर	3,797(5)	4,410(5)	5,148(6)	6,404(7)	6,929(6)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	11,803(16)	12,404(15)	11,564(13)	13,398(14)	15,733(13)
भू–राजस्व	527(1)	505(1)	760(1)	1,336(1)	631(1)
विद्युत पर कर एवं शुल्क	1,085(1)	1,338(2)	1,556(2)	2,124(2)	2,978(2)
अन्य कर	543(1)	673(1)	781(1)	324(0.33)	18(0.01)
(ii) करेतर राजस्व	19,935(10)	23,135(10)	28,944(11)	19,795(7)	30,101(9)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	66,623(35)	90,974(40)	1,09,428(43)	1,20,939(43)	1,36,766(42)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	32,692(17)	31,861(14)	32,537(13)	40,648(15)	42,989(13)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-	-	-	-	-
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	**262**	**726**	**259**	**236**	**5,313**
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	**1,93,684**	**2,27,802**	**2,57,134**	**2,79,011**	**3,35,291**
5. लोक ऋण प्राप्तियां	**35,520**	**74,514**	**67,685**	**47,417**	**51,595**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	33,302(94)	69,421(93)	57,959(86)	43,381(92)	50,791(98)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत लेनदेन	1,732(5)	4,499(6)	8,695(13)	2,933(6)	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	486(1)	594(1)	1,031(1)	1,103(2)	804(2)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	**2,29,204**	**3,02,316**	**3,24,819**	**3,26,428**	**3,86,886**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	**1**	**201**	**173**	**258**	**230**
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**2,30,199**	**2,65,972**	**3,06,406**	**3,20,471**	**3,80,994**
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	**4,59,404**	**5,68,489**	**6,31,398**	**6,47,157**	**7,68,110**
भाग ब. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	**1,71,027(76)**	**2,12,736(74)**	**2,36,592(76)**	**2,66,224(87)**	**3,01,728(81)**
आयोजनागत	33,262(19)	43,251(20)	49,706(21)		
आयोजनेत्तर	1,37,765(81)	1,69,485(80)	1,86,886(79)		
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	64,305(38)	72,228(34)	88,255(37)	1,05,782(40)	1,31,057(44)
सामाजिक सेवाएं	60,906(36)	82,487(39)	91,861(39)	84,252(32)	91,312(30)
आर्थिक सेवाएं	34,885(20)	47,881(22)	45,834(19)	64,635(24)	67,259(22)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	10,931(6)	10,140(5)	10,642(5)	11,555(4)	12,100(4)
11. पूंजीगत व्यय	**53,297(23)**	**64,423(23)**	**69,789(22)**	**39,088(13)**	**62,463(17)**
आयोजनागत	44,416(83)	49,045(76)	60,573(87)		
आयोजनेत्तर	8,881(17)	15,378(24)	9,216(13)		
सामान्य सेवाएं	4,009(7)	5,259(8)	5,727(8)	2,776(7)	3,419(5)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सामाजिक सेवाएं	12,755(24)	11,707(18)	17,151(25)	11,625(30)	10,589(17)
आर्थिक सेवाएं	36,534(69)	47,457(74)	46,911(67)	24,687(63)	48,455(78)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	**1,873**(1)	**9,118(3)**	**6,741(2)**	**1,509(0)**	**6,303(2)**
13. कुल व्यय (10+11+12)	**2,26,197**	**2,86,277**	**3,13,122**	**3,06,821**	**3,70,494**
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**9,411**	**17,673**	**20,303**	**15,002**	**20,717**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	8,051(86)	10,045(57)	10,168(50)	10,528(70)	19,080(92)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत लेनदेन	0	6,231(35)	8,695(43)	2,933(20)	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,360(14)	1,397(8)	1,440(7)	1,541(10)	1,637(8)
15. आकस्मिकता निधि को विनियोग	-	-	-	-	-
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (कुल व्यय) (13+14+15)	**2,35,608**	**3,03,950**	**3,33,425**	**3,21,823**	**3,91,211**
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	**203**	**44**	**349**	**413**	**396**
18. लोक लेखे संवितरण	**2,28,014**	**2,64,294**	**2,96,523**	**3,14,384**	**3,61,072**
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**4,63,825**	**5,68,288**	**6,30,297**	**6,36,620**	**7,52,679**
भाग स. घाटा					
20. राजस्व घाटा (–)/राजस्व आधिक्य (+) (1-10)	**(+) 22,394**	**(+) 14,340**	**(+)20,283**	**(+)12,552**[8]	**(+)28,250**
21. राजकोषीय घाटा (–)/राजकोषीय आधिक्य (+) (4-13)	**(-) 32,513**	**(-) 58,475**	**(-)55,988**	**(-)27,810**	**(-)35,203**
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	**(-) 13,648**	**(-) 37,027**	**(-)29,052**	**(+)1,326**	**(-)3,161**
भाग द. अन्य आंकडे					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	**18,865**	**21,448**	**26,936**	**29,136**	**32,042**
24. स्थानीय निकाय, सार्वजनिक उपक्रमो, अराजकीय संस्थाओं आदि को सहायता अनुदान	**52,241**	**77,069**	**82,378**	**92,221**	**91,764**
25. अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट का लाभ (दिनों में)	-	**14**	-	**5**	-
अर्थोपाय अग्रिम का उपभोग (दिनों में)	-	14	-	5	-
ओवरड्राफ्ट का उपभोग (दिनों में)	-	-	-	-	-
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	-	-	-	-	-
27 वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)	**10,11,790**	**11,37,210**	**12,48,374**	**13,76,324**	**15,42,432**
28 बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्षान्त)	**3,07,859**	**3,67,252**	**4,23,224**	**4,67,842**	**5,18,096**
29. बकाया प्रत्याभूतियॉं (वर्षान्त) ब्याज सहित	**70,740**	**57,618**	**55,825**	**74,841**	**1,10,032**
30. अधिकतम प्रत्याभूत धनराशियां (वर्षान्त)	**78,023**	**78,826**	**66,702**	**74,303**	**90,662**
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	**545**	**924**	**611**	**1,065**	**592**
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी	**7,714**	**14,407**	**12,987**	**11,195**	**7,109**

[8] राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 2,78,775.45 करोड – राजस्व व्यय ₹ 2,66,223.52 करोड़ = ₹ 12,551.93 करोड़।

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
भाग य. राजकोषीय स्थिति के संकेतक					
I संसाधनों का संग्रहण					
स्वयं का कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*प्रतिशत*)	7.33	7.13	6.89	7.08	7.79
करेतर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*प्रतिशत*)	1.97	2.03	2.32	1.44	1.95
केन्द्रीय स्थानान्तरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*प्रतिशत*)	6.58	8.00	8.77	8.79	8.87
II व्यय प्रबन्धन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*प्रतिशत*)	22.36	25.17	25.08	22.29	24.02
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां (*प्रतिशत*)	116.94	126.07	121.90	110.06	112.28
राजस्व व्यय/कुल व्यय (*प्रतिशत*)	75.61	74.31	75.56	86.77	81.44
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (*प्रतिशत*)	33	33	35	31	28
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (*प्रतिशत*)	32	33	30	29	33
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (*प्रतिशत*)	24	23	22	13	17
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (*प्रतिशत*)	22	21	20	12	16
III राजकोषीय असन्तुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*प्रतिशत*)	(+)2.21	(+)1.26	(+)1.62	(+)0.91	(+)1.83
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद* (*प्रतिशत*)	(-)3.21	(-)3.00	(-)3.30	(-)2.02	(-)2.28
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*प्रतिशत*)	(-)1.35	(-)3.26	(-)2.33	(+)0.10	(-)0.20
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन					
राजकोषीय देयताए/सकल राज्य घरेलू उत्पाद* (*प्रतिशत*)	30.43	30.15	32.72	33.99	33.59
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियाँ* (*प्रतिशत*)	159	151	159	168	157
V अन्य राजकोषीय स्थिति के संकेतक					
निवेश पर प्रतिफल (*₹ करोड़ में*)	8.08	42.66	86.34	30.84	175.48
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.97	1.02	1.06	1.08	1.12

कोष्ठक में दिए गये अंक प्रत्येक उपशीर्षों का कुल योग से *प्रतिशत* (पूर्णांक) प्रदर्शित करता है।
*वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 हेतु उदय पर व्यय को गणना में नहीं लिया गया है।

परिशिष्ट 1.6

वर्ष 2014-19 की अवधि में स्वयं का कर/करेतर राजस्व का संग्रह

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.4.1.1; पृष्ठ 10)

(अ) वर्ष 2014-19 की अवधि में स्वयं का कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	-	-	25,374	49,422	46,108
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	42,934	47,692	51,883	31,113	22,078	23,798
राज्य आबकारी	13,483	14,084	14,274	17,320	23,000	23,927
वाहनों पर कर	3,797	4,410	5,148	6,404	7,400	6,929
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	11,803	12,404	11,564	13,398	18,000	15,733
भू–राजस्व	527	505	760	1,336	800	631
विद्युत पर कर एवं शुल्क	1,085	1,338	1,556	2,124	2,000	2,978
अन्य कर	543	673	781	324	00	18
योग (अ)	**74,172**	**81,106**	**85,966**	**97,393**	**1,22,700**	**1,20,122**

(ब) वर्ष 2014-19 की अवधि में करेतर राजस्व

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ	2,310	676	1,251	1,124	852	1,888
सामान्य सेवायें	7,122	6,114	5,994	6,806	13,805	15,366
सामाजिक सेवायें	6,514	11,264	14,653	1,571	972	872
आर्थिक सेवायें	3,988	5,081	7,046	10,294	13,193	11,975
योग (ब)	**19,935**	**23,135**	**28,944**	**19,795**	**28,822**	**30,101**
महायोग (अ+ब)	**94,107**	**1,04,241**	**1,14,910**	**1,17,188**	**1,51,522**	**1,50,223**

परिशिष्ट 1.7

31 मार्च 2019 को सरकार की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त सार

(संदर्भः प्रस्तर 1.7.1; पृष्ठ 29)

(₹ करोड़ में)

31.03.2018 को			31.03.2019 को
	देयताएं		
3,21,479.05	**आन्तरिक ऋण**		**3,53,189.92**
2,02,050.31	ब्याज सहित बाजार ऋण	2,35,356.98	
3.08	ब्याज रहित बाजार ऋण	3.08	
1.61	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	1.03	
1,19,424.05	अन्य संस्थानों से ऋण	1,17,828.83	
0.00	अर्थोपाय अग्रिम	0.00	
0.00	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट	0.00	
12,811.82	**केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम**		**11,979.59**
9.94	1984-85 से पहले का ऋण	9.94	
0.27	आयोजनेतर ऋण एवं केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के लिये ऋण	0.09	
12,789.99	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	11,968.13	
0.00	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	0.00	
10.19	केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	0.00	
1.43	अर्थोपाय अग्रिम	1.43	
600.00	**आकस्मिकता निधि (कॉर्पस)**		**600.00**
50,767.76	**अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि**		**54,413.34**
23,503.49	**निक्षेप**		**25,687.88**
59,280.07	**आरक्षित निधियाँ**		**72,824.77**
0.00	**प्रेषण शेष**		**0.00**
36,443.29	**सरकारी लेखों में आधिक्य**		**64,692.86**
23,891.36	(i) वर्ष के प्रारम्भ में संचयी आधिक्य	36,443.29	
12,551.93	(ii) **जोड़ें:** वर्तमान वर्ष में राजस्व आधिक्य	28,249.56	
5,04,885.48	**योग**		**5,83,388.36**
	परिसम्पतियाँ		
4,59,403.68	**अचल सम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय**		**5,21,867.09**
1,04,778.71	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	1,18,531.56	
3,54,624.97	अन्य पूंजीगत परिव्यय	4,03,335.53	
463.08	**आकस्मिकता निधि (असमायोजित)**		**629.73**
29,720.31	**ऋण एवं अग्रिम**		**30,709.56**
11,713.87	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	7,437.60	
17,805.12	अन्य विकास ऋण	23,075.63	
201.32	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं विविध ऋण	196.33	
45.20	**आरक्षित निधियों में निवेश**		**45.20**

31.03.2018 को			31.03.2019 को
87.29	**विभागीय अधिकारियों के पास अग्रिम**		**75.34**
3,304.21	**उचन्त एवं विविध शेष**		**3,081.44**
425.76	**प्रेषण शेष**		**113.09**
11,435.95	**रोकड़**		**26,866.91**
0.00	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	0.00	
265.21	भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	171.10	
10.87	विभागीय रोकड़ शेष	10.96	
0.49	स्थाई अग्रिम	0.49	
11,159.38	रोकड़ शेष निवेश	26,684.36	
5,04,885.48	**योग**	**5,83,388.36**	

परिशिष्ट 1.3 एवं 1.7 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

पूर्ववर्ती विवरणों में संक्षिप्त लेखे को वित्त लेखे में दिए गये विवरणों एवं टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाय। सरकारी लेखे मुख्यतया रोकड़ आधारित होते हैं, सरकारी लेखे में घाटे, जैसा कि ***परिशिष्ट* 1.7** में प्रदर्शित है, नकदी आधार पर प्रदर्शित है, सम्भूति आधारित वाणिज्यिक लेखाओं से भिन्न है। फलस्वरूप, देय या प्राप्य मद का ह्रास अथवा भंडार लेखा में विचलन इत्यादि मद लेखे में अंकित नहीं है। उचन्त एवं विविध अवशेष में ऐसे निर्गत चेक जिनका भुगतान नहीं किया गया, राज्य की ओर से किए गये भुगतान एवं अन्य लम्बित समाधान सम्मिलित है। "रिजर्व बैंक में निक्षेप" के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित एवं लेखे में प्रदर्शित आंकड़ों के बीच ₹ 49.08 करोड़ का अन्तर था।

परिशिष्ट 1.8

आरक्षित निधियों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 1.7.2; पृष्ठ 29)

(₹ लाख में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	संवितरण	अन्तिम शेष
2016-17				
आरक्षित निधियाँ				
ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ				
8115- मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	**(-) 4,441.57**	**0.00**	**0.00**	**(-) 4,441.57**
105- मूल्यह्रास आरक्षित निधि–निवेश खाता	(-) 4,441.57	0.00	0.00	(-) 4,441.57
8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
102- कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि	(-) 6.19	0.00	0.00	(-) 6.19
111- आकस्मिकता आरक्षित निधि–विद्युत	6.19	0.00	0.00	6.19
योग	**(-) 4,441.57**	**0.00**	**0.00**	**(-) 4,441.57**
ब्याज रहित आरक्षित निधियां				
8222- सिंकिंग फण्ड	**43,03,264.53**	**10,77,235.00**	**4,14,560.80**	**49,65,938.73**
01-ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन 101- सिंकिंग फण्ड	43,03,264.53	**10,77,235.00**	**4,14,560.80**	**49,65,938.73**
8223- अकाल राहत निधि	**(-) 78.01**	**0.00**	**0.00**	**(-) 78.01**
102- अकाल राहत निधि–निवेश लेखा	(-) 78.01	0.00	0.00	(-) 78.01
8225- सड़कें एवं सेतु निधि	**(-) 32,146.49**	**4,40,000.00**	**4,40,000.00**	**(-) 32,146.49**
101- राज्य सड़क तथा सेतु निधि	(-) 32,146.49	4,40,000.00	4,40,000.00	(-) 32,146.49
8226- मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	**(-) 799.03**	**0.00**	**0.00**	**(-) 799.03**
102- सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि	(-) 799.03	0.00	0.00	(-) 799.03
8229- विकास एवं कल्याण निधि	**67,607.18**	**2,50,000.00**	**2,28,775.63**	**88,831.55**
101- शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि	4,335.41	0.00	0.00	**4,335.41**
105- चीनी विकास निधि	1,560.58	0.00	0.00	1,560.58
106- औद्योगिक विकास निधि	1,222.38	0.00	0.00	1,222.38
109- सहकारी विकास निधि	0.01	0.00	0.00	0.01
200- अन्य विकास तथा कल्याण निधि	60,488.80	2,50,000.00	2,28,775.63	81,713.17
8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	**41,105.98**	**2,33,344.64**	**1,94,740.64**	**79,709.98**
101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियां	1,377.47	5,089.33	0.00	6,466.80
103- धार्मिक तथा पूर्त न्यास निधि	33.79	0.03	0.00	33.82
107- इथाइल अल्कोहल भण्डारण सुविधा निधि	0.52	(-)0.52	0.00	0.00
111- राज्य आपदा अनुक्रिया निधि	26,440.48	2,28,255.80	1,93,483.67	61,212.61
200- अन्य निधियां	13,253.72	0.00	1,256.97	11,996.75
योग	**43,78,954.16**	**20,00,579.64**	**12,78,077.07**	**51,01,456.73**
महायोग	**43,74,512.59**	**20,00,579.64**	**12,78,077.07**	**50,97,015.16**
2017-18				
आरक्षित निधियाँ				
ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ				
8115- मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	**(-) 4,441.57**	**0.00**	**0.00**	**(-) 4,441.57**

विवरण	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	संवितरण	अन्तिम शेष
105- मूल्यह्वास आरक्षित निधि–निवेश खाता	(-) 4,441.57	0.00	0.00	(-) 4,441.57
8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
102- कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि	(-) 6.19	0.00	(-) 6.19	00
111- आकस्मिकता आरक्षित निधि–विद्युत	6.19	0.00	6.19	00
योग	**(-) 4,441.57**	0.00	**0.00**	**(-) 4,441.57**
ब्याज रहित आरक्षित निधियां				
8222- सिंकिंग फण्ड	**49,65,938.73**	**12,23,222.60**	**4,42,200.00**	**57,46,961.33**
01-ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन 101- सिंकिंग फण्ड	**49,65,938.73**	**12,23,222.60**	**4,42,200.00**	**57,46,961.33**
8223- अकाल राहत निधि	**(-) 78.01**	**0.00**	**0.00**	**(-) 78.01**
102- अकाल राहत निधि–निवेश लेखा	(-) 78.01	0.00	0.00	(-) 78.01
8225- सड़कें एवं सेतु निधि	**(-) 32,146.49**	2,00,000.00	2,00,000.00	**(-) 32,146.49**
101- राज्य सड़क तथा सेतु निधि	(-) 32,146.49	2,00,000.00	2,00,000.00	(-) 32,146.49
8226- मूल्यह्वास/नवीकरण आरक्षित निधि	**(-) 799.03**	**0.00**	**0.00**	**(-) 799.03**
102- सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यह्वास आरक्षित निधि	(-) 799.03	0.00	0.00	(-) 799.03
8229- विकास एवं कल्याण निधि	**88,831.55**	**21,844.32**	**14,395.46**	**96,280.41**
101- शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि	4,335.41	0.00	0.00	4,335.41
105- चीनी विकास निधि	1,560.58	(-)1,000.00	560.58	0.00
106- औद्योगिक विकास निधि	1,222.38	(-)47.63	0.00	1,174.75
109- सहकारी विकास निधि	0.01	0.00	0.00	0.01
200- अन्य विकास तथा कल्याण निधि	81,713.17	22,891.95	13,834.88	90,770.24
8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	**79,709.98**	**81,686.03**	**43,685.91**	**1,17,710.10**
101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियां	6,466.80	(-)4,285.27	0.00	2,181.53
103- धार्मिक तथा पूर्त न्यास निधि	33.82	(-)33.82	0.00	0.00
111- राज्य आपदा अनुक्रिया निधि	61,212.61	81,063.27	41,280.89	1,00,994.99
200- अन्य निधियां	11,996.75	4,941.85	2,405.02	14,533.58
योग	**51,01,456.73**	**15,26,752.95**	**7,00,281.37**	**59,27,928.31**
महायोग	**50,97,015.16**	**15,26,752.95**	**7,00,281.37**	**59,23,486.74**
2018-19				
आरक्षित निधियाँ				
ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ				
8115- मूल्यह्वास/नवीकरण आरक्षित निधि	**(-) 4,441.57**	**0.00**	**0.00**	**(-) 4,441.57**
105- मूल्यह्वास आरक्षित निधि–निवेश खाता	(-) 4,441.57	0.00	0.00	(-) 4,441.57
योग	**(-) 4,441.57**	**0.00**	**0.00**	**(-) 4,441.57**
ब्याज रहित आरक्षित निधियां				
8222- सिंकिंग फण्ड	**57,46,961.33**	**26,40,395.00**	**12,69,333.00**	**71,18,023.33**
01-ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन 101- सिंकिंग फण्ड	57,46,961.33	26,40,395.00	12,69,333.00	71,18,023.33
8223- अकाल राहत निधि	**(-) 78.01**	**0.00**	**0.00**	**(-) 78.01**
102- अकाल राहत निधि–निवेश लेखा	(-) 78.01	0.00	0.00	(-) 78.01
8225- सड़कें एवं सेतु निधि	**(-) 32,146.49**	**3,00,000.00**	**2,94,953.19**	**(-) 27,099.68**
101- राज्य सड़क तथा सेतु निधि	(-) 32,146.49	3,00,000.00	2,94,953.19	(-) 27,099.68

विवरण	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	संवितरण	अन्तिम शेष
8226- मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	**(-) 799.03**	**0.00**	**0.00**	**(-) 799.03**
102- सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि	(-) 799.03	0.00	0.00	(-) 799.03
8229- विकास एवं कल्याण निधि	**96,280.41**	**20.00**	**19,123.77**	**77,176.64**
101- शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि	4,335.41	0.00	98.70	4,236.71
106- औद्योगिक विकास निधि	1,174.75	0.00	0.00	1,174.75
109- सहकारी विकास निधि	0.01	0.00	0.00	0.01
200- अन्य विकास तथा कल्याण निधि	90,770.24	20.00	19,025.07	71,765.17
8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	**1,17,710.10**	**69,295.31**	**71,829.76**	**1,15,175.65**
101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियां	2,181.53	5,138.36	0.00	7,319.89
111- राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (राज्य मिटीगेशन निधि के अवशेष ₹ 1,000 लाख को सम्मिलित करते हुए)	1,00,994.99	61,756.95	66,058.27	96,693.67
200- अन्य निधियां	14,533.58	2,400.00	5,771.49	11,162.09
योग	**59,27,928.31**	**30,09,710.31**	**16,55,239.72**	**72,82,398.90**
महायोग	**59,23,486.74**	**30,09,710.31**	**16,55,239.72**	**72,77,957.33**

परिशिष्ट 2.1

अधिक व्यय के विनियमितीकरण की आवश्यकता

(सन्दर्भ : प्रस्तर 2.2.1; पृष्ठ 40)

(अ) वर्ष 2018-19 में व्ययाधिक्य के विनियमितीकरण की आवश्यकता

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/ विनियोग	व्यय	व्ययाधिक्य	वर्ष के दौरान निधियों का समायोजन	व्ययाधिक्य के विनियमितीकरण की आवश्यकता
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	राजस्व–दत्तमत					
1.	57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु)	12,450.00	15,611.54	3,161.54	1,419.23	1,742.31
		12,450.00	**15,611.54**	**3,161.54**	**1,419.23**	**1,742.31**
	राजस्व–भारित					
2.	52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद एवं अन्य व्यय)	22.50	33.05	10.55	0.00	10.55
		22.50	**33.05**	**10.55**	**0.00**	**10.55**
	पूंजीगत–दत्तमत					
3.	55-लोक निर्माण विभाग (भवन)	6,660.94	15,156.03	8,495.09	612.99	7,882.10
4.	57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु)	1,57,232.00	1,72,974.54	15,742.54	15,724.96	17.58
5.	58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	12,32,672.00	14,80,102.38	2,47,430.38	1,03,464.43	1,43,965.95
	योग	**13,96,564.94**	**16,68,232.95**	**2,71,668.01**	**1,19,802.38**	**1,51,865.63**
	पूंजीगत–भारित					
6.	10-कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	8.86	158.23	149.37	0.00	149.37
7.	21- खाद्य एवं रसद विभाग	0.50	154.29	153.79	0.00	153.79
8.	55-लोक निर्माण विभाग (भवन)	25.35	47.34	21.99	0.00	21.99
	योग	**34.71**	**359.86**	**325.15**	**0.00**	**325.15**
	महायोग	**14,09,072.15**	**16,84,237.40**	**2,75,165.25**	**1,21,221.61**	**1,53,943.64**

(स्रोत : विनियोग लेखे वर्ष 2018-19)

(ब) विगत वर्षों के व्ययाधिक्य के विनियमितीकरण की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	वर्ष	अनुदानों / विनियोगों की संख्या	अनुदानों / विनियोगों का विवरण	आधिक्य धनराशि
1.	2005-06	23–अनुदान 4–विनियोग	राजस्व दत्तमत - 8,12,53,55,57,58,72; पूंजीगत दत्तमत - 15,16,18,23, 33, 34,37,38,40, 55,56, 57,58,73,75,96; राजस्व भारित - 1,52; पूंजीगत भारित - 52,55;	869.05
2.	2006-07	18–अनुदान 6–विनियोग	राजस्व दत्तमत - 9,13,55,58,61,62,73,91,95; पूंजीगत दत्तमत - 3,16,31, 37, 55,57,58,89,96; राजस्व भारित - 2,3,10,52,62,89;	2,484.47
3.	2007-08	12–अनुदान 2–विनियोग	राजस्व दत्तमत - 51,55,57,58,62; पूंजीगत दत्तमत - 13,16,55,58,63,83,96; राजस्व भारित - 51,66	3,610.65
4.	2008-09	5–अनुदान 1–विनियोग	राजस्व दत्तमत - 62,96; पूंजीगत दत्तमत - 55,58,96; राजस्व भारित - 52;	3,399.42
5.	2009-10	6–अनुदान 6–विनियोग	राजस्व दत्तमत - 58; पूंजीगत दत्तमत - 1,16,55,58,59; राजस्व भारित - 3,10,16,48,52,66;	1,250.16
6.	2010-11	6–अनुदान 4–विनियोग	राजस्व दत्तमत - 30,51,91; पूंजीगत दत्तमत - 10,55,58; राजस्व भारित - 10,23,61,82;	1,702.62
7.	2011-12	6–अनुदान 6–विनियोग	राजस्व दत्तमत - 21,62,91; पूंजीगत दत्तमत - 1,55,58; राजस्व भारित - 13,18,23,61,62,82;	1,889.66
8.	2012-13	4–अनुदान 3–विनियोग	राजस्व दत्तमत - 51,57; पूंजीगत दत्तमत - 55,58; राजस्व भारित - 55,62,89;	2,380.23
9.	2013-14	2–अनुदान 1–विनियोग	पूंजीगत दत्तमत - 55, 58; पूंजीगत भारित - 52;	2,608.18
10.	2014-15	7– अनुदान 1– विनियोग	राजस्व दत्तमत - 57,91; पूंजीगत दत्तमत - 1,40,55,57,58; राजस्व भारित - 13;	2,225.32
11.	2015-16	4– अनुदान 4– विनियोग	पूंजीगत दत्तमत - 55,57,58,87; राजस्व भारित - 2,23,52,62;	1,566.71
12.	2016-17	3– अनुदान 2– विनियोग	पूंजीगत दत्तमत - 55,58,87; राजस्व भारित - 89; पूंजीगत भारित - 61;	5,662.17
13.	2017-18	2– अनुदान 2–विनियोग	राजस्व दत्तमत - 62; पूंजीगत दत्तमत - 55; राजस्व भारित - 91; पूंजीगत भारित - 58;	1,337.17
			योग	**30,985.81**

(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.2

₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचत वाले अनुदान/विनियाग का विवरण

(सन्दर्भ : प्रस्तर 2.2.2; पृष्ठ 40)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	प्रावधान			व्यय	बचतें
			मूल अनुदान	अनुपूरक	कुल अनुदान		
		राजस्व–दत्तमत					
1.	2	आवास विभाग	486.87	0.00	486.87	195.07	291.80
2.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	555.90	0.00	555.90	319.77	236.13
3.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	2,122.45	100.00	2,222.45	792.03	1,430.42
4.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	620.65	0.50	621.15	488.94	132.21
5.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	7,448.21	1,387.20	8,835.41	7,946.64	888.77
6.	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	324.08	0.00	324.08	126.28	197.80
7.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	3,278.28	138.78	3,417.06	2,841.26	575.80
8.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	14,093.78	8,931.19	23,024.97	18,694.34	4,330.63
9.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	1,530.35	13.52	1,543.87	1,233.12	310.75
10.	26	गृह विभाग (पुलिस)	16,487.41	726.27	17,213.68	16,839.61	374.07
11.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	3,163.37	0.05	3,163.42	2,718.30	445.12
12.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	7,026.57	0.01	7,026.58	5,744.39	1,282.19
13.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	1,060.82	8.00	1,068.82	731.89	336.93
14.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	5,303.67	0.00	5,303.67	4,584.48	719.19
15.	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	733.21	0.00	733.21	548.65	184.56
16.	37	नगर विकास विभाग	10,994.41	60.00	11,054.41	7,602.81	3,451.60
17.	38	नागरिक उड्डयन विभाग	198.42	0.00	198.42	53.82	144.60
18.	40	नियोजन विभाग	320.52	3.15	323.67	200.99	122.68
19.	41	निर्वाचन विभाग	493.23	0.00	493.23	233.29	259.94
20.	42	न्याय विभाग	2,175.20	44.37	2,219.57	1,745.69	473.88
21.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2,252.45	0.00	2,252.45	1,218.44	1,034.01
22.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	7,282.26	831.28	8,113.54	5,648.82	2,464.72
23.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	997.74	0.00	997.74	838.93	158.81
24.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	1,649.97	301.00	1,950.97	580.05	1,370.92
25.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	3,519.60	0.00	3,519.60	3,051.26	468.34
26.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	2,478.18	6.20	2,484.38	715.28	1,769.10
27.	60	वन विभाग	793.66	2.70	796.36	608.02	188.34
28.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेन्शन)	44,592.13	3,031.89	47,624.02	43,443.27	4,180.75
29.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	306.27	10.00	316.27	-160.66	476.93
30.	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	664.37	0.00	664.37	562.84	101.53
31.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	49,952.83	0.00	49,952.83	35,031.61	14,921.22
32.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	9,334.72	5.54	9,340.26	8,960.44	379.82
33.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,530.82	973.84	3,504.66	2,743.27	761.39
34.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	997.37	0.00	997.37	850.58	146.79
35.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं	4,554.94	0.00	4,554.94	3,778.25	776.69

		अनुसूचित जातियों का कल्याण)					
36.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	325.03	538.40	863.43	644.41	219.02
37.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	15,347.83	2,341.35	17,689.18	13,603.72	4,085.46
38.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	3,030.12	0.00	3,030.12	2,900.97	129.15
39.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	4,259.90	0.00	4,259.90	3,353.76	906.14
		योग	**2,33,287.59**	**19,455.24**	**2,52,742.83**	**2,02,014.63**	**50,728.20**
		राजस्व–भारित					
40.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	54,226.90	0.01	54,226.91	53,910.42	316.49
		योग	**54,226.90**	**0.01**	**54,226.91**	**53,910.42**	**316.49**
		पूंजीगत–दत्तमत					
41.	2	आवास विभाग	1,136.34	5.00	1,141.34	785.62	355.72
42.	9	ऊर्जा विभाग	10,504.31	9,383.93	19,888.24	11,852.56	8,035.68
43.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	605.83	0.00	605.83	360.11	245.72
44.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	16,454.12	668.10	17,122.22	7,844.09	9,278.13
45.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	12,091.25	0.00	12,091.25	11,899.74	191.51
46.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	867.00	5,035.00	5,902.00	4,741.06	1,160.94
47.	25	गृह विभाग (जेल)	384.94	0.00	384.94	244.92	140.02
48.	26	गृह विभाग (पुलिस)	647.81	284.27	932.08	698.08	234.00
49.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	1,574.66	20.55	1,595.21	1,413.26	181.95
50.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	667.92	0.00	667.92	463.05	204.87
51.	37	नगर विकास विभाग	2,489.11	920.00	3,409.11	2,403.55	1,005.56
52.	38	नागरिक उड्डयन विभाग	1,002.00	1,305.00	2,307.00	2,133.60	173.40
53.	40	नियोजन विभाग	1,513.46	759.75	2,273.21	2,022.20	251.01
54.	42	न्याय विभाग	1,458.51	77.15	1,535.66	552.43	983.23
55.	44	पर्यटन विभाग	560.93	30.00	590.93	424.13	166.80
56.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	504.54	0.00	504.54	190.00	314.54
57.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	199.01	40.00	239.01	103.48	135.53
58.	60	वन विभाग	207.87	101.34	309.21	203.31	105.90
59.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	581.56	0.00	581.56	241.48	340.08
60.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	369.51	25.00	394.51	122.89	271.62
61.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	276.18	25.36	301.54	168.87	132.67
62.	79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ी जातियों का कल्याण)	165.74	5.00	170.74	56.44	114.30
63.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	9,140.95	63.15	9,204.10	5,067.37	4,136.73
64.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	6,995.01	0.00	6,995.01	5,971.49	1,023.52
		योग	**70,398.56**	**18,748.60**	**89,147.16**	**59,963.73**	**29,183.43**
		पूंजीगत–भारित					
65.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	30,463.33	0.01	30,463.34	20,653.20	9,810.14
		योग	**30,463.33**	**0.01**	**30,463.34**	**20,653.20**	**9,810.14**
		महायोग	**3,88,376.38**	**38,203.86**	**4,26,580.24**	**3,36,541.98**	**90,038.26**

परिशिष्ट 2.3

अनवरत बचत वाले अनुदान

(सन्दर्भ : प्रस्तर 2.2.2; पृष्ठ 41)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	बचत की राशि				
			2014-15	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
		राजस्व–दत्तमत					
1.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	425.39	438.74	828.58	14,633.26	888.77
2.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	399.75	208.61	302.86	573.19	575.80
3.	26	गृह विभाग (पुलिस)	994.09	1,346.41	886.34	1,215.29	374.07
4.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	672.14	938.53	1,088.42	867.16	1,282.19
5.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	105.53	148.01	240.85	228.86	336.93
6.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	210.71	1,404.12	1,263.58	858.14	719.19
7.	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	190.08	244.50	281.31	100.12	184.56
8.	37	नगर विकास विभाग	2,762.12	1,390.72	2,751.47	5,574.84	3,451.59
9.	42	न्याय विभाग	330.65	329.12	432.26	482.06	473.88
10.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	815.40	852.81	973.77	1,088.19	1,034.01
11.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	370.04	1,058.88	1,106.73	2,247.92	2,464.72
12.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बंध में राहत)	205.51	1,318.61	4,132.50	816.86	1,370.92
13.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	337.40	456.79	599.42	416.46	468.34
14.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	1,265.68	1,384.03	1,778.37	996.61	1,769.10
15.	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	169.83	181.79	123.86	185.31	101.54
16.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	4,390.54	3,229.85	2,414.62	17,493.77	14,921.22
17.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	787.75	918.15	394.06	620.44	379.82
18.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	422.39	278.80	460.29	451.39	761.39
19.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	1,612.85	667.45	386.58	702.80	776.69
20.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2,509.94	2,306.78	1,704.21	5,573.74	4,085.46
21.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	745.95	766.33	102.54	162.39	129.15
22.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	739.30	933.97	1,180.41	701.41	906.14
		योग	**20,463.04**	**20,803.00**	**23,433.03**	**55,990.21**	**37,455.48**
		पूंजीगत –दत्तमत					
23.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	286.17	533.67	432.83	297.74	245.72
24.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2,017.90	1,669.11	3,300.96	5,179.06	9,278.13
25.	42	न्याय विभाग	153.89	241.77	581.42	855.26	983.23
26.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	640.44	635.44	345.00	106.53	314.54
27.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	356.71	616.56	236.07	167.25	271.62
28.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	1,634.76	1,357.70	2,477.98	1,637.34	4,136.73
		योग	**5,089.87**	**5,054.25**	**7,374.26**	**8,243.18**	**15,229.97**
		महायोग	**25,552.91**	**25,857.25**	**30,807.29**	**64,233.39**	**52,685.45**

परिशिष्ट 2.4

प्रकरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(सन्दर्भ : प्रस्तर 2.2.3; पृष्ठ 41)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अनुपूरक प्रावधान	मूल प्रावधान के सापेक्ष बचत
		राजस्व –दत्तमत				
1.	1	आबकारी विभाग	215.64	214.79	3.00	0.85
2.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	2,122.45	792.03	100.00	1,330.42
3.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	3,278.28	2,841.26	138.79	437.02
4.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	1,530.35	1,233.12	13.52	297.23
5.	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	92.39	78.87	5.00	13.52
6.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	1,060.82	731.89	8.00	328.93
7.	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	404.80	359.99	2.00	44.81
8.	37	नगर विकास विभाग	10,994.41	7,602.81	60.00	3,391.60
9.	40	नियोजन विभाग	320.52	200.99	3.16	119.53
10.	42	न्याय विभाग	2,175.20	1,745.69	44.37	429.51
11.	45	पर्यावरण विभाग	6.47	5.96	5.00	0.51
12.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	410.25	385.26	1.81	24.99
13.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	7,282.26	5,648.82	831.28	1,633.44
14.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बंध में राहत)	1,649.97	580.05	301.00	1,069.92
15.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	2,478.18	715.28	6.21	1,762.90
16.	60	वन विभाग	793.66	608.03	2.70	185.63
17.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेन्शन)	44,592.13	43,443.28	3,031.90	1,148.85
18.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	306.27	-160.66	10.00	466.93
19.	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	313.50	250.03	5.00	63.47
20.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	9,334.72	8,960.44	5.54	374.28
21.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	156.51	117.18	6.63	39.33
22.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	15,347.83	13,603.72	2,341.35	1,744.11
23.	86	सूचना विभाग	383.38	358.48	10.00	24.90
24.	92	संस्कृति विभाग	79.72	62.57	1.27	17.15
		योग	**1,05,329.71**	**90,379.88**	**6,937.53**	**14,949.83**
		पूंजीगत –दत्तमत				
25.	2	आवास विभाग	1,136.34	785.62	5.00	350.72
26.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	6.91	6.37	7.50	0.54
27.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	16,454.12	7,844.09	668.10	8,610.03
28.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	133.82	119.93	8.00	13.89
29.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	157.70	136.05	34.93	21.65

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोग का नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अनुपूरक प्रावधान	मूल प्रावधान के सापेक्ष बचत
30.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	1,574.67	1,413.26	20.55	161.41
31.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	36.63	36.47	4.99	0.16
32.	37	नगर विकास विभाग	2,489.11	2,403.55	920.00	85.56
33.	42	न्याय विभाग	1,458.51	552.44	77.15	906.07
34.	44	पर्यटन विभाग	560.93	424.13	30.00	136.80
35.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	199.01	103.48	40.00	95.53
36.	60	वन विभाग	207.87	203.31	101.34	4.56
37.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	369.51	122.89	25.00	246.62
38.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	276.18	168.87	25.36	107.31
39.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	34.37	28.93	4.89	5.44
40.	79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ी जातियों का कल्याण)	165.74	56.44	5.00	109.30
41.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	84.40	40.15	29.40	44.25
42.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	9,140.95	5,067.37	63.15	4,073.58
43.	86	सूचना विभाग	22.47	19.97	11.00	2.50
44.	92	संस्कृति विभाग	77.81	46.22	14.00	31.59
		योग	**34,587.05**	**19,579.54**	**2,095.36**	**15,007.51**
		महायोग	**1,39,916.76**	**1,09,959.42**	**9,032.89**	**29,957.34**

परिशिष्ट 2.5

निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग

(सन्दर्भ : प्रस्तर 2.2.4; पृष्ठ 42)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोग	आधिक्य	बचत (-)
1.	1	आबकारी विभाग	2039-001-05	319.65	0.00	60.83
2.			2216-700-03	3.94	0.00	8.61
3.			2039-001-03	165.12	71.72	0.00
4.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	2852-001-03	1,500.00	0.00	941.27
5.	5	उद्योग विभाग (हथकरघा एवं ग्रामोद्योग)	2851-001-03	8.34	0.00	0.37
6.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	2852-800-16	4,995.46	0.00	5,418.73
7.	8	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	2058-001-03	950.00	0.00	67.64
8.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	2415-004-06	8.49	1.12	0.00
9.			2851-107-06	5.27	0.00	8.50
10.			2401-001-03	69.03	20.76	0.00
11.			2401-001-05	79.32	9.99	0.00
12.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2402-102-03	5,961.52	0.00	1,827.92
13.			2401-103-03	1,717.25	80.09	0.00
14.			2401-105-03	35.93	0.00	1.77
15.			2401-109-03	1,055.96	387.42	0.00
16.			2415-120-08	156.00	0.00	26.00
17.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2515-001-03	32.46	0.00	253.35
18.			2515-001-04	23.50	0.00	82.60
19.			2515-102-03	200.00	0.00	8,777.65
20.			2515-102-06	461.53	0.00	76.91
21.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	2070-800-03	124.50	26.85	0.00
22.			2070-800-05	11.50	0.00	2.19
23.			2070-800-06	20.00	64.14	0.00
24.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	2403-103-07	1,246.82	0.00	6.90
25.			2403-106-03	450.61	0.00	188.88
26.			4403-800-04	4,760.00	0.00	8,160.00
27.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	2405-101-01	799.20	7.26	0.00
28.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	2075-800-04	155.57	0.22	0.00
29.	22	खेल विभाग	2204-001-03	155.00	46.05	0.00
30.			2204-104-13	420.00	0.25	0.00
31.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	2401-108-04	21.00	0.00	2,478.19
32.	25	गृह विभाग (जेल)	2056-001-03	175.33	0.00	427.20
33.			2056-102-03	47.90	0.00	2.57
34.			2056-800-03	0.23	10.26	0.00
35.			4070-800-08-17	181.00	0.00	181.34

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोग	आधिक्य	बचत (-)
36.			4070-800-16	26.15	0.00	3.35
37.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-001-03	210.00	0.00	96.41
38.			2055-003-04	5,337.47	0.00	4,763.44
39.			2055-101-03	251.40	0.00	2,239.79
40.			2055-101-04	885.25	0.00	4,337.97
41.			2055-104-03	110.00	0.00	871.47
42.			2055-104-07	19.30	0.00	251.66
43.			2055-111-03	1.00	0.00	4,483.84
44.			2055-113-04	35.00	0.00	406.87
45.			2055-114-03	5,007.00	0.00	154.04
46.			2055-800-16	4,372.00	0.00	702.91
47.			2070-108-03	150.25	0.00	1,815.42
48.			2245-80-102-03	96.00	0.00	371.42
49.			2055-108-03	1,215.25	704.84	0.00
50.			2055-109-03	1,441.51	0.00	19,386.38
51.			2055-109-07	50.00	1,529.88	0.00
52.			2055-109-13	13,717.29	4,243.18	0.00
53.			4055-207-03	1,293.41	0.00	61.29
54.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	2235-800-03	172.67	0.00	562.74
55.			2251-200-03	55.94	0.00	31.38
56.	29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	2012-03-090-03	49.55	0.00	175.36
57.			2012-103-03	1.10	0.00	282.85
58.			2012-105-03	0.89	0.00	18.01
59.			2012-108-03	11.00	0.00	11.27
60.			2012-800-03	17.99	0.00	32.99
61.			2012-106-03	3.00	1.00	0.00
62.			2012-106-04	7.00	0.00	3.78
63.			2012-107-03	5.00	0.00	2.20
64.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	2210-02-101-03	7.00	0.00	1,129.83
65.			2210-101-04	75.00	0.00	224.94
66.			2210-02-103-03	44.65	0.00	32.69
67.			2210-05-101-03	31.73	0.00	331.36
68.			2210-05-103-03	4.60	0.00	246.48
69.	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	2210-102-04	30.00	0.00	384.98
70.			2210-04-102-03	272.50	0.00	4,083.77
71.			2210-05-102-03	1,047.93	222.71	0.00
72.	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	2210-06-001-04	2,100.00	0.00	435.95
73.	39	भाषा विभाग	2202-05-102-08	2.25	0.00	8.25
74.	40	नियोजन विभाग	2575-02-800-04	11,017.40	0.00	7,124.71
75.			2575-06-800-04	68.60	1.79	0.00
76.			3454-001-03	99.69	0.00	1.95

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोग	आधिक्य	बचत (-)
77.			4575-800-04	30,000.00	0.00	13,698.01
78.			4575-06-102-03	151.08	20.02	0.00
79.	41	निर्वाचन विभाग	2015-103-05	487.32	0.00	1,305.24
80.			2015-106-03	1,039.95	0.00	68.87
81.			2015-106-04	8.48	0.00	0.72
82.	42	न्याय विभाग	2014-105-03	188.21	0.00	18,927.12
83.			2014-102-12	75.00	0.00	40.92
84.			2014-110-03	27.32	0.00	18.03
85.			2014-114-03	94.35	230.60	0.00
86.	43	परिवहन विभाग	3055-800-03	148.50	0.00	149.50
87.			3055-800-05	410.75	0.00	903.74
88.			2059-01-051-03	22.00	13.66	0.00
89.	44	पर्यटन विभाग	3452-80-104-08	103.50	0.00	7.92
90.	45	पर्यावरण विभाग	3435-04-001-03	82.52	0.00	2.43
91.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	2203-112-08	42.15	0.00	42.15
92.			2203-112-15	27.49	0.00	27.49
93.			2203-104-20	14.97	0.00	2.86
94.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2250-800-03	224.79	0.00	10.46
95.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2029-103-07	3,336.45	0.00	5,997.24
96.			2029-103-08	2,190.37	0.00	982.71
97.			2052-099-03	174.00	0.00	368.10
98.			2235-60-110-05	10.00	365.00	0.00
99.	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	4059-051-21	493.89	213.84	0.00
100.	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	2052-090-03	6.00	0.00	1,187.70
101.			2059-01-053-08	4.06	0.00	5.06
102.			2059-60-053-03	32.00	0.00	14.94
103.			2059-60-053-05	5.77	0.00	153.03
104.			2216-01-700-09	96.91	0.00	29.99
105.			2013-800-03	50.00	0.00	4.09
106.			2059-60-053-04	50.00	101.40	0.00
107.			4059-01-051-05	218.03	0.00	133.66
108.			4059-80-051-07	138.60	0.00	15.87
109.	60	वन विभाग	2406-02-110-01	156.91	514.37	0.00
110.			4406-01-102-05	595.28	0.00	6,198.12
111.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	2049-04-101-03	80.55	0.00	80.54
112.			2049-200-05	4,236.00	1,761.76	0.00
113.			2049-04-101-05	2,633.64	80.34	0.00
114.			6004-02-101-03	8.95	0.00	27,617.68
115.			6004-800-03	18,978.77	0.00	28,978.77
116.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	2202-01-001-03	125.00	0.00	29.95
117.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2202-107-14	73.50	466.30	0.00
118.			2204-102-04	796.92	3.51	0.00

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोग	आधिक्य	बचत (-)
119.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	2202-003-10	3.67	19.61	0.00
120.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	2210-01-102-04	1.00	0.00	11.22
121.			2230-01-001-03	30.89	0.00	34.93
122.			2230-101-04	128.50	0.00	266.85
123.			2230-102-03	14.79	0.00	252.21
124.			2230-103-01	148.20	0.00	1,023.00
125.			2230-103-03	5.51	0.00	88.20
126.			2230-103-04	24.26	0.00	148.41
127.			2230-800-03	1.63	0.00	60.71
128.			2210-01-102-06	261.83	285.72	0.00
129.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	2013-101-03	294.94	0.00	213.16
130.			2013-101-04	20.00	0.00	9.34
131.			2052-090-11	1,231.61	0.00	76.90
132.			2013-104-03	40.00	0.00	2.34
133.			2220-60-800-03	66.00	0.00	3.74
134.			4059-01-051-03	90.05	0.00	200.30
135.			4216-01-700-03	8.00	0.00	0.66
136.	79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	2225-03-277-01	3,413.00	0.00	0.06
137.			2235-02-101-06	43.02	0.00	5.35
138.			2235-02-101-14	103.46	0.00	136.74
139.			2235-02-101-03	175.00	246.52	0.00
140.			2235-02-101-07	805.00	884.30	0.00
141.			2235-02-101-31	177.87	0.00	3.06
142.			2235-02-101-32	180.00	0.00	0.95
143.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2401-789-02	550.20	0.00	4,715.82
144.			2402-789-03	1,036.52	0.00	299.18
145.	86	सूचना विभाग	2220-60-001-03	83.36	0.00	163.02
146.			2220-101-05	4.00	0.00	103.22
147.			2220-102-03	1.00	0.00	222.19
148.			2220-106-03	4.00	0.00	461.54
149.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	2052-091-06	3.21	0.00	57.70
150.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	2040-800-03	1,430.00	0.00	3,304.94
151.	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	2030-03-001-04	200.00	0.00	1,487.57
152.	94		2700-08-101-03	75.00	0.00	28.44
153.			2701-07-101-03	25.00	0.00	30.05
154.			2711-01-103-03	130.00	0.00	19.89
155.			2700-05-101-03	50.00	0.00	0.45
156.			2701-16-101-03	20.00	0.00	2.00
157.			2701-17-101-03	20.00	0.00	0.55

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोग	आधिक्य	बचत (-)
158.		सिंचाई विभाग (निर्माण)	4700-04-051-10	95.00	0.00	651.05
159.			4700-05-051-10	150.00	0.00	2,410.76
160.			4700-06-051-10	200.00	0.00	165.63
161.			4700-08-051-10	293.00	0.00	2,209.30
162.			4700-14-051-11	650.00	0.00	620.59
163.			4700-19-051-10	300.00	0.00	101.44
164.			4700-20-051-10	1,000.00	0.00	348.56
165.			4700-21-051-01	8,000.00	0.00	797.46
166.			4701-05-051-10	100.00	0.00	228.89
167.			4701-34-051-10	2,500.00	0.00	48.68
168.			4701-85-051-09	44.91	0.00	23.30
169.			4711-103-09	10,440.00	0.00	2,265.15
170.			4700-18-051-01	6,000.00	304.62	0.00
171.			4700-97-051-10	4,521.09	0.00	2.61
172.			4701-93-051-16	202.33	106.83	0.00
173.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	2701-02-001-08	12.00	0.00	12.00
			योग	**1,88,710.03**	**13,047.93**	**2,14,394.19**

परिशिष्ट 2.6

वर्ष 2018-19 में अत्यधिक धनराशियों का समर्पण

(सन्दर्भः प्रस्तर 2.2.5; पृष्ठ 42)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखाशीर्ष)	प्रावधान	समर्पित धनराशि	समर्पित धनराशि (*प्रतिशत* में)
1.	1	आबकारी विभाग	2039-001-04- जिला कार्यकारी अधिष्ठान	20.00	18.92	95
2.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	2401-108-09-आलू के लाभदायक मूल्य के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना	50.00	50.00	100
3.			2401-119-03- नर्सरी	3,419.22	2,475.48	72
4.			2401-119-01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें	500.00	463.19	93
5.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2702-80-800-10- जी0 आई0 एस0 मैपिंग	48.40	43.45	90
6.			2702-80-800-12-सामूहिक मिनी ग्रीन नलकूप योजना	504.91	504.91	100
7.			4515-800-04-विधायक निधि से कराये गये कार्यों पर वस्तु एवं सेवाकर की प्रतिपूर्ति	20,160.00	13,413.61	67
8.			4702-102-09-ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग चेकडैम का निर्माण (नाबार्ड पोषित)	61.00	37.60	62
9.			4702-102-10-जल स्त्रोतों का संवर्घन (नाबार्ड पोषित)	16.00	16.00	100
10.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	2070-800-04-ग्रामीण खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार तथा प्रशिक्षण	5.00	5.00	100
11.	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	2405-800-02-मछुआरों के कल्याण की राष्ट्रीय योजना	15.45	9.25	60
12.			2405-800-05-राज्य स्तर एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन	21.30	11.92	56
13.			2405-800-12-मछुआरों के कल्याण की निधि	2500.00	2500.00	100
14.			2405-101-04-मत्स्य विकास योजना	450.98	233.19	52
15.			2405-001-03-अधिष्ठान	5.00	5.00	100
16.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	2425-107-03-प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी में कम्प्यूटरीकरण	3,096.00	3,096.00	100
17.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	2408-01-001-02- स्वयं संचालित एफ.पी. एस. एवं डी.बी.टी. योजनायें	100.00	94.62	95
18.	22	खेल विभाग	2204-104-29-राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का संगठन	5.00	5.00	100
19.			2204-104-36-एकलव्य क्रीड़ा निधि	2,500.00	1,879.82	75
20.			4202-03-800-04- क्रीड़ा विद्यालय, फतेहपुर	200.00	126.65	63
21.			4202-03-800-10- क्रीड़ा विद्यालय, सहारनपुर	1,000.00	1,000.00	100
22.			4202-03-800-74- पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती, कबड्डी, भारोत्तोलन हाल, वालीबाल, बास्केटबाल और बॉक्सिंग का विकास	100.00	100.00	100

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखाशीर्ष)	प्रावधान	समर्पित धनराशि	समर्पित धनराशि (*प्रतिशत में*)
23.			4202-03-800-87-खेल एवं खेल सम्बन्धी क्रियाकलापों का उन्नयन	500.00	400.00	80
24.	38	नागरिक उड्डयन विभाग	3053-01-800-02-रीजनल कनेक्टीविटी स्कीम के अन्तर्गत वायबिलिटी गैप फण्डिंग	500.00	320.07	64
25.			3053-01-800-03-उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम	15,000.00	13,947.63	93
26.	39	भाषा विभाग	2202-03-104-07-उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान को संस्कृत पंडितों को पुरस्कृत करने हेतु अनुदान	40.00	20.00	50
27.			2202-05-102-09-भोजपुरी अकादमी की स्थापना	22.70	20.45	90
28.	44	पर्यटन विभाग	3452-80-800-11-पटियाली कासगंज में हजरत अमीर खुसरो महोत्सव का आयोजन	5.00	5.00	100
29.			3452-80-800-14-पर्यटन नीति 2018 के अन्तर्गत इकाइयों को प्रोत्साहन	7,000.00	6,390.00	91
30.			5452-80-104-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें	7,000.00	4,118.00	60
31.			5452-80-104-13-जनपद चित्रकूट की योजनायें	100.01	100.01	100
32.			5452-80-104-30-ताज ओरियेन्टेशन सेन्टर का निर्माण	300.00	205.67	69
33.			5452-80-104-34-गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स का विकास	2,500.00	2,500.00	100
34.			5452-80-104-36-विन्ध्याचल का पर्यटन विकास	1,000.00	949.40	95
35.			5452-80-104-38-जनपद सीतापुर स्थित नैमिषारण्य का पर्यटन विकास	500.00	274.05	55
36.			5452-80-104-42-उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मथुरा में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास	10,000.00	5,612.09	56
37.			5452-80-104-44-माननीय अटल बिहारी बाजपेयी की स्मृति में बटेश्वर–आगरा एवं अन्य स्थलों का विकास	1,000.00	909.82	91
38.			5452-80-800-41-जनपद हापुड़ स्थित गढ़मुक्तेश्वर में प्रमुख पर्यटन स्थलों का समेकित विकास	2,000.00	1,199.11	60
39.	45	पर्यावरण विभाग	3435-03-003-04-पर्यावरणीय शोध एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम	10.00	10.00	100
40.			3435-04-001-06-मा0 एन.जी.टी. द्वारा गठित अनुश्रवण समितियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट एवं रेम्युनरेशन	500.00	447.72	90
41.			3435-04-103-01-केन्द्र आयोजनागत/केन्द्र प्रायोजित योजनायें	50.00	50.00	100
42.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	2203-112-20- अपीलीय प्राधिकरण	59.28	29.98	51
43.			4202-02-105-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें	2,800.00	2,179.60	78
44.			4202-02-105-13-इंजीनियरिंग कालेज कन्नौज	800.00	800.00	100
45.			4202-02-105-16-हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	900.00	551.28	61
46.			4202-02-105-20-जनपद प्रतापगढ़ में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना	300.00	300.00	100

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखाशीर्ष)	प्रावधान	समर्पित धनराशि	समर्पित धनराशि (*प्रतिशत* में)
47.	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	2070-800-01-केन्द्र आयोजनागत/केन्द्र प्रायोजित योजनायें	60.00	48.00	80
48.			2070-800-03-मौलाना आजाद स्मारक अकादमी को अनुदान	15.00	7.50	50
49.			2070-800-06-राज्य एकीकरण परिषद् के उपाध्यक्ष को देय सुविधायें	6.40	6.40	100
50.			2070-800-08-महान विभूतियों के जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव कार्यक्रमों के आयोजन	26.25	16.28	62
51.			2070-800-09-जिला एकीकरण समितियों पर व्यय	15.00	9.43	63
52.			2070-800-13-अन्तर्धार्मिक विवाह हेतु प्रोत्साहन (नकद पुरस्कार) (राज्यांश 100 प्रतिशत)	10.00	8.00	80
53.	68	विधान सभा सचिवालय	7610-201-03-राज्य विधान सभा के सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों को आवास हेतु ऋण	20.00	20.00	100
54.			7610-202-03-राज्य विधान सभा के सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों को वाहनों की खरीद के लिए ऋण	20.00	20.00	100
55.	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	2230-03-003-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें	601.00	601.00	100
56.			2230-03-101-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें	75.00	75.00	100
57.			2230-03-102-03-प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना	217.82	115.36	53
58.			2230-03-800-04-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की ई–कनेक्टिविटी	100.00	100.00	100
59.			4250-203-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें	610.00	400.00	66
60.			4250-203-03-अल्प संख्यक बाहुल्य विकास खण्डों एवं अन्य क्षेत्रों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	1,800.00	1,192.51	66
61.			4250-203-11-दस्तकार प्रशिक्षण योजना	10.00	8.01	80
62.			4250-203-13-प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय भवन का सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार	300.00	300.00	100
63.			4250-203-14- राजकीय औद्येगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अतिरिक्त व्यवसाय/इकाई खोला जाना	4,500.00	3,580.52	80
64.	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	2810-60-800-07-ऊर्जा संरक्षण एवं गैर परम्परागत ऊर्जा का प्रोत्साहन	3,000.00	1,500.00	50
65.			2810-60-800-09-जनपद बहराइच के आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था हेतु सौर ऊर्जा आधारित आर0 ओ0 जल संयंत्र की स्थापना	100.00	50.00	50
66.			4810-102-04-सौर ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन की प्रोत्साहन योजना	1,000.00	730.74	73
67.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2202-02-107-09-माध्यमिक स्तर के (कक्षा 9-12) छात्रों को अतिरिक्त छात्रवृत्तियों का प्रावधान	7.19	6.14	85
68.			2202-02-107-11-ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक स्तर के (कक्षा 9-10) प्रतिभावान छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ	6.00	5.53	92

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखाशीर्ष)	प्रावधान	समर्पित धनराशि	समर्पित धनराशि (*प्रतिशत में*)
69.			2202-02-109-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें	1,500.00	1,500.00	100
70.			2202-02-110-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें	1,608.00	1,608.00	100
71.			2202-02-110-05-सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का शैक्षिक भ्रमण	5.00	5.00	100
72.			2202-02-110-08-अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विषय विशेषज्ञों को मानदेय के भुगतान हेतु व्यवस्था	50.00	34.35	69
73.			2202-02-110-11-असेवित विकास खण्डों के लिये निजी प्रबंध तंत्रों द्वारा कन्या विद्यालय की स्थापना हेतु अनावर्तक अनुदान	10.00	10.00	100
74.			2202-02-110-12-एक कन्या विद्यालय सेवित विकास खण्ड की दूसरी न्याय पंचायत में निजी प्रबंध तंत्रों द्वारा कन्या विद्यालयों की स्थापना हेतु अनावर्तक अनुदान (जिला योजना)	50.00	30.00	60
75.			2202-02-800-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें	1,600.00	1,600.00	100
76.			2202-02-800-03-गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में सामूहिक बीमा योजना हेतु राज्य सरकार का अंशदान	23.76	23.76	100
77.			2202-05-103-03-राजकीय संस्कृत विद्यालय	52.02	30.85	59
78.			2202-05-200-03- गैर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों विदेशी भाषा की शिक्षा	5.60	5.60	100
79.			2202-05-200-04-राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विदेशी भाषा की शिक्षा	5.60	5.60	100
80.			2205-105-04-पुस्तकालय की नीति एवं पद्धति का विकास	24.53	20.06	82
81.			2205-105-06-सार्वजनिक पुस्तकालय को अनुदान	10.00	10.00	100
82.			4202-01-202-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें	29,693.82	26,364.29	89
83.			4202-01-202-15-केन्दीग्र राज्य पुस्तकालय	10.00	5.00	50
84.			4202-01-202-16-वर्तमान जिला राजकीय पुस्तकालय	50.00	39.89	80
85.			4202-01-202-18-ई–बुक्स का क्रय/ ई–लाइब्रेरी की स्थापना	500.00	480.19	96
86.			4202-01-202-23-उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल	10.00	10.00	100
87.			4202-04-105-03-राजकीय जिला पुस्तकालयों के भवनों का निर्माण कार्य	275.00	260.62	95
88.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2071-01-117-04-राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के लिए टियर– I खाते में अंशदान	5, 000.00	4,007.40	80
89.			2202-03-102-26-सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर	263.08	174.91	66
90.			2202-03-102-32-इन्टर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल हेतु अनुदान	20.00	20.00	100
91.			2202-03-102-33-इन्टर यूनिवर्सिटी खेल प्रतियोगिता हेतु अनुदान	20.00	20.00	100

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखाशीर्ष)	प्रावधान	समर्पित धनराशि	समर्पित धनराशि (*प्रतिशत में*)
92.			2202-03-102-48-इम्प्लायमेन्ट ब्यूरो/ गाइडेंस सेल/प्लेसमेन्ट सेल की स्थापना	40.00	40.00	100
93.			2202-03-104-06-राज्य के सहायता प्राप्त विद्यालयों में सेमिनार एवं संगोष्ठी	20.00	17.30	87
94.			2202-03-104-07-प्रदेश में निजी प्रबन्धन तंत्रों/संस्थाओं द्वारा असेवित क्षेत्रों में महाविद्यालय खोलने हेतु अनुदान	1,000.00	1,000.00	100
95.			2202-03-800-02-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	556.36	556.36	100
96.			2202-03-800-12-मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था	50.00	50.00	100
97.			2202-03-800-13-प्रदेश के महाविद्यालयों /विश्वविद्यालयों में रिसर्च एवं डेवलपमेंट	400.00	400.00	100
98.			2202-03-800-17-अहिल्याबाई कन्या निःशुल्क शिक्षा योजना	2,112.00	2,112.00	100
99.			2202-03-800-18-समस्त कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में वाई–फाई सुविधा	5,000.00	5, 000.00	100
100.			2202-03-800-19-विश्वविद्यालयों/ संस्थानों को चांसलर एवार्ड	16.90	16.90	100
101.			2202-03-800-20-डी.ए.वी. कालेज कानपुर में अटल बिहारी बाजपेयी की स्मृति में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना	500.00	500.00	100
102.			2204-102-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें	1,545.95	1,503.53	97
103.			2204-102-03-छात्र कल्याण निधि से पोषित कार्यक्रमों के लिए अनुदान	10.00	10.00	100
104.			2204-800-03- एक भारत श्रेष्ठ भारत	30.00	30.00	100
105.			2071-01-117-03-राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक कर्मचारियों के टियर–। लेखे में अंशदान	5,000.00	4, 556.47	91
106.			4202-01-203-09-राजकीय महाविद्यालयों की भवनों का निर्माण, विस्तार एवं विद्युतीकरण	500.00	300.00	60
107.			4202-01-203-10-ई–बुक्स का कय एवं ई–पुस्तकालय की स्थापना	10.00	10.00	100
108.			4202-01-203-11-सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	366.50	321.49	88
109.			4202-01-203-12-बलिया में राज्य विश्वद्यिालय की स्थापना	500.00	255.08	51
110.			4202-01-203-18- डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ	526.00	526.00	100
111.			4202-01-203-30-सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर	1 ,969.75	1, 969.75	100
112.	74	गृह विभाग (होमगार्ड)	4070-800-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें	409.47	350.04	85
113.			4070-800-08-मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्रों के भवनों का निर्माण	1, 500.00	1 ,500.00	100
114.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	2071-01-117-03-गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों कार्मिकों के नई पेंशन योजना के अन्तर्गत खोले गये टियर –। लेखे में अंशदान	10.00	10.00	100
115.			4202-01-201-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें	1 ,038.01	1 ,038.01	100

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखाशीर्ष)	प्रावधान	समर्पित धनराशि	समर्पित धनराशि (*प्रतिशत में*)
116.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	2202-03-796-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें	57.25	57.25	100
117.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2202-03-789-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें	114.50	114.50	100
118.			2202-80-789-01-केन्दप्रायोजित योजनायें	3 ,907.37	2, 623.64	67
119.			2406-01-789-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें	93.74	79.34	85
120.			4202-01-789-04- जनपद सिद्धार्थ नगर में विश्वविद्यालय की स्थापना	525.00	525.00	100
121.			4202-02-789-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें	402.00	246.90	61
122.			4202-02-789-09-इंजीनियरिंग कॉलेज, कन्नौज	160.00	160.00	100
123.			4202-02-789-14-हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	200.00	112.82	56
124.			4202-02-789-16-इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रावासों का निर्माण	300.00	212.64	71
125.			4202-02-789-18-इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रतापगढ़	100.00	100.00	100
126.			4250-789-03-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज, लखनऊ में प्रादेशिक स्टॉफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र	400.00	400.00	100
127.			4406-01-789-04- राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (सी.सी.एल.प्रणाली) (के. 60/रा.40 - के.+रा.)	29.41	16.08	55
128.			4515-789-01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें	44, 285.00	44, 100.00	99
129.	92	संस्कृति विभाग	2205-101-09-कत्थक केन्द्र, लखनऊ के विकास के लिए अनुदान	64.15	34.53	54
130.			2205-102-03- यश भारती सम्मान एवं पद्म एवार्ड से सम्मानित महानुभावों को पेंशन	500.00	500.00	100
131.			2205-102-09-वृद्ध कलाकारों, लेखकों को मासिक पेन्शन	150.00	86.40	58
132.			2205-800-11-कला एवं संस्कृति की शिक्षा, लोक परम्पराओं का वीडियो अभिलेखीकरण, योग्य छात्रों एवं वृद्ध कलाकारों को आर्थिक सहायता योजना	25.00	25.00	100
133.			2205-800-15-लोक कलाकारों को वाद्ययंत्र हेतु अनुदान	100.00	100.00	100
134.			2205-800-16- कल्चरल क्लब की स्थापना	100.00	100.00	100
135.			4202-04-104-03- राज्य अभिलेख	6.00	6.00	100
136.			4202-04-106-09- महापुरुषों की मूर्तियों का निर्माण	10.00	8.50	85
137.			4202-800-01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें	1, 400.00	1, 400.00	100
138.			4202-800-06- भातखण्डे संगीत संस्थान सह विश्वविद्यालय के नये परिसर हेतु भूमि व्यवस्था एवं निर्माण	100.00	100.00	100
139.			4202-800-10- जनपद गौतमबुद्ध नगर में बहुउद्देशीय सांस्कृतिक संकुल केन्द्र का निर्माण	60.00	60.00	100
140.			4202-800-16-अयोध्या, फैजाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय रामलीला संकुल की स्थापना	500.00	500.00	100

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखाशीर्ष)	प्रावधान	समर्पित धनराशि	समर्पित धनराशि (*प्रतिशत* में)
141.			4202-800-33-उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ परिसर में आर्काइवल गैलरी का निर्माण	400.00	202.44	51
142.			4202-800-42- पं0 सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला जी की जन्मस्थली गढ़कोला–उन्नाव में विशाल स्मृति भवन, पुस्तकालय एवं अन्य संरचना	500.00	500.00	100
143.			4202-800-45- मा0 अटल बिहारी बाजपेयी की स्मृति में सांस्कृतिक समारोह के आयोजन हेतु स्मृति संकुल	400.00	400.00	100
			योग	**2 ,18 ,951.68 अथवा 2 ,189.52 करोड़**	**1 ,87 ,339.40 अथवा 1 ,873.39 करोड़**	

परिशिष्ट 2.7

वास्तविक बचत स अधिक समर्पण (₹ 50 लाख या अधिक)

(सन्दर्भः प्रस्तर 2.2.6; पृष्ठ 42)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल अनुदान	बचत	समर्पित धनराशि	अधिक समर्पित धनराशि
राजस्व–दत्तमत						
1.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	412.06	26.80	29.20	2.40
2.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	9 ,340.26	379.82	383.01	3.19
3.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	3 ,504.66	761.39	768.41	7.02
		योग	**13 ,256.98**	**1 ,168.01**	**1 ,180.62**	**12.61**

परिशिष्ट 2.8
अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जिनमें बचत हुई परन्तु उसका कोई भाग समर्पित नहीं किया गया

(सन्दर्भः प्रस्तर 2.2.7; पृष्ठ 42)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत	
			राजस्व	पूंजीगत
		I–अनुदान		
1.	2	आवास विभाग	291.80	355.72
2.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	236.13	10.27
3.	4	उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज)	4.91	0.62
4.	5	उद्योग विभाग (हथकरघा एवं ग्रामोद्योग)	34.32	0.00
5.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	1, 430.42	98.75
6.	8	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	8.17	0.01
7.	9	ऊर्जा विभाग	0.45	8,035.68
8.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	888.77	245.72
9.	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	197.80	0.00
10.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	310.75	56.59
11.	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	18.52	38.00
12.	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	1.69	19.43
13.	20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	7.74	0.00
14.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	26.84	1.07
15.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	26.42	1,160.94
16.	25	गृह विभाग (जेल)	62.44	140.02
17.	26	गृह विभाग (पुलिस)	374.07	234.00
18.	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	2.35	0.00
19.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	19.36	0.30
20.	30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	0.03	0.00
21.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	445.12	181.95
22.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	1,282.19	204.87
23.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	336.93	5.15
24.	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	46.81	0.01
25.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	719.19	0.17
26.	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	184.56	4.37
27.	37	नगर विकास विभाग	3,451.60	1,005.56
28.	40	योजना विभाग	0.00	251.01
29.	41	निर्वाचन विभाग	259.94	2.09
30.	42	न्याय विभाग	473.88	983.23
31.	43	परिवहन विभाग	51.02	10.03
32.	46	प्रशासनिक सुधार विभाग	2.08	0.00
33.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1,034.01	314.54
34.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2,464.72	135.53

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत	
			राजस्व	पूंजीगत
35.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	158.81	16.68
36.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	1,370.92	14.43
37.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	468.34	51.18
38.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	1,769.10	0.00
39.	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	0.00	4.73
40.	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	25.19	42.45
41.	60	वन विभाग	188.34	105.90
42.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें एवं अन्य व्यय)	95.35	57.97
43.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	4,180.75	94.48
44.	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	68.47	0.10
45.	67	विधान परिषद सचिवालय	11.81	1.67
46.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	14,921.22	340.08
47.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	36.02	0.14
48.	77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	18.39	0.03
49.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	146.79	10.33
50.	79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ी जातियों का कल्याण)	6.93	114.30
51.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	776.69	0.00
52.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	0.00	8.01
53.	85	जन प्रतिष्ठान विभाग	0.23	0.00
54.	86	सूचना विभाग	34.90	13.50
55.	87	सैनिक कल्याण विभाग	10.33	0.04
56.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	31.59	4.10
57.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	93.70	13.36
58.	90	संस्थागत वित्त विभाग	20.49	0.00
59.	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	32.91	0.00
60.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	129.15	1,023.52
61.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	906.14	0.00
		योग	**40,197.59**	**15,412.63**
		II – विनियोग		
62.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	0.06	0.00
63.	9	ऊर्जा विभाग	9.37	18.14
64.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	0.00	1.49
65.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	0.19	0.00
66.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	0.04	0.00
67.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	0.14	0.00
68.	20	कार्मिक विभाग (लोकसेवा आयोग)	0.00	0.10
69.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	0.00	1.54
70.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	0.02	0.00
71.	25	गृह विभाग (जेल)	0.05	0.00
72.	26	गृह विभाग (पुलिस)	0.09	0.00
73.	29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	5.63	0.00

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत	
			राजस्व	पूंजीगत
74.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	0.02	0.00
75.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	0.14	0.00
76.	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	0.02	0.00
77.	42	न्याय विभाग	7.97	5.00
78.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	0.01	0.00
79.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	0.03	0.00
80.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	0.11	0.08
81.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	0.04	0.00
82.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	0.05	2.09
83.	60	वन विभाग	0.14	0.00
84.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें एवं अन्य व्यय)	316.49	9,810.15
85.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	15.97	0.00
86.	67	विधान परिषद सचिवालय	0.52	0.00
87.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	65.30	0.00
88.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	0.00	3.77
89.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	0.35	0.00
		योग	**422.75**	**9,842.36**
		महायोग	**40,620.34**	**25,254.99**
		राजस्व और पूंजीगत का योग		**65,875.33**

परिशिष्ट 2.9
समर्पित न की गयी ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचतें

(सन्दर्भः प्रस्तर 2.2.7; पृष्ठ 43)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत	समर्पण	बचतें, जिन्हें समर्पित नहीं किया गया
		राजस्व –दत्तमत			
1.	2	आवास विभाग	291.80	0.00	291.80
2.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	236.13	0.00	236.13
3.	4	उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज)	4.91	0.00	4.91
4.	5	उद्योग विभाग (हथकरघा एवं ग्रामोद्योग)	34.32	0.00	34.32
5.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	1,430.42	0.00	1,430.42
6.	8	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	8.17	0.00	8.17
7.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	132.21	124.96	7.25
8.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	888.77	0.00	888.77
9.	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	197.80	0.00	197.80
10.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	575.80	49.69	526.11
11.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	4,330.63	10.44	4,320.19
12.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	310.75	0.00	310.75
13.	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध विकास)	18.52	0.00	18.52
14.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	56.69	53.87	2.82
15.	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	1.69	0.00	1.69
16.	20	कार्मिक विभाग (लोकसेवा आयोग)	7.74	0.00	7.74
17.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	61.39	38.14	23.25
18.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	26.84	0.00	26.84
19.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	26.42	0.00	26.42
20.	25	गृह विभाग (जेल)	62.44	0.00	62.44
21.	26	गृह विभाग (पुलिस)	374.07	0.00	374.07
22.	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	2.35	0.00	2.35
23.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	19.36	0.00	19.36
24.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	445.12	0.00	445.12
25.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	1,282.19	0.00	1,282.19
26.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	336.93	0.00	336.93
27.	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	46.81	0.00	46.81
28.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	719.19	0.00	719.19
29.	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	184.56	0.00	184.56
30.	37	नगर विकास विभाग	3,451.60	0.00	3,451.60
31.	39	भाषा विभाग	9.76	6.14	3.62
32.	40	नियोजन विभाग	122.68	3.45	119.23
33.	41	निर्वाचन विभाग	259.94	0.00	259.94
34.	42	न्याय विभाग	473.88	0.00	473.88
35.	43	परिवहन विभाग	51.02	0.00	51.02

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत	समर्पण	बचतें, जिन्हें समर्पित नहीं किया गया
36.	46	प्रशासनिक सुधार विभाग	2.08	0.00	2.08
37.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1,034.01	0.00	1,034.01
38.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2,464.72	0.00	2,464.72
39.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	158.81	0.00	158.81
40.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	1,370.92	0.00	1,370.92
41.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	468.34	0.00	468.34
42.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	1,769.10	0.00	1,769.10
43.	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	25.19	0.00	25.19
44.	60	वन विभाग	188.34	0.00	188.34
45.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	95.35	0.00	95.35
46.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	4,180.75	0.00	4,180.75
47.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	476.93	88.11	388.82
48.	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	68.47	0.00	68.47
49.	67	विधान परिषद सचिवालय	11.81	0.00	11.81
50.	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	23.66	18.38	5.28
51.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	14,921.22	0.00	14,921.22
52.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	36.02	0.00	36.02
53.	77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	18.39	0.00	18.39
54.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	146.79	0.00	146.79
55.	79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ी जातियों का कल्याण)	6.93	0.00	6.93
56.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	776.69	0.00	776.69
57.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	219.02	1.71	217.31
58.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	4,085.46	36.94	4,048.52
59.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	3.29	0.00	3.29
60.	86	सूचना विभाग	34.90	0.00	34.90
61.	87	सैनिक कल्याण विभाग	10.33	0.00	10.33
62.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	31.59	0.00	31.59
63.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	93.70	0.00	93.70
64.	90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	20.49	0.00	20.49
65.	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	32.91	0.00	32.91
66.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	129.15	0.00	129.15
67.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	906.14	0.00	906.14
		योग	**50,294.40**	**431.83**	**49,862.57**
		पूंजीगत–दत्तमत			
68.	2	आवास विभाग	355.72	0.00	355.72
69.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	10.27	0.00	10.27
70.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	98.75	0.00	98.75
71.	9	ऊर्जा विभाग	8,035.68	0.00	8,035.68

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत	समर्पण	बचतें, जिन्हें समर्पित नहीं किया गया
72.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	8.04	4.66	3.38
73.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	245.72	0.00	245.72
74.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	9,278.13	141.06	9,137.07
75.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	21.89	0.02	21.87
76.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	56.59	0.00	56.59
77.	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध विकास)	38.00	0.00	38.00
78.	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	19.43	0.00	19.43
79.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	191.51	54.14	137.37
80.	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	1.07	0.00	1.07
81.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	1,160.94	0.00	1,160.94
82.	25	गृह विभाग (जेल)	140.02	0.00	140.02
83.	26	गृह विभाग (पुलिस)	234.00	0.00	234.00
84.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	181.95	0.00	181.95
85.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	204.87	0.00	204.87
86.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	5.15	0.00	5.15
87.	36	चिकित्सा विभाग (लोक् स्वास्थ्य)	4.37	0.00	4.37
88.	37	नगर विकास विभाग	1,005.56	0.00	1,005.56
89.	40	नियोजन विभाग	251.01	0.00	251.01
90.	41	निर्वाचन विभाग	2.09	0.00	2.09
91.	42	न्याय विभाग	983.23	0.00	983.23
92.	43	परिवहन विभाग	10.03	0.00	10.03
93.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	314.54	0.00	314.54
94.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	135.53	0.00	135.53
95.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	16.68	0.00	16.68
96.	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	14.43	0.00	14.43
97.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	51.18	0.00	51.18
98.	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	4.73	0.00	4.73
99.	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	42.45	0.00	42.45
100.	60	वन विभाग	105.90	0.00	105.90
101.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	57.97	0.00	57.97
102.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	94.48	0.00	94.48
103.	67	विधान परिषद सचिवालय	1.67	0.00	1.67
104.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	340.08	0.00	340.08
105.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	10.33	0.00	10.33
106.	79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ी जातियों का कल्याण)	114.30	0.00	114.30
107.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	73.65	4.39	69.26
108.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	4,136.73	481.62	3,655.11
109.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	8.01	0.00	8.01
110.	86	सूचना विभाग	13.50	0.00	13.50

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत	समर्पण	बचतें, जिन्हें समर्पित नहीं किया गया
111.	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	4.10	0.00	4.10
112.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	13.36	0.00	13.36
113.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	1,023.52	0.00	1,023.52
		योग	**29,121.16**	**685.89**	**28,435.27**
		राजस्व- भारित			
114.	9	ऊर्जा विभाग	9.37	0.00	9.37
115.	29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	5.63	0.00	5.63
116.	42	न्याय विभाग	7.97	0.00	7.97
117.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	316.49	0.00	316.49
118.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	15.97	0.00	15.97
119.	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	65.30	0.00	65.30
		योग	**420.73**	**0.00**	**420.73**
		पूंजीगत – भारित			
120.	9	ऊर्जा विभाग	18.14	0.00	18.14
121.	42	न्याय विभाग	5.00	0.00	5.00
122.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	2.09	0.00	2.09
123.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	9,810.15	0.00	9,810.15
124.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	3.77	0.00	3.77
		योग	**9,839.15**	**0.00**	**9,839.15**
		महायोग	**89,675.44**	**1,117.72**	**88,557.72**

परिशिष्ट 3.1

रोकड़बही अपूर्ण रहना/अनुरक्षण न किया जाना

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4; पृष्ठ 49)

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	इकाई का नाम	रोकड़बही अपूर्ण/ अनुरक्षण न किये जाने की अवधि	रोकड़बही में अंकित नहीं की गई धनराशि
1.	09/2019-20	कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, शामली	04/2015 से 03/2019	159.73
2.	08/2019-20	कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, हापुड़	04/2013 से 03/2019	293.10
3.	10/2019-20	कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, जे.पी.नगर	09/2016 से 03/2019	149.04
4.	11/2019-20	कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, बागपत	04/2016 से 03/2019	274.22
5.	12/2019-20	कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, सम्भल	05/2014 से 03/2019	204.50
6.	38/2019-20	कार्यालय वित्त एवं लेखा (माध्यमिक शिक्षा), अमरोहा	11/2017 से 03/2019	19.82
7.	60/2019-20	कार्यालय वित्त एवं लेखा (माध्यमिक शिक्षा), बस्ती	04/2017 से 03/2019	28.09
8.	22/2019-20	कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, चन्दौली	04/2015 से 03/2019	206.25
9.	21/2019-20	कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर देहात	04/2016 से 03/2019	191.99
10.	35/2019-20	कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, कौशाम्बी	04/2014 से 03/2019	206.26
11.	36/2019-20	कार्यालय वित्त एवं लेखा (माध्यमिक शिक्षा), कौशाम्बी	04/2014 से 03/2019	21.86
12.	40/2019-20	कार्यालय वित्त एवं लेखा (माध्यमिक शिक्षा), सम्भल	04/2017 से 03/2019	12.68
13.	57/2019-20	कार्यालय वित्त एवं लेखा (माध्यमिक शिक्षा), फतेहपुर	04/2016 से 03/2019	37.29
14.	41/2019-20	कार्यालय जिला युवा कल्याण, सम्भल	04/2014 से 03/2019	1.74
15.	01/2019-20	कार्यालय वित्त एवं लेखा (बेसिक शिक्षा), हापुड़	07/2016 से 03/2019	365.78
16.	82/2019-20	कार्यालय वित्त एवं लेखा (बेसिक शिक्षा), गोंडा	09/2018 से 03/2019	406.79
17.	87/2019-20	कार्यालय वित्त एवं लेखा (बेसिक शिक्षा), उरई, जालौन	10/2018 से 03/2019	203.31
18.	11/2019-20	राजकीय पॉलिटेक्निक, बिजनौर	04/2014 से 03/2019	19.80
19.	85/2019-20	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गाजीपुर	07/2011 से 03/2019	8.44
20.	15/2019-20	कार्यालय जेल अधीक्षक, सोनभद्र	01/2017 से 03/2019	9.32
21.	20/2019-20	कार्यालय प्रशासनिक अधिकारी, चकबन्दी, मैनपुरी	04/2014 से 03/2019	33.24
22.	22/2019-20	कार्यालय जिला न्यायाधीश, गाजियाबाद	04/2013 से 03/2019	148.25
23.	30/2019-20	कार्यालय जिला न्यायाधीश, वाराणसी	04/2015 से 03/2019	105.87
24.	26/2019-20	कार्यालय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, मथुरा	11/2018 से 03/2019	7.10
25.	28/2019-20	कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, हरदोई	03/2015 से 03/2019	10.16
26.	56/2019-20	कार्यालय जिला खाद्य विपणन अधिकारी, सीतापुर	04/2017 से 03/2019	6.32
27.	95/2019-20	कार्यालय जिला खाद्य विपणन अधिकारी, कानपुर देहात	04/2014 से 03/2019	9.71
28.	105/2019-20	कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, वाराणसी	04/2015 से 03/2019	1.47
29.	64/2019-20	कार्यालय क्षेत्रीय वरिष्ठ लेखाधिकारी (खाद्य), मुरादाबाद	04/2013 से 03/2019	42.35

परिशिष्ट 3.2

विभागवार/अवधिवार लम्बित प्रकरणों का विवरण
(जिनमें अन्तिम कार्यवाही मार्च 2019 तक लम्बित थी)

(संदर्भ: प्रस्तर 3.9; पृष्ठ 54)

(कोष्ठक में आँकड ₹ लाख में प्रदर्शित हैं)

क्र0 सं0	विभाग का नाम	5 वर्ष तक	5 से 10 वर्ष तक	10 से 15 वर्ष तक	15 से 20 वर्ष तक	20 से 25 वर्ष तक	25 वर्ष से अधिक	प्रकरणों का योग
1.	कृषि विभाग	-	-	2(7.44)	-	-	1(0.18)	3(7.62)
2.	पशुपालन विभाग	-	-	-	2(3.46)	6(1.18)	8(1.91)	16(6.55)
3.	सहकारिता विभाग	-	-	-		2(1.45)	-	2(1.45)
4.	शिक्षा विभाग	-	7(166.16)	-	1(5.00)	-	-	8(171.16)
5.	मत्स्य विभाग	-	1(1.01)	-	-	-	2(1.60)	3(2.61)
6.	खाद्य एवं रसद विभाग	-	-	1(3.06)	-	-	8(25.72)	9(28.78)
7.	सिंचाई विभाग	-	6(110.96)	10(0.56)	5(3.60)	20(5.91)	-	41(121.03)
8.	न्याय विभाग	-	-	-	1(4.44)	-	-	1(4.44)
9.	भूमि अध्याप्ति विभाग	-	-	-	-	-	3(331.78)	3(331.78)
10.	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	-	-	-	-	1(3.87)	10(12.02)	11(15.89)
11.	पुलिस विभाग	-	2(4.00)	-	-	-	4(4.10)	6(8.10)
12.	पी.ए.सी.	-	-	-	1(47.48)	-	1(0.51)	2(47.99)
13.	लोक निर्माण विभाग	-	4(111.96)	4(34.86)	1(0.98)	-	-	9(147.80)
14.	राजस्व विभाग	-	1(6.68)	-	1(1.72)	-	3(6.09)	5(14.49)
15.	ग्राम्य विकास विभाग	-	-	-	-	2(1.21)	7(2.07)	9(3.28)
16.	समाज कल्याण विभाग	-	-	-	-	1(0.25)	2(0.70)	3(0.95)
17.	प्राविधिक शिक्षा विभाग	-	-	-	1(11.59)	-	-	1(11.59)
18.	बाट एवं माप विभाग	-	-	-	-	-	1(1.01)	1(1.01)
19.	उद्यान विभाग	-	-	1(3.59)	-	-	-	1(3.59)
20.	वित्त विभाग	-	-	-	-	-	1(0.67)	1(0.67)
	योग	**-**	**21(400.77)**	**18(49.51)**	**13(78.27)**	**32(13.87)**	**51(388.36)**	**135(930.78)**

परिशिष्ट 3.3

चोरी, दुर्विनियोग, हानि एवं गबन के कारण राज्य सरकार को हुई क्षति का विभागवार/श्रेणीवार विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 3.9; पृष्ठ 54)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	विभाग का नाम	चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोग के प्रकरण		शासकीय सामग्रियों की हानि के प्रकरण		गबन के प्रकरण		योग	
		प्रकरण की संख्या	धनराशि	प्रकरण की संख्या	धनराशि	प्रकरण की संख्या	धनराशि	प्रकरण की संख्या	धनराशि	प्रकरण की संख्या	धनराशि
1.	कृषि विभाग	-	-	1	5.45	2	2.17	-	-	3	7.62
2.	पशुपालन विभाग	11	1.78	-	-	3	1.55	2	3.22	16	6.55
3.	सहकारिता विभाग	1	1.28	-	-	-	-	1	0.17	2	1.45
4.	शिक्षा विभाग	3	6.60	2	59.41	-	-	3	105.15	8	171.16
5.	मत्स्य विभाग	-	-	-	-	1	1.23	2	1.38	3	2.61
6.	खाद्य एवं रसद विभाग	-	-	-	-	4	10.15	5	18.63	9	28.78
7.	सिंचाई विभाग	33	15.84	3	29.72	3	5.28	2	70.19	41	121.03
8	न्याय विभाग	-	-	-	-	-	-	1	4.44	1	4.44
9.	भूमि अध्याप्ति विभाग	-	-	2	5.78	-	-	1	326.00	3	331.78
10.	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	6	4.13	-	-	1	1.09	4	10.67	11	15.89
11.	पुलिस विभाग	-	-	-	-	2	4.00	4	4.10	6	8.10
12.	पी.ए.सी.	-	-	-	-	-	-	2	47.99	2	47.99
13.	लोक निर्माण विभाग	3	1.63	-	-	6	146.17	-	-	9	147.80
14.	राजस्व विभाग	-	-	-	-	-	-	5	14.49	5	14.49
15.	ग्राम्य विकास विभाग	4	0.94	-	-	1	0.14	4	2.20	9	3.28
16.	समाज कल्याण विभाग	-	-	-	-	-	-	3	0.95	3	0.95
17.	प्राविधिक शिक्षा विभाग	-	-	1	11.59	-	-	-	-	1	11.59
18.	बाट एवं माप विभाग	1	1.01	-	-	-	-	-	-	1	1.01
19.	उद्यान विभाग	-	-	-	-	-	-	1	3.59	1	3.59
20.	वित्त विभाग	-	-	-	-	-	-	1	0.67	1	0.67
	योग	**62**	**33.21**	**9**	**111.95**	**23**	**171.78**	**41**	**613.84**	**135**	**930.78**

परिशिष्ट 3.4

वर्ष 2018-19 में विभागवार निस्तारित/अपलेखित प्रकरणों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 3.9; पृष्ठ 54)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	विभाग का नाम	प्राधिकारी	संक्षिप्त विवरण	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
1	समाज कल्याण विभाग, जिला पीलीभीत	उत्तर प्रदेश सरकार	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में गबन एवं वेतन का अधिक भुगतान	1	4.44
				योग	**4.44**

परिशिष्ट 3.5

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं का अन्तिमीकरण और निवेशा का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 3.10; पृष्ठ 55)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	उपक्रम का नाम	लेखाओं के अन्तिमीकरण का वर्ष	अद्यतन अन्तिम लेखे के अनुसार निवेश
	सिंचाई विभाग		
1.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, कानपुर	2018-19	2.76
2.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, झाँसी	2018-19	14.08
3.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, बरेली	2018-19	10.61
4.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, मेरठ	2018-19	5.69
5.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर	2018-19	0.97
6.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, इलाहाबाद	2018-19	4.86
	खाद्य एवं रसद विभाग		
7.	खाद्य आयुक्त एवं मुख्य लेखाधिकारी	2013-14	3,490.22
पशुपालन विभाग			
8.	उप निदेशक, पशुधन फार्म निगम	2015-16	32.61
स्वास्थ्य विभाग			
9.	उप निदेशक, राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी मेडिसिन विभाग	1987-88	उपलब्ध नहीं
		योग	**3,561.80**

परिशिष्ट 3.6

राज्य सरकार द्वारा उन क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश जिनके लेखे दिनांक 30.09.2019 तक बकाये थे

(संदर्भ: प्रस्तर 3.11; पृष्ठ 56 एवं 57)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पी.एस.यू. का नाम	अवधि जब तक के लेखों का अन्तिमीकरण हुआ	अवधि जब तक के लेखे अन्तिमीकरण हेतु लम्बित	अद्यतन् अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार प्रदत्त पूंजी	पी.एस.यू. के लेखों के बकाये अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त बजटीय समर्थन/प्रत्याभूति					
					इक्विटी	ऋण	पूंजीगत अनुदान	अन्य अनुदान	सब्सिडी	प्रत्याभूति
1.	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17 से 2018-19	230.42	3.75	0.00	0.00	0.00	73.62	0.00
2.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15 से 2018-19	5.19	0.00	0.00	0.00	15.14	0.00	0.00
3.	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	2003-04	2004-05 से 2018-19	5.25	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16 से 2018-19	6.92	0.00	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00
5.	झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2015-16	2016-17 से 2018-19	0.00	0.00	0.00	33.00	3.00	0.00	0.00
6.	उत्तर प्रदेश राज्य एग्रो औद्योगिक निगम लिमिटेड	2010-11	2011-12 से 2018-19	46.30	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	उत्तर प्रदेश प्रादेशीय औद्योगिक एवं निवेश निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18 से 2018-19	135.58	0.00	237.37	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17 से 2018-19	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
9.	उत्तर प्रदेश राज्य कताई कम्पनी लिमिटेड	2016-17	2017-18 से 2018-19	93.24	0.00	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16 से 2018-19	1,648.31	0.00	743.00	0.00	0.00	0.00	133.96
11.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18 से 2018-19	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
12.	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प एवं विपणन विकास निगम लिमिटेड	2007-08	2008-09 से 2018-19	7.24	0.00	5.00	0.00	2.68	0.00	0.00
13.	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	2015-16	2016-17 से 2018-19	1.50	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
14.	लखनऊ नगर परिवहन सेवा लिमिटेड	2008-09	2009-10 से 2018-19	0.00	17.84	0.00	21.52	51.73	0.00	0.00
15.	मेरठ नगर परिवहन सेवा लिमिटेड	2010-11	2011-12 से 2018-19	0.05	0.00	0.00	0.00	17.12	0.00	0.00
16.	इलाहाबाद नगर परिवहन सेवा लिमिटेड	2017-18[#]	2018-19	4.91	0.00	0.00	0.00	19.17	0.00	0.00
17.	कानपुर नगर परिवहन सेवा लिमिटेड	2009-10	2010-11 से 2018-19	0.00	0.05	0.00	0.00	47.42	0.00	0.00

क्र. सं.	पी.एस.यू. का नाम	अवधि जब तक के लेखों का अन्तिमीकरण हुआ	अवधि जब तक के लेखे अन्तिमीकरण हेतु लम्बित	अद्यतन् अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार प्रदत्त पूंजी	पी.एस.यू. के लेखों के बकाये अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त बजटीय समर्थन/प्रत्याभूति					
					इक्विटी	ऋण	पूंजीगत अनुदान	अन्य अनुदान	सब्सिडी	प्रत्याभूति
18.	वाराणसी नगर परिवहन सेवा लिमिटेड	2009-10	2010-11 से 2018-19	0.00	0.05	0.00	0.00	20.68	0.00	0.00
19.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यू.पी.आर.वी.यू.एन.एल.)	2017-18#	2018-19	10,796.79	1,508.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326.68
20.	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (यू.पी.पी.टी.सी.एल.)	2017-18#	2018-19##	12,494.42	1,565.65	0.00	0.00	0.00	95.78	0.00
21.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17 से 2018-19	1.07	0.00	0.00	1.31	3.29	0.00	0.00
22.	उत्तर प्रदेश जल निगम	2016-17	2017-18 से 2018-19	0.00	0.00	0.00	1,679.74	0.00	0.00	0.00
23.	उत्तर प्रदेश चिकित्सकीय आपूर्ति निगम लिमिटेड	(मार्च 2018 में समाविष्ट)	2018-19	2.66	5.16	0.00	0.00	353.34	0.00	0.00
			महायोग	**25,495.85**	**3,118.03**	**996.52**	**1,748.52**	**665.57**	**169.40**	**4,460.64**
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कुल बजटीय सहायता जिनके लेखे (2017-18 तक) 2018-19 में प्राप्त नहीं हुए थे (महायोग में से क्रम संख्या 23 को घटायं)					**3,112.87**	**996.52**	**1,748.52**	**312.23**	**169.40**	**4,460.64**
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कुल बजटीय सहायता जिनके लेखे मई 2020 तक बकाया थे (महायोग मे से क्रम संख्या 20 को घटायं)					**1,552.38**	**996.52**	**1,748.52**	**665.57**	**73.62**	**4,460.64**

#इन पी.एस.यू. के वर्ष 2017-18 के लेखे वित्तीय वर्ष 2018-19 के पश्चात् प्राप्त हुए थे।

#वर्ष 2018-19 के लेखे अक्टूबर 2019 में प्राप्त हुए थे।

परिशिष्ट 3.7

लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से लाभांश

(संदर्भ: प्रस्तर 3.12; पृष्ठ 57)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	लेखे की अवधि	निवल लाभ	संग्रहित लाभ	प्रदत्त पूंजी (राज्य सरकार)	घोषित होने वाला लाभांश	घोषित लाभांश
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2018-19	123.75	1,173.67	12,049.55	602.48	0.00
2	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	2010-11	10.86	51.37	5.50	0.28	0.25
3	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	2013-14	0.36	2.07	5.19	0.26	0.00
4	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	24.62	110.77	6.40	0.32	0.64
5	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2013-14	95.22	573.43	24.08	1.20	1.20
6	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	2013-14	82.47	882.96	1.00	0.05	0.20
7	उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (उ.प्र. समाज कल्याण निर्माण निगम लि. के रूप में पूर्व में जाना जाता था)	2016-17	1.62	73.16	0.15	0.01	0.02
8	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	2015-16	24.13	182.21	15.00	0.75	3.61
9	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	0.89	6.18	87.66	4.38	0.09
10	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	4.35	11.02	1.00	0.05	0.05
11	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2017-18	49.08	267.13	0.43	0.02	0.02
12	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	2015-16	0.11	5.36	1.07	0.05	0.05
13	उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद	2018-19	0.62	1.06	0.05	0.003	0.00
14	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	2016-17	45.65	500.00	13.00	0.65	2.16
15	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	2010-11	0.09	0.01	1.23	0.06	0.00
16	श्रीटॉन इण्डिया लिमिटेड	2017-18	0.51	3.48	7.12	0.36	0.00
17	उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2008-09	9.97	0.50	5.96	0.30	0.00
		योग	**474.30**	**3,844.38**	**12,224.39**	**611.22**	**8.29**

परिशिष्ट 4
शब्दावली (अतिरिक्त आंकड़े)

गणना का आधार

पद	गणना का आधार
वृद्धि दर (आर.ओ.जी.)	[(वर्तमान वर्ष की धनराशि / विगत वर्ष की धनराशि) –1] * 100
विकास पर व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	ब्याज भुगतान / [(विगत वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं) / 2] * 100
बकाया ऋण से ब्याज प्राप्ति का *प्रतिशत*	प्राप्त ब्याज / [(प्रारम्भिक अवशेष + ऋण एवं अग्रिम का अन्तिम अवशेष) / 2] * 100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां – राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम – राजस्व प्राप्तियां – विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान

पदों की व्याख्या

पद	व्याख्या
विनियोग लेखे	विधान सभा द्वारा प्रत्येक दत्तमत अनुदानों एवं भारित विनियोगों के अन्तर्गत बजट अनुदान में प्राधिकृत कुल निधियों (मूल एवं अनुपूरक) की धनराशि की तुलना में प्रत्येक के विरूद्ध व्यय धनराशि एवं प्रत्येक अनुदान या विनियोग के अन्तर्गत बचत या आधिक्य का विवरण विनियोग लेखे में होता है। अनुदान से अधिक किसी भी व्यय का विधायिका द्वारा विनियमन अपेक्षित होता है।
स्वायत्त निकाय	जब कभी सरकारी व्यवस्था से अलग कुछ सीमा तक स्वतंत्रता एवं सरकारी कार्य प्रणाली के दिन–प्रतिदिन के हस्तक्षेप के बगैर, लचीलेपन के साथ कुछ क्रियाओं को संपादित करने की आवश्यकता महसूस होती है तब स्वायत्त निकायों (प्रायः पंजीकृत समितियां या सांविधिक निगमों) की स्थापना की जाती है।
वचनबद्ध व्यय	राजस्व लेखों पर मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी, जिस पर वर्तमान कार्यकारिणी का सीमित नियंत्रण होता है, राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय होते हैं।
आकस्मिक देयतायें	किसी के द्वारा भविष्य में घटने वाली घटनाओं के परिणामस्वरूप आकस्मिक देयताओं का सृजन किया/नहीं किया जा सकता है जैसे न्यायालयी प्रकरण।
विकास व्यय	व्ययों के आँकड़ों का विश्लेषण विकास एवं गैर विकास के कार्यो पर हुए व्यय में विभाजित किया गया है। राजस्व लेखा पूंजीगत परिव्यय एवं ऋण तथा अग्रिमों से संबंधित व्यय को सामाजिक सेवा, आर्थिक सेवा एवं सामान्य सेवाओं में विभाजित किया गया है। वृहद् रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किया गया व्यय विकास व्यय होता है जबकि सामान्य सेवाओं पर किया गया व्यय गैर विकास व्यय है।
ऋण संवहनीयता	राज्य द्वारा ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात को स्थिर रखने की क्षमता को ऋण संवहनीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है, यह ऋण वापसी की क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। तरल संपत्तियों की पर्याप्तता, चालू या वचनबद्ध बाध्यताओं को पूरा करने तथा अतिरिक्त उधारी की लागत तथा उधारी के प्रतिफल में संतुलन बनाये रखने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ यह है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का ऋण वापसी की क्षमता से सुमेल होना चाहिए।
ऋण स्थिरता	यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, ब्याज की लागत दर या सार्वजनिक उधारी से अधिक है तो ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात संभवतः स्थिर होगा। बशर्ते प्राथमिक अवशेष या तो शून्य या धनात्मक या मामूली ऋणात्मक हो।
आन्तरिक ऋण	भारत में लोगों द्वारा प्राप्त नियमित ऋणों को आन्तरिक ऋण कहते हैं। जिसे "भारत में एकत्र ऋण" भी कहा जाता है। यह समेकित निधि को क्रेडिट किये जाने वाले ऋण तक सीमित होता है।
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	उधार निधियों की निवल उपलब्धता, ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) एवं कुल ऋण प्राप्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित है तथा उधार निधियों की निवल उपलब्धता प्रदर्शित करती है कि ऋण प्राप्तियों का किस सीमा तक ऋण विमोचन हेतु प्रयोग किया गया है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	राजस्व व्यय से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राथमिक राजस्व व्यय आता है।
प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + ऋण तथा अग्रिम
प्राथमिक राजस्व घाटा/आधिक्य	गैर ऋण प्राप्तियाँ – प्राथमिक राजस्व व्यय
प्राथमिक घाटा/ आधिक्य	ब्याज रहित राजकोषीय घाटे से प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। इसकी इस प्रकार भी व्याख्या की जा सकती है कि राज्य का ब्याज रहित व्यय राजस्व प्राप्तियों एवं गैर–ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक था।

पद	व्याख्या
लोक लेखा समिति	विधान सभा द्वारा गठित समिति जो भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक के, राज्य के विनियोग लेखों, राज्य के वार्षिक वित्तीय लेखों या इस प्रकार के अन्य लेखों या वित्तीय मामलों, जिसकी जाँच करना यह समिति आवश्यक समझे, की जाँच करें।
पुनर्विनियोग	मूल विनियोग के इकाई से अन्य उसी प्रकार की इकाई को धनराशि का हस्तांतरण।
सिंकिंग फण्ड (निक्षेप निधि)	सरकार द्वारा एक निधि की स्थापना अपने ऋणों से मुक्ति हेतु की जाती है जिसमें समयान्तर्गत धन आरक्षित किया जाता है।
गैर–ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता	वृद्धिमान ब्याज देयताओं एवं वृद्धिमान प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के आधार पर राज्य की वृद्धिमान गैर–ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता सुनिश्चित होती है। यदि वृद्धिमान गैर–ऋण प्राप्तियाँ वृद्धिमान ब्याज भार एवं वृद्धिमान प्राथमिक व्यय को वहन कर लेती है तो ऋण की संवहनीयता में पर्याप्त मात्रा में मदद मिल सकेगी।

प्रथमाक्षरी

प्रथमाक्षरी	पूर्ण विस्तार
ए सी बिल	संक्षिप्त आकस्मिक बिल
ए ई	कुल व्यय
सी ए जी	भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
सी ई	पूँजीगत व्यय
सी एस एफ	समेकित निक्षेप निधि
डी सी बिल	विस्तृत आकस्मिक बिल
एफ आर बी एम अधिनियम	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम
जी डी पी	सकल घरेलू उत्पाद
जी ओ आई	भारत सरकार
जी एस डी पी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जी एस टी	वस्तु एवं सेवा कर
आई जी एस टी	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर
एम एच	मुख्य लेखाशीर्ष
एम टी एफ आर पी	मध्यकालिक राजकोषीय पुर्नसंरचना नीति
एन डी आर एफ	राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि
एन टी आर	करेतर राजस्व
ओ टी आर	स्वयं का कर राजस्व
पी ए सी	लोक लेखा समिति
पी डी लेखा	वैयक्तिक जमा खाता
पी एस यू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
आर ई	राजस्व व्यय
आर आर	राजस्व प्राप्तियाँ
एस डी आर एफ	राज्य आपदा अनुक्रिया निधि
एस जी एस टी	राज्य वस्तु एवं सेवा कर
यू सी	उपभोग प्रमाण–पत्र
उदय	उज्जवल डिस्कॉम्स एश्योरेंस योजना